

अध्याय-1

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

अध्याय-1

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा क्षेत्र 3)

1.1 परिचय

1.1.1 बजट परिचय

राज्य में 64 सरकारी विभाग एवं 41 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य सरकार के बजट आंकलन और व्यय की स्थिति निम्न तालिका-1.1.1 में दी गयी है:

तालिका-1.1.1: वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य सरकार का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	बजट आंकलन	व्यय	बजट आंकलन	व्यय	बजट आंकलन	व्यय	बजट आंकलन	व्यय	बजट आंकलन	व्यय
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएँ	6,804.28	6,182.04	8,157.61	7,402.28	8,910.83	8,409.98	11,129.62	9,934.09	12,300.01	12,408.50
सामाजिक सेवाएँ	7,766.53	7,298.01	10,555.22	9,223.69	11,386.47	9,926.69	14,217.69	10,528.57	12,493.03	10,929.44
आर्थिक सेवाएँ	2,755.73	2,067.95	4,271.41	3,856.47	4,394.41	3,983.21	5,648.75	3,902.66	5,020.83	4,276.21
सहायता अनुदान एवं अशंदांन	727.66	668.41	807.79	681.27	1,046.63	766.56	1,254.33	906.18	1,736.94	1,468.54
योग (1)	18,054.20	16,216.41	23,792.03	21,163.71	25,738.34	23,086.44	32,250.39	25,271.50	31,550.81	29,082.69
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	4,874.19	3,712.03	4,591.37	4,939.01	4,004.85	4,217.38	5,744.36	4,954.22	5,514.37	5,914.37
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	248.66	277.99	212.59	150.97	172.67	83.15	395.22	165.05	252.35	76.83
लोक ऋण का पुनर्भूगतान	2,152.79	1,316.81	1,757.79	893.89	2,776.79	1,996.56	2,032.23	1,127.40	2,640.23	1,720.72
आकस्मिकता निधि	40.00	194.48	180.00	194.15	175.00	385.46	205.00	227.70	375.00	481.50
लोक लेखों का संवितरण	14,212.33	25,190.33	15,683.06	33,534.94	16,247.59	36,536.73	6,602.72	26,607.34	6,521.46	35,366.30
अन्तिम रोकड़ शेष	-	2,433.41	-	1,772.02	-	1,462.80	0.00	2,785.95	--	2,733.60
योग (2)	21,527.97	33,125.05	22,424.81	41,484.98	23,376.90	44,682.08	14,979.53	35,867.66	15,303.41	46,293.32
महायोग (1+2)	39,582.17	49,341.46	46,216.84	62,648.69	49,115.24	67,768.52	47,229.92	61,139.16	46,854.22	75,376.01

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त लेखों

1.1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान राज्य का कुल व्यय¹ ₹ 20,206 करोड़ से बढ़ कर ₹ 35,074 करोड़ हो गया। राज्य सरकार का राजस्व व्यय वर्ष 2013-14 में ₹ 16,216 करोड़ से वर्ष 2017-18 में 79 प्रतिशत से बढ़कर ₹ 29,083 करोड़ हो गया।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल व्यय में 80 से 84 प्रतिशत राजस्व व्यय सम्मिलित था, जबकि इस अवधि में पूँजीगत व्यय 15 से 19 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 16 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा, जबकि 2013-14 से 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 11.57 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ीं।

¹ कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

1.1.3 राज्य सरकार के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित निधियाँ

विगत वर्षों में भारत सरकार (भा स) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियाँ अन्तरित की गईं। तथापि, भारत सरकार द्वारा सी एस एस/ए सी ए से संबन्धित समस्त सहायता क्रियान्वयन अभिकरणों को नहीं बल्कि राज्य सरकार को जारी करने के निर्णय के बावजूद, भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित राशि ₹ 2,175.18 करोड़ में से (केंद्रीय निकायों और राज्य सरकार के दायरे से बाहर अन्य संगठन सहित), वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 1,001.37 करोड़ (अर्थात् 46 प्रतिशत; राज्य बजट के दायरे से बाहर निधियाँ-अलेखापरीक्षित आँकड़े) विभिन्न राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को अन्तरित किये गये।

1.1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण निम्न तालिका-1.1.2 में दिया गया है:

तालिका-1.1.2: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आयोजनेत्तर अनुदान	981	944	1,043	824	714
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	3,558	4,083	1,173	1,532	1,621
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	13	99	609	843	76
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	523	1,879	2,479	3,035	4,391
राज्यों को अन्य अंतरण / अनुदान (जी एस टी क्षतिपूर्ति)	-	-	-	-	1,283
योग	5,075	7,005	5,304	6,234	8,085
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	14	38	(-) 24	18	30
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	29	35	25	25	30

वर्ष 2013-14 से 2014-15 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में वृद्धि देखी गई तथापि, वर्ष 2015-16 में गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,701 करोड़ (24.28 प्रतिशत) की कमी आई। चालू वर्ष के दौरान, गत वर्ष की तुलना में भारत सरकार से सहायता अनुदान की प्राप्तियों में ₹ 1,851 करोड़ (29.69 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2017-18 में वृद्धि को, राज्य में जी एस टी (01 जुलाई 2017 से प्रभावी) लागू होने के बाद राजस्व के नुकसान के बदले प्राप्त ₹ 1,283 करोड़ की क्षतिपूर्ति तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं (₹ 89 करोड़) एवं केंद्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं (₹ 1,356 करोड़) के अन्तर्गत अनुदान के हस्तांतरण में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। चालू वर्ष के दौरान आयोजनेत्तर अनुदान एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजना के लिए अनुदान क्रमशः ₹ 110 करोड़ एवं ₹ 767 करोड़ घट गये थे।

1.1.5 आयोजना एवं लेखापरीक्षा का सम्पादन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं, जिसमें पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ ही साथ मीडिया रिपोर्टों को भी ध्यान में रखने के अतिरिक्त, उनकी गतिविधियों की विकटता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियन्त्रण और

हितधारकों की चिंताओं के जोखिम निर्धारण से प्रारम्भ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा का निर्णय लिया जाता है एवं एक वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षा आपत्तियों को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र) लेखापरीक्षित इकाईयों के अध्यक्षों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह इस पर एक माह के भीतर अपनी आख्या प्रस्तुत करें। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा आपत्तियों का या तो निस्तारण कर लिया जाता है या पुनः अनुपालन हेतु आगामी कार्यवाही के लिए सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाहित करने हेतु संसाधित किया जाता है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के द्वारा राज्य के 423 आहरण और संवितरण अधिकारियों और नौ स्वायत्त निकाय की इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की गई। इसके अतिरिक्त, एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी सम्पादित की गई।

1.1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के साथ ही साथ चयनित विभागों के आन्तरिक नियन्त्रण की गुणवत्ता से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण कमियों, जिनसे कार्यक्रमों की सफलता और विभागों के कार्यकलाप पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा, की जानकारी दी। यह विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा और सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु एवं नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुधार लाने के लिए कार्यकारी को उपयुक्त सिफारिशें पेश करने पर केन्द्रित थी।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा और लेखा अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों से अपेक्षित है कि प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप प्रस्तरों को जिन्हें भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रियाएँ छः सप्ताह के अन्दर दें। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के व्यक्तिगत संज्ञान में यह भी लाया जाता है कि ऐसे प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने की सम्भावना की दृष्टि से, जिसे उत्तराखण्ड विधानसभा में रखा जाना है, यह वांछनीय होगा कि इस प्रकरण में उनकी टिप्पणियों को इसमें सम्मिलित किया जाये। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों और प्रस्तरों को सम्बन्धित अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को भी उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, एक

निष्पादन लेखापरीक्षा² और एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित 11 लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों को भेजा गया। तथापि, मात्र पाँच प्रकरणों में सरकार का औपचारिक उत्तर प्राप्त हुआ है (अगस्त 2019)।

1.1.7 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियाँ

राज्य सरकार के विभागों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आई वसूलियों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पुष्टि हेतु एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को सूचित करने के लिए संदर्भित किया गया। लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के दौरान क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, कुमाऊँ खण्ड, हल्द्वानी द्वारा ₹ 86.27 लाख की वसूली की गई।

1.1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की जवाबदेही

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, लेन-देनों की नमूना जाँच द्वारा सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण सम्पादित करता है तथा विहित नियमों एवं क्रियाविधियों के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य अभिलेखों के रखरखाव की पुष्टि करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र) जारी किये जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों एवं उच्च प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर अपनी अनुपालन आख्या से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड को अवगत करवाएँ। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा लम्बित नि प्र पर अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से गम्भीर अनियमितताओं को कार्यालयाध्यक्षों के संज्ञान में लाया जाता है।

31 मार्च 2018 को नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित 3,235 नि प्र में निहित 8,486 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ बकाया थीं, जिसका विवरण निम्न तालिका-1.1.3 में दिया गया है:

तालिका-1.1.3: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/प्रस्तर

क्र सं.	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन ³	प्रस्तर	सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में)
1.	सामाजिक क्षेत्र	1,739	5,242	17,789.48
2.	सामान्य क्षेत्र	482	964	1,293.83
3.	आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा क्षेत्र)	1,014	2,280	7,66,138.00
योग		3,235	8,486	7,85,221.31

नि प्र एवं नि प्र में प्रस्तरों के निस्तारण की प्रगति में तेजी एवं अनुश्रवण के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियाँ गठित की हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा समितियों की 10 बैठकें आयोजित हुईं, जिसमें 126 प्रस्तरों को निस्तारित किया गया। विभागीय अधिकारी विहित समय

² सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण की पद्धति।

³ बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/प्रस्तर 2006-07 से लिए गये हैं।

सीमा के अंदर नि प्र पर उचित कार्यवाही करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही की कमी रही।

यह संस्तुति की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र और उचित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकरण पर गौर कर सकती है।

1.1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.1.9.1 स्वप्रेरित कृत कार्यवाही टिप्पणियों (कृ का टि) का प्रस्तुतिकरण

लोक लेखा समिति की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रदर्शित समस्त लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर स्वप्रेरित कार्यवाही शुरू करनी चाहिए इनको लोक लेखा समिति द्वारा जाँच हेतु लिया गया हो या नहीं। राज्य विधानमण्डल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन महीने के भीतर विभागों को भी उनके द्वारा की गई सुधारात्मक कृत कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही को दर्शाते हुए, विस्तृत टिप्पणियाँ, जिसकी यथोचित रूप से लेखापरीक्षा द्वारा जाँच की जाती है, प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

तथापि, यह देखा गया कि 31 मार्च 2018 तक, वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में सम्मिलित 295 लेखापरीक्षा प्रस्तरों में से 41 विभागों के 97 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबन्ध में स्वप्रेरित कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं (जैसा कि **परिशिष्ट-1.1.1** में वर्णित है)। वर्ष 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को 20 सितम्बर 2018 को विधानसभा के पटल पर रखा गया था। इससे सम्बन्धित कृत कार्यवाही व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं (अगस्त 2019)।

1.1.9.2 लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर कृत कार्यवाही

लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रस्तर, जिन पर उनके द्वारा चर्चा की गई, के संबन्ध में की गई टिप्पणियों/ अनुशंसाओं पर, कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ, जिनकी प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के द्वारा यथोचित जाँच की गई, ऐसी की गई टिप्पणियों/संस्तुतियों की तिथि से छः माह के अंदर समिति को प्रस्तुत करनी होती हैं। वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में सम्मिलित 295 लेखापरीक्षा प्रस्तरों में से 31 मार्च 2018 तक लोक लेखा समिति द्वारा केवल 186 लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर चर्चा की गई। लोक लेखा समिति द्वारा 97 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबन्ध में संस्तुतियों की गई हैं। समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार की ओर से पाँच प्रस्तरों पर कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ लम्बित हैं।

1.1.10 स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में रखने की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये हैं। इन में से कई निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है एवं उनके लेन-देनों,

परिचालन गतिविधियाँ और लेखों, विनियामक मुद्दों, आंतरिक नियन्त्रण आदि की जाँच की जाती है। राज्य में एक स्वायत्त निकाय (उत्तराखण्ड जल संस्थान) के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को पाँच वर्षों (अर्थात् 2015-16 से 2019-20) के लिए सौंपी (जनवरी 2016) गई। वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षा द्वारा जारी उत्तराखण्ड जल संस्थान की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ ले प्र) राज्य विधानसभा के समक्ष अभी तक रखा जाना शेष है।

1.1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों का वर्ष-वार विवरण

पिछले दो वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा प्रस्तरों का उनकी मुद्रा मूल्य सहित वर्ष-वार विवरण निम्न तालिका-1.1.4 में दिया गया है।

तालिका-1.1.4: वर्ष 2015-17 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मुद्रित निष्पादन लेखापरीक्षाओं और प्रस्तरों के सम्बन्ध में विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		प्रस्तर		प्राप्त उत्तर	
	संख्या	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर
2015-16	02	124.08	17	170.76	02	निरंक
2016-17	02	127.24	10	23.85	निरंक	01

इस अध्याय में ₹ 1,251.46 करोड़ की मुद्रा मूल्य की एक निष्पादन लेखापरीक्षा⁴ और 11 लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्युत्तरों को, जहाँ कहीं भी प्राप्त हुए, उचित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

⁴ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण की पद्धति।

निष्पादन लेखापरीक्षा

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

1.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण की पद्धति

भारत सरकार द्वारा, निर्धारित मानकों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) के परिवारों को विशेष रूप से रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1997 में, भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) शुरू की गई थी। राज्य के गठन (नवम्बर 2000) से यह योजना उत्तराखण्ड में संचालित थी। सबसे गरीब व्यक्ति को भोजन की उपलब्धता⁵ सुनिश्चित करने के लिए, दिसम्बर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना (ए ए वाई) शुरू की गई थी। सभी स्तरों पर लेनदेन की पारदर्शी रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने हेतु, भारत सरकार ने (दिसम्बर 2012 में) 'टी पी डी एस के 'एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण' हेतु एक प्लान योजना शुरू की।

आगे, भारत में संसद द्वारा, लोगों को गरिमामय जीवन जीने हेतु सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन एफ एस ए) अधिनियमित (सितम्बर 2013) किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के अंतर्गत खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन और वितरण प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा, राशन कार्ड के डिजिटाइजेशन; पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण; खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, उठान, वितरण, परिवहन और भण्डारण में कमजोरियों को सामने लायी। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार थे:

मुख्यांश

- 'एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण' योजना के अन्तर्गत सप्लाइ चैन और फेयर प्राइस शॉप ऑटोमेशन निर्धारित तिथि से चार से पाँच वर्ष व्यतीत होने के बाद भी लागू नहीं किए गए।

[प्रस्तर 1.2.7]

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित किए जाने वाले पात्र परिवारों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, जैसा कि पात्रता मानदण्ड से संबन्धित अपूर्ण सूचनाएँ लिए जाने के दृष्टांत थे, जिसके परिणामस्वरूप कोई आश्वासन नहीं था कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया। इससे अपात्र लाभार्थियों को योजना के लाभ हेतु शामिल किया गया और पात्र लाभार्थियों को बाहर रखा गया।

[प्रस्तर 1.2.8.1 एवं 1.2.8.2]

⁵ ए ए वाई परिवारों को, प्रतिमाह 24.600 कि ग्रा चावल और 10.400 कि ग्रा गेहूँ विशेष रियायती दर क्रमशः तीन रुपये प्रति कि ग्रा और दो रुपये प्रति कि ग्रा पर प्रदान करते हुए।

- विभाग, कमीशन एजेंटों के माध्यम से अधिप्राप्ति पर, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित नहीं कर सका।

[प्रस्तर 1.2.9.1]

- विभाग ने राज्य में ₹140.13 करोड़ मूल्य का 0.63 लाख मीट्रिक टन चावल और ₹ 9.83 करोड़ मूल्य का 0.23 लाख मीट्रिक टन गेहूँ (ए ए वाई एवं बी पी एल श्रेणी को) वास्तविक आवश्यकता से अधिक वितरित किया।

[प्रस्तर 1.2.10.2]

- राज्य में खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता पर्याप्त नहीं थी। राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर 44 प्रतिशत और 45 प्रतिशत के मध्य और जिला स्तर पर 32 प्रतिशत भण्डारण क्षमता की कमी थी।

[प्रस्तर 1.2.11.3]

- वेयरहाउस मैनुअल के अनुसार भण्डारण गोदामों में बुनियादी उपकरणों और सुविधाओं का अभाव था।

[प्रस्तर 1.2.11.5]

- विभाग के पास पर्याप्त धन उपलब्ध होने के बावजूद भी भारतीय रिजर्व बैंक से ₹515.85 करोड़ की नगद साख सीमा प्राप्त की गई थी। परिणामस्वरूप, विभाग को नगद साख सीमा के सापेक्ष भारतीय रिजर्व बैंक को किए गए ब्याज के भुगतान के कारण ₹19.35 करोड़ का नुकसान हुआ।

[प्रस्तर 1.2.12.2]

- लेवी स्कीम के अन्तर्गत अधिप्राप्त चावल की मात्रा के सापेक्ष मिलर्स को मंडी श्रम प्रभार के रूप में ₹3.48 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

[प्रस्तर 1.2.12.5]

- राज्य खाद्य आयोग में अपेक्षित सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई थी और राज्य खाद्य आयोग के गठन के चार वर्ष बाद केवल एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान राज्य स्तर पर या चयनित जनपदों में किसी भी स्तर पर सतर्कता समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण में 69.93 प्रतिशत से 81.38 प्रतिशत तक की कमी रही।

[प्रस्तर 1.2.13.1, 1.2.13.2, 1.2.13.3 व 1.2.13.4]

- अधिनियम शुरू होने के लगभग पाँच साल बीत जाने के बाद भी उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज पर आवधिक सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने हेतु नियम तैयार नहीं किए गए थे।

[प्रस्तर 1.2.13.5]

1.2.1 प्रस्तावना

टी पी डी एस से पहले, पी डी एस सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य पात्रता योजना थी। 1997 में, भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) के परिवारों को, विशेष रूप से रियायती

दर, अर्थात् आर्थिक लागत के 50 प्रतिशत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टी पी डी एस की शुरुआत की और इसके साथ ही गरीबी रेखा के ऊपर (ए पी एल) के परिवारों के लिए आवंटन, आर्थिक लागत के 100 प्रतिशत पर बनाए रखा गया। भारत सरकार ने राज्यों को बी पी एल परिवारों के चिन्हीकरण के लिए व्यवस्थाएँ प्रतिपादित करने की सलाह दी। तदनुसार, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार (नवम्बर 2000 में उत्तराखण्ड के सृजन से पहले) ने बी पी एल परिवारों का चिन्हीकरण करने के लिए दिशा-निर्देश (मार्च 1997) जारी किए। बी पी एल परिवारों में सबसे गरीब लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए दिसम्बर 2000 में ए ए वाई शुरू की गई। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ए ए वाई के अंतर्गत 1.91 लाख परिवारों का चिन्हीकरण किया और उन्हें योजनान्तर्गत आच्छादित किया।

वर्ष 2013 में, संसद द्वारा गरिमामय जीवन जीने के लिए लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन एफ एस ए) लागू किया गया था। अधिनियम के अनुसार, उत्तराखण्ड में 101.17 लाख (जनगणना 2011) जनसंख्या में से 61.94 लाख लोगों को इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना था। तत्पश्चात, एन एफ एस ए के अंतर्गत 7.69 लाख ए ए वाई लाभार्थी और 54.23 लाख प्राथमिक परिवार (पी एच एच) लाभार्थियों को आच्छादित किया गया। उत्तराखण्ड सरकार ने एन एफ एस ए के अन्तर्गत पात्र परिवारों का चिन्हीकरण करने के लिए पात्रता मानदण्ड निर्दिष्ट करने वाले दिशा-निर्देश जारी किए (जुलाई 2013)। दिशा-निर्देशों के अनुसार, मौजूदा ए ए वाई और बी पी एल लाभार्थियों के अतिरिक्त, कतिपय परिवारों⁶, जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक हो, का चिन्हीकरण किया जाना था। वितरण मापदण्डों, खाद्यान्नों की मात्रा और दरों का विवरण नीचे तालिका-1.2.1 में दिया गया है:

तालिका-1.2.1 खाद्यान्न के मापदण्ड एवं पात्रता का विवरण

लाभार्थियों की श्रेणी	खाद्यान्न पात्रता (प्रति माह)	निर्गमन दर (₹/कि ग्रा)	
		गेहूँ	चावल
पूर्ववर्ती टी पी डी एस			
ए पी एल	15 कि ग्रा (10 कि ग्रा गेहूँ और 5 कि ग्रा चावल) प्रति कार्ड	5.00	7.00
बी पी एल	35 कि ग्रा (11.800 कि ग्रा गेहूँ और 23.200 कि ग्रा चावल) प्रति कार्ड	4.15	5.65
ए ए वाई	35 कि ग्रा (10.400 कि ग्रा गेहूँ और 24.600 कि ग्रा चावल) प्रति कार्ड	2.00	3.00
एन एफ एस ए			
ए ए वाई	35 कि ग्रा (13.300 कि ग्रा गेहूँ और 21.700 कि ग्रा चावल) प्रति कार्ड	2.00	3.00
पी एच एच ⁷	5 कि ग्रा (2 कि ग्रा गेहूँ और 3 कि ग्रा चावल) प्रति राशनकार्ड का सदस्य	2.00	3.00

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

⁶ ऐसे परिवार जिसकी मुखिया, विधवा, कुष्ठ या एच आई वी से पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांग, साठ और उससे अधिक उम्र का व्यक्ति, परिवार जिसका मुखिया रिक्शा चालक; कुली; श्रमिक; कूड़ा उठाने वाला; मोची; खेतिहर मजदूर; शहरी गंदी बस्तियों में निवास करने वाले परिवार, तथा राज्य में संचालित आश्रम तथा अनाथ आश्रम।

⁷ पी एच एच में ₹15,000 तक की मासिक आय वाले बी पी एल परिवार तथा अन्य परिवार जैसा कि फुटनोट 6 में वर्णित है, सम्मिलित हैं।

सभी स्तरों पर लेनदेन की पारदर्शी रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने टी पी डी एस के 'एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण' पर एक आयोजनागत योजना शुरू (दिसम्बर 2012) की।

1.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

शासन स्तर पर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (एफ सी एस एंड सी ए) विभाग के प्रमुख सचिव योजनाओं⁸ के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य को गढ़वाल और कुमाऊँ दो मंडलों में बाँटा गया है, और इन मंडलों में प्रत्येक में क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक (आर एफ सी) अधिप्राप्ति और वितरण के पूरे संचालन को आयुक्त, एफ सी एस एंड सी ए के पर्यवेक्षण में देखता है। जनपद स्तर पर, संबन्धित जिला आपूर्ति अधिकारियों (डी एस ओ) द्वारा 9,309 उचित मूल्य की दुकानों (एफ पी एस) के नेटवर्क के माध्यम से संबन्धित क्षेत्र के राशनिंग अधिकारियों/आपूर्ति निरीक्षकों की सहायता से इस योजना को लागू किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा **परिशिष्ट-1.2.1** में दिया गया है।

1.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारित करने के लिए थे कि क्या:

- राज्य ने टी पी डी एस कार्यों के 'एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण' पर आयोजनागत योजना को लागू करने के लिए सुधारों की शुरुआत की;
- खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति मितव्ययतापूर्वक, दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से की गई;
- उठान और वितरण की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी थी कि सभी लोगों की खाद्यान्न तक पहुँच थी और वितरण समय, निर्धारित पैमाने और दर पर था;
- ट्रांसपोर्टर्स और हैंडलिंग ठेकेदारों का चयन एवं परिवहन और हैंडलिंग दरों का निर्धारण पारदर्शी और मितव्ययी तरीके से किया गया था;
- खाद्यान्नों का भण्डार प्रबंधन वैज्ञानिक था तथा खाद्यान्नों की सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था पर्याप्त थी;
- टी पी डी एस और एन एफ एस ए के कार्यान्वयन पर सार्वजनिक खर्च का वित्तीय प्रबंधन दक्ष और मितव्यय था; तथा
- योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुश्रवण और नियंत्रण तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था।

1.2.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यविधि

तेरह में से चार जनपदों⁹ में 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक (आर एफ सी)

⁸ सितम्बर 2015 तक टी पी डी एस तथा अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम।

⁹ पौड़ी और टिहरी (गढ़वाल), अल्मोड़ा और उधमसिंह नगर (कुमाऊँ)।

(कुमाऊँ एवं गढ़वाल) तथा प्रोबेबिलिटी प्रपोशनल टू साइज़ विदाउट रिप्लेसमेंट पद्धति के आधार पर चयनित चार जिला पूर्ति अधिकारियों (डी एस ओ) के अभिलेखों की नमूना जाँच के द्वारा, फरवरी से जून 2018 के दौरान निष्पादित लेखापरीक्षा की गयी। कुल व्यय को नमूने के प्रयोजन के लिए आकार माप के रूप में लिया गया था।

दो प्रकार के गोदाम अर्थात् बेस गोदाम जो आर एफ सी के नियंत्रण में तथा आंतरिक गोदाम डी एस ओ के नियंत्रण में थे। आंतरिक गोदामों के चयन हेतु प्रत्येक चयनित जनपद में दो तहसीलों को सिम्पल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट पद्धति का उपयोग करके चुना गया था। चार अधिकतम क्षमता वाले बेस गोदामों अर्थात् प्रत्येक मण्डल से दो¹⁰ (23 बेस गोदामों में से) और प्रत्येक चयनित तहसील से दो¹¹ अधिकतम क्षमता वाले आंतरिक गोदामों (197 आंतरिक गोदामों में से) का चयन किया गया। इस प्रकार, भौतिक सत्यापन हेतु कुल पन्द्रह (चार बेस और ग्यारह आंतरिक) गोदामों का चयन किया गया था, जैसे कि **परिशिष्ट-1.2.2** में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, 910 एफ पी एस में से चयनित गोदामों से सम्बद्ध 90 (10 प्रतिशत) तथा 34,130 राशन कार्ड धारकों में से चयनित एफ पी एस से सम्बद्ध 3,413 (10 प्रतिशत) लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया।

1.2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए मानदण्ड निम्न स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013।
- भारत सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001, 2004 और टी पी डी एस (नियंत्रण) आदेश 2015।
- टी पी डी एस परिचालनों के एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण की योजना के दिशानिर्देश।
- वेयरहाउस मैनुअल, वेयरहाउसिंग के संचालन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 और विभागीय मैनुअल-V।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश और सरकारी आदेश।

1.2.6 प्रवेश एवं बहिर्गमन गोष्ठी

विभाग के साथ 27 फरवरी 2018 को एक प्रवेश गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और मानदण्डों पर चर्चा की गई थी। शासन के साथ 31 अक्टूबर 2018 को एक निकास गोष्ठी भी आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। शासन/विभाग के विचारों को रिपोर्ट में उपयुक्त जगहों पर सम्मिलित किया गया है।

¹⁰ किच्छा और रुद्रपुर (कुमाऊँ), ज्वालापुर और बहादुराबाद (गढ़वाल)।

¹¹ चयनित जनपद उधमसिंह नगर में कोई आंतरिक गोदाम नहीं था, एवं चयनित जनपद पौड़ी के अंतर्गत तहसील श्रीनगर में केवल एक आंतरिक गोदाम था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण एवं पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण

1.2.7 टी पी डी एस संचालन का एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण

विभिन्न चुनौतियों जैसे टी पी डी एस सप्लाई चैन में खाद्यान्न की लीकेज व विपथन; जाली और नकली राशन कार्ड; समावेशन और बहिष्करण त्रुटियाँ; पारदर्शिता की कमी; और कमजोर शिकायत निवारण और सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र पर ध्यान देने हेतु, भारत सरकार ने 'टी पी डी एस के एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण' हेतु एक आयोजनागत योजना आरंभ (दिसम्बर 2012) की। एन एफ एस ए, जो सितम्बर 2013 में अधिनियमित किया गया था, ने भी इस बात पर जोर दिया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विपथन को रोकने हेतु एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण आवश्यक था। योजना के दो कम्पोनेंट¹² थे। **कम्पोनेंट I के अन्तर्गत, लाभार्थी डेटाबेस का डिजिटाइजेशन; एफ पी एस डेटाबेस का सृजन; और भण्डारण गोदाम डेटाबेस का सृजन सितम्बर 2015 में पूर्ण कर लिया गया था। तथापि, सप्लाई चैन मैनेजमेंट का कम्प्यूटरीकरण, जो मार्च 2013 तक पूरा होना था, अपूर्ण था। कम्पोनेंट II के अन्तर्गत एफ पी एस ऑटोमेशन भी अपूर्ण रहा, जबकि इसके पूरा होने की निर्धारित तिथि मार्च 2014 थी। लाभार्थी डेटाबेस के डिजिटाइजेशन में पाई गई कमियों की आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है:**

1.2.7.1 लाभार्थियों के चिन्हीकरण एवं डेटाबेस के डिजिटाइजेशन में देरी

एन एफ एस ए की धारा 10 (1) (बी) में निहित प्रावधानों के अनुसार, लाभार्थी का चिन्हीकरण और डिजिटाइजेशन अधिनियम के शुरू होने के 365 दिनों के भीतर पूरा किया जाना था। इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी 2013 में बजट अनुमोदित किया गया था। चयनित फर्म के साथ जून 2014 को निष्पादित अनुबंध के अनुसार, फर्म को डिजिटाइजेशन फॉर्म में दिये गए सभी अनिवार्य फील्डों से संबन्धित डेटा की प्रविष्टि करनी थी, डेटा प्रविष्टि के बाद प्रविष्टि किए गए डेटा की हार्ड कॉपी प्रदान करनी थी और मूल राशन कार्ड / फॉर्म वापस करना था। डेटा प्रविष्टि का काम पूरा करने के लिए फर्म द्वारा प्रत्येक जिले में न्यूनतम पाँच डेटा एंट्री ऑपरेटर (डी ई ओ) तैनात किए जाने थे और कार्य, अनुबन्ध की तिथि से साठ दिनों के भीतर पूरा किया जाना था।

जनपदों में अपेक्षित कर्मचारियों की तैनाती न होने के कारण, सितम्बर 2014 के पहले सप्ताह तक, फर्म द्वारा 13 जनपदों में से केवल पाँच में ही डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया गया। विभाग द्वारा, फर्म के अनुरोध पर काम पूरा करने का समय दो बार अर्थात् 5 जनवरी 2015 एवं 15 फरवरी 2015 तक बढ़ा दिया गया। इस बीच, फर्म द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण, सभी

¹² **कम्पोनेंट-I:** में राशन कार्ड/लाभार्थियों का डिजिटाइजेशन; एफ पी एस डेटाबेस का सृजन; भण्डारण गोदाम डेटाबेस का सृजन; सप्लाई चैन मैनेजमेंट का कम्प्यूटरीकरण शामिल था।

कम्पोनेंट-II: में एफ पी एस ऑटोमेशन जिसमें लाभार्थियों के प्रमाणीकरण के लिए एफ पी एस पर पॉइंट ऑफ़ सेल (पी ओ एस) उपकरणों की स्थापना, एफ पी एस पर लाभार्थियों को बिक्री की रिकॉर्डिंग और केंद्रीय सर्वर में लेनदेन डेटा अपलोड करना शामिल था।

जिलाधिकारियों को अपने स्तर पर समान निविदा दरों पर कार्य करने के निर्देश (दिसम्बर 2014) दिये गए थे। जैसा कि फर्म विस्तारित अवधि के भीतर डिजिटाइजेशन कार्य को पूरा नहीं कर सकी, अतः शेष कार्य विभाग द्वारा सितम्बर 2015 तक पूरा किया गया। अंततः, राज्य में एक वर्ष की देरी से, अक्टूबर 2015 में एन एफ एस ए लागू किया गया। विभाग द्वारा कार्य में होने वाली देरी और कमियों की अनदेखी करते हुए, अनुबंध को समाप्त करने और एक नई सक्षम फर्म का चयन करने के स्थान पर फर्म को अनुचित समय वृद्धि प्रदान की गयी। परिणामस्वरूप, न केवल एन एफ एस ए के कार्यान्वयन में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ बल्कि 26.26 लाख अपात्र लाभार्थियों को विलम्बित अवधि में खाद्यान्न भी प्रदान किया गया जोकि डिजिटाइजेशन के परिणामस्वरूप निरस्त कर दिये गए थे। इंगित किए जाने पर, संयुक्त आयुक्त ने अवगत कराया (दिसम्बर 2018) कि राज्य में जून 2013 में हुई आपदा के कारण कार्य में देरी हुई तथा कार्य हेतु दिसम्बर 2013 में निविदाएँ आमंत्रित की गयी थीं। राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण, फर्म द्वारा कुछ कठिनाइयाँ व्यक्त की गईं एवं तदनुसार समय वृद्धि प्रदान की गयी थी। आगे कहा गया कि फर्म द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण विभाग द्वारा स्वयं जिला स्तर पर डिजिटाइजेशन कार्य कराया गया था।

1.2.7.2 लाभार्थी डेटाबेस का त्रुटिपूर्ण डिजिटाइजेशन

मई 2018 तक, विभाग विद्यमान राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (ई आर सी एम एस) सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा था। ई आर सी एम एस डेटाबेस को राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (आर सी एम एस) सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित (मई 2018) किया गया। विभाग से, एन एफ एस ए से संबन्धित राशन कार्ड धारकों और इकाइयों का डेटाबेस प्राप्त किया (जून और अगस्त 2018) गया और उसका विश्लेषण किया गया। निम्नलिखित कमियाँ, जो उदाहरणात्मक हैं, पायी गयीं:

- डेटाबेस में अभिलेखों की विशिष्टता और दोहराव की कमी को सुनिश्चित करने हेतु कोई विशिष्ट पहचान फील्ड नहीं थी। राज्य स्तर पर, कई राशन कार्डों को समान आधार नंबर (573 तक) से सम्बद्ध किया गया था। चयनित जनपदों में, टिहरी में 573 राशन कार्ड तक; पौड़ी में 51 राशन कार्ड तक; अल्मोड़ा में 107 राशन कार्ड तक और उधमसिंह नगर में 30 राशन कार्ड तक, एक ही आधार नंबर से सम्बद्ध किए गए थे;
- राज्य में एक ही मतदाता पहचान पत्र से कई (15,729 तक) राशन कार्डों को सम्बद्ध किया गया था। इसके अलावा, राशन कार्डों को, एन ए, यू पी, एन यू एल एल, मल्टीपल जीरो आदि जैसे अनुचित मतदाता पहचान पत्र संख्या से भी सम्बद्ध किया गया था। चयनित जनपदों में, एक ही मतदाता पहचान पत्र के साथ कई राशन कार्डों (आठ तक) को सम्बद्ध किया गया था;
- चयनित जनपदों में एक ही बी पी एल, आई डी के साथ कई राशन कार्डों (38 तक) को सम्बद्ध किया गया था;
- चयनित जनपदों में, समान नाम, वोटर आई डी और एफ पी एस के नाम से कई राशन कार्ड (चार तक) थे; तथा

- राज्य के 13,21,000 राशन कार्डों में से 1,82,515 में आय का विवरण नहीं था। इसी प्रकार, टिहरी में 88,000 में से 12,055 में; पौड़ी में 91,000 में से 35,325 में; अल्मोड़ा में 80,000 में से 15,014 में; और ऊधमसिंह नगर में 2,13,000 राशन कार्डों में से 14,131 में आय के विवरण का उल्लेख नहीं था।

उपर्युक्त कमियों ने दर्शाया कि डेटा को डिजिटाइज़ करते समय न तो सॉफ्टवेयर में इनपुट कंट्रोल और वैलिडेशन चैक्स लागू किए गए और ना ही आवेदकों से प्रामाणिक दस्तावेज अर्थात् वोटर आई डी, बी पी एल आई डी और आधार ही प्राप्त किए गए। इसलिए, विभाग डेटा की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में विफल रहा।

इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया (अक्टूबर, 2018) कि इनपुट कंट्रोल और वैलिडेशन चैक्स को सशक्त किया जा रहा था, और यू आई डी ए आई से आधार संख्या सत्यापित की जा रही थी। उन्होंने आगे अवगत कराया कि लेखापरीक्षा द्वारा डेटाबेस में पाई गई कमियों को जल्द ही संशोधित किया जाएगा।

यद्यपि लाभार्थी डेटाबेस का डिजिटाइजेशन, एफ पी एस डेटाबेस का सृजन और भण्डारण डेटाबेस का सृजन पूरा हो गया था, लगभग एक वर्ष की देरी के बाद लाभार्थियों के डिजिटाइजेशन को कई कमियों के साथ पूरा किया गया था, जैसा कि आधार, वोटर आई डी और बी पी एल आई डी को कई राशन कार्डों से सम्बद्ध किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में एन एफ एस ए के कार्यान्वयन में देरी हुई। तथापि, सप्लाइ चैन मैनेजमेंट और एफ पी एस स्वचालन का कम्प्यूटरीकरण अपूर्ण रहा। इस प्रकार, विभाग पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रहा और एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण का वास्तविक उद्देश्य विफल रहा जैसा कि प्रस्तर संख्या 1.2.9.2, 1.2.10.2 और 1.2.10.3 में चर्चा की गयी है।

राज्य सरकार सप्लाइ चैन और एफ पी एस स्वचालन के उचित कार्यान्वयन के माध्यम से पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न के वितरण को सुनिश्चित कर सकती है।

1.2.8 लाभार्थियों का चिन्हीकरण

एन एफ एस ए से पूर्व, राज्य में कुल 128.75 लाख इकाइयाँ¹³ थीं जो पूर्ववर्ती टी पी डी एस के अंतर्गत आच्छादित थीं। राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन के बाद, एन एफ एस ए के अंतर्गत कुल लाभार्थी 61.92 लाख हो गये थे। राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत अन्य 40.57 लाख लाभार्थी आच्छादित किए गए थे। इस प्रकार, राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन के परिणामस्वरूप 26.26 लाख इकाइयाँ {128.75 - (61.92 + 40.57)} समाप्त की गयीं। इस तथ्य के बावजूद कि लाभार्थी के डेटाबेस का डिजिटाइजेशन कई कमियों से भरा हुआ था, राज्य सरकार पूर्ववर्ती टी पी डी एस में प्रचलित 26.26 लाख अपात्र लाभार्थियों को निरस्त कर सकी। लेखापरीक्षा ने चयनित जनपदों में पात्र

¹³ राशन कार्ड में उल्लिखित सदस्यों की संख्या।

लाभार्थियों की चिन्हीकरण की प्रक्रिया की जाँच की, जिसमें पाई गई कमियों कि चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है:

1.2.8.1 परिवारों के चिन्हीकरण में अनियमितता

भारत सरकार ने वर्ष 2013 में एन एफ एस ए अधिनियमित किया। अधिनियम के अनुसार, उत्तराखण्ड में इस योजना के अंतर्गत 61.94 लाख लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया जाना था। उत्तराखण्ड सरकार ने पात्रता मानदण्ड, पात्र परिवारों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया तथा एन एफ एस ए में आच्छादित करने हेतु जनपद वार आबादी विनिर्दिष्ट करते हुए जारी (जुलाई-अगस्त 2013) किए गए दिशानिर्देश के अनुसार, प्रचलित ए ए वाई और बी पी एल लाभार्थियों के अतिरिक्त, कतिपय परिवारों, जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक हो को, जैसा कि **फुटनोट 6** में उल्लेख किया गया है, का चिन्हीकरण किया जाना था। इनका चिन्हीकरण करने के बाद, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए और अधिक परिवारों को आच्छादित किया गया। इसके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास विभाग (आर डी डी), उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तैयार की गई ग्रामवार बी पी एल सूची को संज्ञान में लिया जाना था तथा शहरी क्षेत्रों में ₹15,000 तक की आय वाले परिवारों को एन एफ एस ए के अंतर्गत आच्छादित किया जाना था। आय प्रमाण हेतु, आय प्रमाणपत्र जो नायब तहसीलदार से नीचे के पद के अधिकारी द्वारा जारी न किया गया हो, आवश्यक था।

इसके अतिरिक्त, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में, लाभार्थियों का चयन ग्राम विकास अधिकारी और लेखपाल द्वारा ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में किया जाना था, और शहरी क्षेत्रों में, पात्र परिवारों का चयन खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय निकाय कर्मिकों द्वारा किया जाना था। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, प्रचलित ए ए वाई और बी पी एल लाभार्थियों के अतिरिक्त एन एफ एस ए के अंतर्गत 38.76 लाख लाभार्थियों का चिन्हीकरण नीचे **तालिका-1.2.2** में दिए गए विवरणानुसार की गई:

तालिका-1.2.2: एन एफ एस ए के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों का विवरण

(आँकड़े लाख में)

अवधि	ए ए वाई		बी पी एल		ए पी एल		योग	
	कार्ड	इकाई	कार्ड	इकाई	कार्ड	इकाई	कार्ड	इकाई
एन एफ एस ए से पूर्व	1.91	8.26	3.07	14.90	23.20	105.59	28.18	128.75
एन एफ एस ए के बाद	ए ए वाई		प्राथमिक परिवार (पी एच एच)				योग	
	कार्ड	इकाई	कार्ड		इकाई		कार्ड	इकाई
	1.82	7.69	11.38		54.23		13.20	61.92

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

चयनित जनपदों¹⁴ की लेखापरीक्षा के दौरान, निम्नलिखित कमियाँ पाई गयीं:

¹⁴ टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और उधमसिंह नगर।

- लाभार्थियों के चिन्हीकरण के लिए उपयोग किए गए आवेदन फॉर्म में अपेक्षित फील्ड जो कि कतिपय परिवारों के चयन के लिए आवश्यक थे जैसा कि फुट नोट 6 में इंगित किया है, नहीं थे। इनकी अनुपस्थिति में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि केवल पात्र लाभार्थी ही योजना के अंतर्गत आच्छादित किए गए थे।
- जनपद उधमसिंह नगर में, आय प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना 2.08 लाख परिवारों¹⁵ को एन एफ एस ए के अंतर्गत राशन कार्ड जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए आय प्रमाणपत्रों की उपलब्धता देखने हेतु दो तहसीलों अर्थात् नई टिहरी की सात तहसीलों में से टिहरी और अल्मोड़ा की सात तहसीलों में से द्वाराहाट के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। अभिलेखों से पता चला कि 795 आवेदनपत्रों¹⁶ में से केवल 258 आवेदनपत्रों¹⁷ के साथ आय प्रमाण पत्र संलग्न पाये गए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के चिन्हीकरण के लिए ग्राम सभाओं की खुली बैठक से संबन्धित अभिलेखों का रख-रखाव किसी भी चयनित जनपद में नहीं पाया गया।
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार की गई बी पी एल सूची पर विचार किया जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्येक नमूना जनपद में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी बी पी एल सूची का रैनडम आधार पर लिए गए एक गाँव के एन एफ एस ए में आच्छादित परिवारों से मिलान किया गया। यह पाया गया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चिन्हित 284 बी पी एल परिवारों में से 114 परिवारों को योजना से बाहर कर केवल 170 परिवारों को एन एफ एस ए के अंतर्गत आच्छादित किया गया था।
- निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास अधिकारियों और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय/आपूर्ति निरीक्षकों के माध्यम से प्रचलित/ नए लाभार्थियों को आवेदन पत्र जारी किए। तत्पश्चात उन्हें वापस एकत्र किया गया और उनके डिजिटाइजेशन के बाद राशन कार्ड जारी किए गए।

इंगित किए जाने पर, तथ्यों को स्वीकारते हुए, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया (अक्टूबर 2018) कि सुधारात्मक उपाय किए जा रहे थे, लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कमियों पर भविष्य में ध्यान दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एन एफ एस ए के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की चिन्हीकरण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एन एफ एस ए के अंतर्गत पात्र परिवारों को शामिल नहीं किया गया और अपात्र परिवारों को शामिल किया गया था, जैसा कि आगामी प्रस्तर में चर्चा की गयी है।

¹⁵ ए ए वार्ड: 17,634 + पी एच एच: 1,90,613 = 2,08,247 (अर्थात् 2.08 लाख)।

¹⁶ टिहरी के 475 और द्वाराहाट के 320।

¹⁷ टिहरी के 255 और द्वाराहाट के तीन।

1.2.8.2 पात्र परिवारों को शामिल न करना और अपात्र परिवारों को शामिल करना

यह सत्यापित करने हेतु कि क्या एन एफ एस ए में आच्छादित किए जाने हेतु पात्र परिवारों का विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार चिन्हीकरण किया गया था और यह सुनिश्चित करने हेतु कि योजनान्तर्गत कोई अपात्र परिवार सम्मिलित नहीं किया गया, जनपद हरिद्वार¹⁸ के दो चयनित गोदामों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रैंडम आधार पर चयनित शहरी मलिन बस्तियों¹⁹, आश्रमों²⁰, अनाथ आश्रमों²¹ और सामान्य बस्तियों²² का एक संयुक्त भौतिक सत्यापन²³ किया गया। जिसमें यह पाया गया कि:

- इस तथ्य के बावजूद कि वे दैनिक मजदूर, भिखारी और रिक्शा चालक आदि की श्रेणी के थे और एन एफ एस ए के अंतर्गत पात्र थे, 147 पात्र परिवारों में से 35 (24 प्रतिशत) को राशन कार्ड जारी नहीं किए गए।
- इस तथ्य के बावजूद कि सभी घरों में मजदूर, रिक्शा चालक, भिखारी, नौकरानी आदि शामिल थे 147 पात्र परिवारों में से 50 (34 प्रतिशत) को एन एफ एस ए (पी एच एच) कार्ड के स्थान पर राज्य खाद्य योजना²⁴ के कार्ड जारी किए गए थे।
- दूसरी ओर, इस तथ्य के बावजूद कि ये परिवार एन एफ एस ए के अंतर्गत आच्छादित किए जाने हेतु पात्र नहीं थे, क्योंकि उनकी मासिक आय ₹18,000 और ₹60,000 के बीच थी, 147 परिवारों में से छः परिवारों (4 प्रतिशत) को एन एफ एस ए (पी एच एच) कार्ड जारी किए गए थे।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार से प्राप्त की गयी सूचना के अनुसार, 2014-15 तक हरिद्वार में 238 एच आई वी रोगी थे। तथापि, डी एस ओ द्वारा एन एफ एस ए के अंतर्गत एच आई वी रोगियों को आच्छादित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।
- इस तथ्य के बावजूद कि दो अनाथ आश्रमों नामतः मातृ आँचल और अनाथ शिशु पालन ट्रस्ट में (अगस्त 2018 तक) क्रमशः 70 और 62 निवासी थे, को राशन कार्ड जारी नहीं किए गए।
- अजरधाम आश्रम के 75 निवासियों में से 45 निवासियों को वंचित रखते हुए, 30 को तीन राशन कार्ड जारी किए गए।

¹⁸ ज्वालापुर एवं बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार।

¹⁹ इन्दिरा बस्ती, बैरागी कैंप और लक्कड़/खत्ता बस्ती (हरिद्वार)।

²⁰ अजरधाम महिला आश्रम और चिदानंद कुष्ठ आश्रम।

²¹ अनाथ शिशु पालन ट्रस्ट हरिद्वार और मातृ आँचल हरिद्वार।

²² सुभाष नगर, पावडोई, गणेशपुरम, कनखल, बहादुराबाद और जगजीतपुर।

²³ जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार के कार्मिकों के साथ भौतिक सत्यापन किया गया।

²⁴ राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत पाँच कि ग्रा गेहूँ ₹ 8.60 प्रति कि ग्रा और 10 कि ग्रा चावल ₹ 15 प्रति कि ग्रा की दर से वितरित किया जाता है जबकि एन एफ एस ए के अंतर्गत रियायती दर ₹ तीन प्रति कि ग्रा चावल तथा ₹ दो प्रति कि ग्रा गेहूँ से अधिक नहीं, दर पर वितरित किया जाता है।

इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया (अक्टूबर 2018) कि अपात्र परिवारों को बाहर करने और एन एफ एस ए के अंतर्गत पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे थे।

यह नमूना जाँच पर आधारित है। सरकार/विभाग को राज्य भर में एन एफ एस ए के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को हटाने तथा पात्र लाभार्थियों को सम्मिलित करने हेतु ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की आवश्यकता है।

पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण करते समय ग्रामीण विकास विभाग की बी पी एल सूची का संज्ञान नहीं लिया गया, लाभार्थियों से आय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों के चयन की निर्दिष्ट प्रक्रिया (जैसे राशन कार्ड जारी करने हेतु आवेदनपत्र में वांछित फील्ड्स का न होना, लाभार्थियों से आय प्रमाणपत्र प्राप्त न करना एवं सभी बी पी एल परिवारों को सम्मिलित न करना इत्यादि) का भी पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को शामिल नहीं किया गया और अपात्र परिवारों को शामिल किया गया।

राज्य सरकार योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के चिन्हीकरण के लिए विशिष्ट पात्रता मानदण्ड एवं प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित सकती है ताकि पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहें। विभाग को अपात्र परिवारों को हटाने और पात्र परिवारों को सम्मिलित करने हेतु लाभार्थी डेटाबेस की आवधिक समीक्षा करनी चाहिए।

1.2.9 खाद्यान्न की अधिप्राप्ति

भारत सरकार द्वारा, अधिप्राप्ति की दक्षता को बढ़ाने और स्थानीय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) का लाभ प्रदान करने के साथ ही पारगमन लागत को बचाने की दृष्टि से वर्ष 1997-98 में खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति (डी सी पी) योजना शुरू की गयी। उत्तराखण्ड राज्य ने 2002-03 और 2003-04 में क्रमशः चावल और गेहूँ के लिए डी सी पी को अपनाया। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार स्वयं और एजेंसियों के माध्यम से भारत सरकार की ओर से एम एस पी पर गेहूँ और धान की अधिप्राप्ति करती है। केंद्र सरकार हर साल इस तरह की अधिप्राप्ति पर किए गए सम्पूर्ण व्यय की, प्रति वर्ष जारी की गयी कॉस्ट शीट के अनुसार प्रतिपूर्ति करती है। डी सी पी के अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है:

1.2.9.1 किसानों को एम एस पी के भुगतान का सत्यापन न किया जाना

2014-15 से 2016-17 के वर्षों के दौरान, कमीशन एजेंटों (सी ए) के माध्यम से 23.45 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई, जिसके सापेक्ष ₹3,701.70 करोड़ का भुगतान किया गया

था। किसानों को एम एस पी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, उत्तराखण्ड सरकार ने (सितम्बर 2014) आदेश जारी किए जिसमें निर्दिष्ट था कि नियत दस्तावेजों²⁵ को सी ए द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों के साथ संलग्न किया जाना था। वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक सी ए संबन्धित ₹ 20.40 करोड़ के 299 भुगतान देयकों की नमूना-जाँच ने कई अनियमितताओं खुलासा किया, जैसा कि नीचे उल्लिखित है:

- 191 मामलों में, 6आर²⁶ फॉर्म में किसानों के हस्ताक्षर नहीं थे।
- 11 मामलों में, 6आर फॉर्म संलग्न नहीं पाया गया।
- 228 मामलों में, 6आर फॉर्म में नीलामी की तारीख²⁷ का उल्लेख नहीं किया गया था।
- सभी मामलों में, किसानों को भुगतान के साक्ष्य, देयकों के साथ संलग्न नहीं पाए गए।

उपरोक्त कमियों के आलोक में, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि सी ए द्वारा किसानों से धान, एम एस पी पर खरीदा गया था। इंगित किए जाने पर, वरिष्ठ क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों, कुमाऊँ और गढ़वाल ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए, अवगत कराया (मई और जून 2018) कि प्रत्येक कार्य दिवस पर खाद्यान्न और परिवहन से संबन्धित 500 बिलों को पारित किया गया था और कार्य के अधिक दबाव के कारण, राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इस प्रकार, विभाग किसानों को एम एस पी का भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहा। विभाग के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त सत्यापन में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई थी, जिसमें सर्वेक्षण में शामिल 32 किसानों²⁸ में से 30 ने कहा था कि उन्हें सी ए द्वारा ₹ 50 से ₹ 100 के बीच एम एस पी से कम कीमत का भुगतान किया गया था।

यह नमूना जाँच पर आधारित है। सरकार/विभाग को सुधारात्मक उपाय करने और बिल पास करते समय यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं।

1.2.9.2 आवश्यक मात्रा से अधिक चीनी की अधिप्राप्ति

भारत सरकार ने चीनी मिलों से लेवी की बाध्यता को हटाने का निर्णय (अप्रैल 2013) लिया और एक नई योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से चीनी का क्रय किया जाना

²⁵ सी ए द्वारा 9 आर में, 6 आर की स्व-प्रमाणित प्रति (इस साक्ष्य के रूप में कि अधिप्राप्ति किसानों से की गयी है), किसानों को उनसे अधिप्राप्त धान के सापेक्ष किए गए भुगतान का साक्ष्य, मंडी लेबर चार्ज के भुगतान का साक्ष्य और खरीद पर भुगतान किए गए वैट का साक्ष्य संलग्न करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

²⁶ कृषि उत्पादन मंडी नियामक के नियम 68 (2) के अनुसार, विनियमित मंडी में विक्रेता को लेन देन का विवरण जैसे किसान का नाम, विक्रय की गई मात्रा, नीलामी की तारीख, बिक्री की दर और किसानों के हस्ताक्षर दर्ज करने हेतु फॉर्म 6 आर जारी किए जाते हैं।

²⁷ राज्य सरकार के (अक्टूबर 2013) के आदेश के अनुसार किसानों को एम एस पी सुनिश्चित करने हेतु मंडी में नीलामी की जानी थी।

²⁸ सर्वे हेतु आर एफ सी गढ़वाल के नियंत्रण में संचालित दो खरीद केन्द्रों यथा ज्वालापुर और बहादुरबाद से किसानों की सूची प्राप्त की गयी थी।

था और भारत सरकार द्वारा प्रचलित आवंटित मात्रा तक, टी पी डी एस के अंतर्गत ₹13.50 प्रति किलोग्राम खुदरा मूल्य की दर से वितरित मात्रा के सापेक्ष, ₹18.50 प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करनी थी। यह देखा गया कि 2015-16 और 2016-17 के दौरान 1.31 लाख²⁹ मीट्रिक टन की आवश्यक मात्रा के सापेक्ष ₹489.69 करोड़ मूल्य की 1.46 लाख मीट्रिक टन चीनी का क्रय किया गया, जो 0.15 लाख मीट्रिक टन अधिक थी। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि एन एफ एस ए के कार्यान्वयन के बाद, राशन कार्ड और इकाइयों की संख्या में क्रमशः 5.09 लाख और 26.26 लाख की कमी आई, लेकिन तदनुसार निर्धारण नहीं किया गया और प्रचलित आवंटन के अनुसार चीनी की मात्रा का क्रय किया गया। इससे भारत सरकार को सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करने के कारण ₹28.55 करोड़³⁰ की हानि हुई। इंगित किए जाने पर, मुख्य विपणन अधिकारी ने अवगत कराया (जून 2018) कि क्रय राज्य के निर्धारित कोटे के अनुसार किया गया और क्रय की गई चीनी को मौजूदा लाभार्थियों को वितरित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लाभार्थियों की संख्या में आई कमी पर ध्यान नहीं दिया गया तथा वास्तविक आवश्यकता से अधिक चीनी के क्रय किए जाने से 0.15 लाख मीट्रिक टन अधिक का वितरण किया गया। इस तथ्य के बावजूद कि लाभार्थियों की संख्या में 26.26 लाख की कमी आई, वास्तविक आवश्यकता से 0.15 लाख मीट्रिक टन अधिक चीनी का क्रय एवं वितरण किया गया। इस प्रकार, अतिरिक्त चीनी की खुले बाजार में बिक्री की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

1.2.9.3 सूखन पर ₹ 38.98 लाख का अतिरिक्त भुगतान

भारत सरकार द्वारा जारी कॉस्ट शीट के अनुसार, मिलर्स को एम एस पी पर एक प्रतिशत की दर से सूखन³¹ का भुगतान किया जाना था। अभिलेखों (अगस्त 2018) की नमूना जाँच के दौरान, यह देखा गया कि वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में, सूखन पर एक प्रतिशत के स्थान पर एम एस पी के सौ प्रतिशत की दर से मिलर्स को भुगतान किया गया था। परिणामस्वरूप, सात मिलर्स³² को ₹38.98 लाख जैसा कि परिशिष्ट-1.2.3 में वर्णित है का अधिक भुगतान किया गया था। इंगित किये जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया (अक्टूबर 2018) कि सूखन का भुगतान एम एस पी के एक प्रतिशत की दर से किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भुगतान एक प्रतिशत के बजाय एम एस पी के सौ प्रतिशत पर किया गया था।

²⁹ अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015: कुल इकाइयों 1,28,75,210x0.5 कि ग्रा. x 6 माह/1,000=38,625.63 मीट्रिक टन, अक्टूबर 2015 से मार्च 2017: कुल इकाइयों: 1,02,49,007x0.5 कि ग्रा. x 18 माह/1,000=92,241.063 मीट्रिक टन
कुल = 38,625.63 + 92,241.063 = 1,30,866.693 मीट्रिक टन (अर्थात् 1.31 लाख मीट्रिक टन)।

³⁰ भारत सरकार को हानि: चीनी की अतिरिक्त मात्रा (15,432.807 मीट्रिक टन अर्थात् 0.15 लाख मीट्रिक टन) x ₹ 18,500 प्रति मीट्रिक टन = ₹ 28.55 करोड़।

³¹ धान अधिकतम 17 प्रतिशत नमी पर खरीदा जाता है और 14 प्रतिशत से 15 प्रतिशत नमी पर मिलिंग की जाती है; खरीद और मिलिंग के दौरान हुए नुकसान को सूखन कहा जाता है।

³² महावीर राइस मिल ज्वालापुर, हरिद्वार; गंगा राइस मिल, रुड़की; बालाजी राइस मिल, बहादुराबाद; शिवालिक राइस मिल, बहदुराबाद, हरिद्वार; एस आर उद्योग, कोटद्वार; गणेश राइस मिल, हरिद्वार; और के पी इंडस्ट्रीज मंगलौर, हरिद्वार।

1.2.9.4 धान/ चावल की गुणवत्ता की जाँच

धान की अधिप्राप्ति करते समय मंडियों में केवल नमी की जाँच की जाती है। अधिप्राप्ति के बाद, कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को धान उपलब्ध कराया जाता है। बेस गोदाम में कस्टम मिल्ड चावल प्राप्त करते समय चावल की गुणवत्ता की जाँच निर्धारित गुणवत्ता मानकों जैसे टूटे हुए अनाज, फ़ॉरेन मैटर्स, क्षतिग्रस्त/आंशिक क्षतिग्रस्त अनाज, बदरंग अनाज, चाकी अनाज, लाल अनाज, डिहस्कड अनाज, इत्यादि (परिशिष्ट-1.2.4) के अनुसार की जाती है। इन जाँचों के संचालन के लिए बेस गोदामों में डिस्पेंसिंग बैलेंस, स्कूप सेट, पॉम हस्कर, चिमटी, सीड कैलिपर, पेट्री डिश, नमी मीटर, डी-हस्क सेट, इत्यादि उपकरण होना आवश्यक है। मिलर्स से चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूनाकरण और विश्लेषण विधि, भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) (परिशिष्ट-1.2.5) द्वारा दी गई विधि के अनुसार किया जाना था।

आर एफ सी के अंतर्गत संचालित गोदामों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि मिलर्स से प्राप्त प्रत्येक चावल की लॉट के सापेक्ष विश्लेषण रजिस्टर में लगभग समान विनिर्देश (निर्धारित सीमा के अन्दर) दर्ज किए गए थे। तथापि, गोदामों में चयन विधि और गुणवत्ता विश्लेषण के समर्थन में दस्तावेजों का रख-रखाव नहीं पाया गया। इन दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि मिलर्स से चावल प्राप्त करते समय निर्धारित गुणवत्ता जाँच की गई थी। इसे, इन तथ्यों के प्रकाश में भी देखा जा सकता है कि अक्टूबर 2017 में की गई एक विभागीय जाँच के दौरान, 0.06 लाख मीट्रिक टन घटिया चावल पाया गया। इसके अतिरिक्त, चयनित बेस गोदामों के भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि विभाग द्वारा गेहूँ, धान और चावल की गुणवत्ता जाँच हेतु बेस गोदामों/केन्द्रों को कोई उपकरण अधिप्राप्त या उपलब्ध नहीं कराये गए। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया (अक्टूबर 2018) कि नवीनतम परीक्षण किट और उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए कार्यवाही की जा रही थी।

किसानों को एम एस पी का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को लाभ नहीं मिला। वास्तविक आवश्यकता से चीनी की अधिक अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के कारण भारत सरकार को ₹ 28.55 करोड़ का नुकसान हुआ एवं खुले बाजार में अतिरिक्त चीनी की बिक्री की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

राज्य सरकार सी ए के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति करते समय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कर सकती है।

1.2.10 उठान और वितरण

विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार, एम एस पी योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की अधिप्राप्ति भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई), किसानों, सी ए और सहकारिता विभाग से की जाती है। अधिप्राप्ति के पश्चात, खाद्यान्न आर एफ सी के नियंत्रण में संचालित बेस/रेलहेड गोदामों में भण्डारित किए जाते

हैं। आगे, एफ पी एस के माध्यम से लाभार्थियों को वितरित किए जाने हेतु डी एस ओ के नियंत्रण में संचालित शासकीय आंतरिक गोदामों (जनपद की तहसील में स्थित) को उनकी माँग के अनुसार, खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। राशन कार्ड धारकों को केंद्रीय निर्गमन दर³³ पर खाद्यान्न वितरित किया जाता है। खाद्यान्न के उठान और वितरण की प्रक्रिया को दर्शाने वाला एक पिक्टोग्राफ **परिशिष्ट-1.2.6** में दर्शाया गया है। खाद्यान्नों के उठान और वितरण में पाई गई कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तर में की गई है:

1.2.10.1 देरी से खाद्यान्न का उठान

राज्य सरकार ने निर्देश दिया (जनवरी 2011) कि प्रत्येक माह आवंटन के अनुसार पूरी मात्रा में खाद्यान्न, आर एफ सी³⁴ द्वारा आंतरिक गोदामों को पूर्ववर्ती माह की 23 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रत्येक माह के प्रथम 15 दिन के भीतर लाभार्थियों को वितरण किए जाने हेतु खाद्यान्न, पूर्ववर्ती माह की 23 तारीख से महीने के आखिरी दिन के बीच आंतरिक गोदामों से एफ पी एस को आपूर्ति की जानी चाहिए। चयनित जनपदों के अभिलेखों के अनुसार, खाद्यान्न के उठान, आपूर्ति और वितरण में देरी का विवरण नीचे **तालिका-1.2.3** में दिया गया है:

तालिका-1.2.3 खाद्यान्न के उठान, आपूर्ति और वितरण में देरी का विवरण

एजेंसी का नाम	खाद्यान्न के उठान की तिथि	देरी
बेस गोदाम से आंतरिक गोदाम	पिछले माह की 23 तारीख तक	38 दिन तक
आंतरिक गोदाम से एफ पी एस	पिछले माह की 23 तारीख से अंतिम दिन तक	30 दिन तक
लाभार्थियों को वितरण	वर्तमान माह की 15 तारीख तक	एक से 15 दिन तक

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

विभिन्न स्तरों पर आपूर्ति में देरी ने अंततः पात्र लाभार्थियों को प्रभावित किया, जैसा कि लाभार्थी सर्वे से पुष्टि हुई, जिसमें 3,413 में से 3,218 लाभार्थियों (94.28 प्रतिशत) ने अवगत कराया था कि उन्हें खाद्यान्न देरी से मिल रहा था। इस प्रकार, पात्र लाभार्थियों को समय से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित नहीं किया गया। इंगित किए जाने पर, डी एस ओ पौड़ी और अल्मोड़ा ने अवगत कराया (मार्च- अप्रैल 2018) कि आंतरिक गोदामों पर अपर्याप्त भण्डारण स्थान और परिवहन वाहनों की कमी के कारण, खाद्यान्न का समय पर उठान और वितरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दुर्गम और पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित गोदामों में भण्डारण क्षमता की भारी कमी देरी का कारण थी। उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना है कि विभाग लेखापरीक्षा अवधि के दौरान गोदामों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने में विफल रहा और उनके पास कोई ठोस योजना नहीं थी, जैसा कि **प्रस्तर संख्या 1.2.11.4** में चर्चा की गई है।

³³ गेहूँ: ₹ दो प्रति कि ग्रा, चावल: ₹ तीन प्रति कि ग्रा।

³⁴ गढ़वाल मण्डल के जनपदों हेतु आर एफ सी, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल के जनपदों हेतु आर एफ सी, कुमाऊँ।

डी एस ओ टिहरी के अंतर्गत गजा में, जो चयनित आंतरिक गोदाम में से एक था, को रैंडमली जाँच हेतु लिया गया था, यह पाया गया था कि भण्डारण क्षमता में 94.16 मीट्रिक टन की कमी थी। इसके अतिरिक्त, टिहरी और अल्मोड़ा के चयनित जनपदों के निविदा दस्तावेजों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि जिन ट्रांसपोर्टरों के पास केवल एक या दो ट्रक थे, उनके साथ, एक से अधिक गोदामों हेतु परिवहन अनुबंध किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यकता के अनुसार ट्रकों की उपलब्धता नहीं थी। ट्रक मालिकों को समय पर खाद्यान्न के उठान हेतु पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध न कराने हेतु नोटिस भी जारी किए गए थे। इंगित किए जाने पर, डी एस ओ अल्मोड़ा ने तथ्यों (दिसम्बर 2018) को स्वीकार किया और अवगत कराया कि भविष्य में परिवहन अनुबंधों के संबन्ध में सावधानी बरती जाएगी।

1.2.10.2 चावल और गेहूँ का अधिक वितरण

विभाग द्वारा प्रदान की गयी प्रचलित राशन कार्ड और इकाइयों की संख्या, जैसा कि **परिशिष्ट-1.2.7** और **परिशिष्ट-1.2.7 अ** में वर्णित है, के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित मापदंडों³⁵ के अनुसार बी पी एल और पी एच एच के लिए चावल और गेहूँ की आवश्यकता का आंकलन किया गया था। यह पाया गया कि वितरण वास्तविक आवश्यकता से अधिक किया गया था, जैसा कि नीचे **तालिका-1.2.4** में उल्लिखित है:

तालिका-1.2.4: वास्तविक आवश्यकता से अधिक वितरण का विवरण

(मात्रा लाख मीट्रिक टन में)

अवधि	श्रेणी	चावल					गेहूँ				
		आरक्यू*	ए	एल	डी	अधिक	आरक्यू*	ए	एल	डी	अधिक
2013-14 - 2017-18	ए ए वाई	2.60	2.60	2.67	2.66	0.06	1.32	1.33	1.36	1.34	0.02
2013-14 - सितम्बर 2015	बी पी एल	2.14	2.37	2.56	2.58	0.44	1.09	1.14	1.27	1.30	0.21
अक्टूबर 2015 - 2017-18	पी एच एच	4.88	5.02	5.11	5.01	0.13	3.25	3.08	3.15	3.11	0.00
योग		9.62	9.99	10.34	10.25	0.63	2.41	5.55	5.78	2.64	0.23³⁶

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

आर क्यू - आवश्यक मात्रा, ए - आवंटन, एल - उठान और डी - वितरण।

(*) आवश्यक मात्रा का आंकलन लेखापरीक्षा द्वारा किया गया।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ₹140.13 करोड़ मूल्य का 0.63 लाख मीट्रिक टन चावल और ₹9.83 करोड़ मूल्य का 0.23 लाख मीट्रिक टन गेहूँ (ए ए वाई एवं बी पी एल श्रेणी के लिए) वास्तविक आवश्यकता से अधिक वितरित किया गया था। मापदण्डों के अनुसार, उपरोक्त अवधि के दौरान सभी श्रेणियों में चावल और गेहूँ का आवंटन/वास्तविक आवश्यकता से अधिक उठान था। चयनित जनपदों में भी चावल और गेहूँ का अधिक वितरण देखा गया था, जैसा कि **परिशिष्ट-1.2.8**

³⁵ ए पी एल (चावल 5 कि ग्रा और गेहूँ 10 कि ग्रा प्रति कार्ड); बी पी एल (चावल 23.200 कि ग्रा और गेहूँ 11.800 कि ग्रा प्रति कार्ड); ए ए वाई (चावल 24.600 कि ग्रा और गेहूँ 10.400 कि ग्रा प्रति कार्ड) एन एफ एस ए के कार्यान्वयन के बाद चावल 21.700 कि ग्रा और गेहूँ 13.300 कि ग्रा प्रति कार्ड); पी एच एच (चावल 3.00 कि ग्रा और गेहूँ 2.00 कि ग्रा प्रति इकाई)।

³⁶ गेहूँ की अधिक मात्रा की गणना ए ए वाई व बी पी एल श्रेणी के अंतर्गत की गयी थी।

में वर्णित है। इंगित किए जाने पर, संयुक्त आयुक्त ने अवगत कराया (अगस्त 2018) कि यह डिजिटाइजेशन से पहले राशन कार्डों में दोहराव के कारण था और डिजिटाइजेशन के बाद विभाग ने लगभग 26 लाख इकाइयों को समाप्त कर दिया। उन्होंने आगे अवगत कराया कि राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ इकाइयों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी और निकट भविष्य में खाद्यान्नों के अधिक वितरण की पूरी जाँच की जाएगी।

यह जाँच करने हेतु कि क्या चावल और गेहूँ का अधिक वितरण वास्तव में लाभार्थियों तक पहुँच रहा था, दो चयनित आंतरिक गोदामों (जनपद नई टिहरी का गजा और अल्मोड़ा का बगवाली पोखर) को चुना गया। 2017-18 के दौरान इन गोदामों को किए गए खाद्यान्न के आवंटन और सभी संबद्ध एफ पी एस को खाद्यान्न के वितरण का मिलान प्रत्येक एफ पी एस में मानकों के अनुसार आवश्यकता एवं सम्बद्ध कुल राशन कार्डों/इकाइयों से सत्यापित किया गया था। यह पाया गया कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में चावल और गेहूँ प्रदान किया गया था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका-1.2.5 वर्णित है:

तालिका-1.2.5 दो चयनित आंतरिक गोदामों में आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न के आवंटन का विवरण

(मात्रा कुन्तल में)

आंतरिक गोदाम गजा (टिहरी)							
क्र सं	एफ पी एस का नाम	चावल			गेहूँ		
		आवश्यक	आवंटन	अधिक	आवश्यक	आवंटन	अधिक
1.	गजा	521.844	556.512	34.668	342.156	353.363	11.207
2.	नकोट	749.280	760.554	11.274	-	-	-
3.	पोखरी	45.396	46.266	0.870	29.004	31.411	2.407
4.	लाओवा	119.640	120.430	0.790	-	-	-
5.	अडवानी	177.348	186.313	8.965	-	-	-
6.	बमनगाँव	-	-	-	66.120	68.700	2.580
आंतरिक गोदाम बगवाली पोखर (अल्मोड़ा)							
1.	भटूरा	76.740	87.000	10.260	50.460	58.500	8.040
2.	बाडी	82.140	119.000	36.860	54.060	75.000	20.940
3.	दुगड्डा	181.236	193.500	12.264	-	-	-
4.	वसूली शरा	199.668	243.850	44.182	132.132	215.970	83.838
5.	पनर गाँव	81.504	130.500	48.996	53.496	77.000	23.504
6.	पोखर	67.908	74.500	06.592	-	-	-
7.	तेलमनारी	81.504	87.000	05.496	53.496	55.000	1.504
8.	जाख	65.388	93.450	28.062	42.612	57.360	14.748
9.	दमौली	57.492	72.550	15.058	-	-	-
10.	मेलता	47.220	94.000	46.780	30.780	51.000	20.220

आगे, 16 एफ पी एस में से आठ (गजा में 03 और बगवाली पोखर में 05) के बिक्री रजिस्टर के विश्लेषण से, जैसे कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, उद्घाटित हुआ कि लाभार्थियों को मानकों एवं उनकी ग्राह्यता के अनुसार खाद्यान्न जारी किए गए थे और उन्हें मानकों से अधिक खाद्यान्न जारी नहीं किया गया था। यह इंगित करता है कि एफ पी एस द्वारा प्राप्त गेहूँ और चावल की अधिक मात्रा को डाइवर्ट किया जा सकता है और गैर-लाभार्थियों को बेचा जा सकता है जिसकी जाँच

किये जाने की आवश्यकता है। इंगित किए जाने पर, डी एस ओ, अल्मोड़ा ने अवगत कराया (दिसम्बर 2018) कि इस मामले की जाँच की जाएगी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन से संबन्धित अनुश्रवण तंत्र की कमी थी। एफ पी एस के निरीक्षण में अत्यधिक कमी थी, जैसा कि प्रस्तर संख्या 1.2.13.4 में चर्चा की गयी और सामाजिक लेखापरीक्षा भी संपादित नहीं की गयी थी जैसा कि प्रस्तर संख्या 1.2.13.5 में चर्चा की गयी है। आगे, सतर्कता समिति की बैठकें भी नहीं की गईं, जैसा कि प्रस्तर संख्या 1.2.13.3 में चर्चा की गई है। परिणामस्वरूप, खाद्यान्नों के वितरण से संबन्धित कमियों का पता और सुधारा नहीं जा सका।

यह नमूना जाँच पर आधारित है। गेहूँ और चावल के अधिक वितरण के दृष्टांत की जाँच की आवश्यकता है। आगे, भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के लिए सरकार/विभाग को सुधारात्मक उपाय करने और टी पी डी एस के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यदि विभाग ने एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण लागू किया होता, तो खाद्यान्नों के अधिक वितरण के मामलों से बचा जा सकता था।

1.2.10.3 गोदाम और उससे सम्बद्ध एफ पी एस की भण्डार पंजिका में मिलान न होना

लेखापरीक्षा ने यह जाँच करने के लिए कि क्या आंतरिक गोदामों की भण्डार पंजिका और उनसे सम्बद्ध एफ पी एस की भण्डार पंजिका के बीच विसंगतियां थीं, दो आंतरिक गोदामों अर्थात् गजा और बगवाली पोखर की विस्तृत जाँच की। अल्मोड़ा के चयनित गोदाम बगवाली पोखर से 29 एफ पी एस सम्बद्ध थे। इनमें से वर्ष 2017-18 के पाँच एफ पी एस³⁷ के भण्डार पंजिकाओं का गोदाम की भण्डार पंजिका के साथ मिलान किया गया था। विवरण नीचे तालिका-1.2.6 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.2.6 दो नमूना आंतरिक गोदामों में खाद्यान्न की मात्रा में अंतर का विवरण

(मात्रा कुन्तल में)

खाद्यान्न	आंतरिक गोदाम द्वारा जारी मात्रा		एफ पी एस द्वारा प्राप्त की गयी मात्रा		अंतर		योग		एफ पी एस की भण्डार पंजिका में दर्ज न की गयी मात्रा
	पी एच एच	ए ए वाई	पी एच एच	ए ए वाई	पी एच एच	ए ए वाई	निर्गत	प्राप्त	
चावल	543.40	95.00	441.50	88.00	101.90	7.00	638.40	529.50	108.90
गेहूँ	384.47	85.50	296.50	59.00	87.97	26.50	469.97	355.50	114.47

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि आंतरिक गोदाम से निर्गत की गयी गेहूँ और चावल की मात्रा और एफ पी एस द्वारा प्राप्त मात्रा के बीच विसंगति थी, क्योंकि 108.90 कुन्तल चावल और 114.47 कुन्तल गेहूँ संबन्धित एफ पी एस के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं पाये गए थे। इंगित किए

³⁷ वसूली शेष, तेलमनारी, दुगड़डा, बगुना और रतगुल।

जाने पर, जिला आपूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा ने अवगत कराया कि (दिसम्बर 2018) इस मामले की जाँच की जाएगी।

यह कार्य दुष्कृत था। विभाग जिम्मेदारी तय करने के लिए जाँच शुरू कर सकता है। यदि स्टॉक में चोरी पायी जाती है तो एक एफ आई आर दर्ज करने की भी संस्तुति की जाती।

प्रत्येक स्तर पर खाद्यान्नों के उठान में विलम्ब हुआ था, जिससे बाद में लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण में विलम्ब हुआ। राज्य भर में चावल और गेहूँ का अधिक वितरण हुआ। आगे, एफ पी एस को आवश्यकता से अधिक मात्रा में चावल और गेहूँ उपलब्ध कराया गया था, लेकिन लाभार्थियों को उनकी स्वीकार्यता और मानकों के अनुसार खाद्यान्न जारी किया गया था इसने यह इंगित किया कि एफ पी एस द्वारा प्राप्त गेहूँ और चावल की अधिक मात्रा गैर-लाभार्थियों को बेची जा सकती है। विभाग को इस तरह के दुराचरण से बचने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एफ पी एस स्वचालन को लागू करने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करे और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित चावल और गेहूँ के अधिक वितरण के प्रकरणों की जाँच करे। विभाग ऐसे और अधिक प्रकरणों को चिन्हित करने के लिए सभी जिलों में इस जाँच का विस्तार कर सकता है।

1.2.11 खाद्यान्न का परिवहन और भण्डारण

निर्धारित समय-सीमा के अंदर पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करने के हेतु टी पी डी एस के अंतर्गत खाद्यान्नों का यथासमय और प्रभावी परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है। एफ सी आई डिपो से बेस गोदामों तक तथा आगे एक बेस गोदाम से दूसरे बेस गोदाम तक मण्डल स्तर पर आर एफ सी द्वारा एवं बेस गोदामों से आंतरिक गोदामों तक जिला स्तर पर जिला आपूर्ति अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों के परिवहन हेतु ठेकेदारों के चयन लिए निविदा प्रक्रिया की गई थी। आगे, पात्र लाभार्थियों को गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए गोदामों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का उचित भण्डारण बहुत आवश्यक है। खाद्यान्नों के परिवहन और भण्डारण की प्रक्रिया में पाई गई कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है:

1.2.11.1 परिवहन दरों का अनियमित निर्धारण

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने सितम्बर 2013 में राज्य में माल ढुलाई के लिए दरें³⁸ निर्धारित की थी। खाद्यान्न के परिवहन के लिए प्रत्येक मार्ग हेतु क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक द्वारा अलग-अलग निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। गढ़वाल में पहले 15 किलोमीटर और कुमाऊँ क्षेत्र में पहले 8 किलोमीटर की दर के आधार पर निविदाओं का आंकलन किया जाता है। प्रत्येक नमूना जाँच किए गए मार्गों में निविदायें, न्यूनतम निविदा दर को आवंटित की गई। तथापि, एक ही क्षेत्र में विभिन्न

³⁸ 25 पैसे प्रति कुन्तल प्रति किलोमीटर मैदानी क्षेत्रों में एवं 38 पैसे प्रति कुन्तल प्रति किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्रों में।

मार्गों की न्यूनतम निविदा दर में व्यापक अन्तर था। सबसे कम निविदा दर की तुलना में गढ़वाल में 47 प्रतिशत से 111 प्रतिशत तक अधिक दरें देखी गईं तथा कुमाऊँ में सबसे कम निविदा दरों की तुलना में 34 प्रतिशत से 201 प्रतिशत तक अधिक दर को अनुमोदित किया गया (परिशिष्ट-1.2.9)।

आगे, राज्य सरकार के आदेश (मार्च 2014) में कहा गया है कि परिवहन की दरें निर्धारित करते समय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, एफ सी आई, पी डब्ल्यू डी, सिंचाई विभाग और परिवहन यूनियनों की परिवहन दरों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, परिवहन आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट दरों की तुलना में गढ़वाल में 260 प्रतिशत से 1,000 प्रतिशत तक एवं कुमाऊँ में 397 प्रतिशत से 2,410 प्रतिशत तक बढ़ी हुई दरें अनुमोदित की गई थीं (परिशिष्ट-1.2.9)।

गढ़वाल में ट्रांसपोर्टर्स/हैंडलिंग ठेकेदारों, जो केवल दो ट्रकों के मालिक थे, का चयन इस तथ्य के बावजूद किया गया कि उन्हें दो या तीन स्थानों (परिशिष्ट-1.2.10) पर परिवहन हेतु अनुबंधित किया गया था।

इंगित किए जाने पर प्रमुख सचिव द्वारा दोनों मण्डलों (गढ़वाल और कुमाऊँ) की परिवहन दरों में अंतर को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि परिवहन दरों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, दोनों मण्डलों से परिवहन आयुक्त द्वारा जारी दरों पर विचार करते हुए प्रस्ताव प्राप्त किए जा रहे थे।

1.2.11.2 खाद्यान्न का भण्डारण प्रबंधन

विभाग के अंतर्गत दो प्रकार के गोदाम अर्थात् बेस गोदाम और आंतरिक गोदाम संचालित थे। डी सी पी के अंतर्गत अधिप्राप्त एवं एफ सी आई से उठाये गये खाद्यान्नों को बेस गोदामों में भण्डारण किया गया था और आगे, जनपदों में मुख्य रूप से ब्लॉक/तहसील स्तर पर स्थित आंतरिक गोदामों को आपूर्ति की गई थी। मार्च 2018 तक, विभाग के पास 1.04³⁹ लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले 197 गोदाम थे, जिनमें से 87 (44.16 प्रतिशत) गोदाम किराए के भवनों में चालू थे।

1.2.11.3 अपर्याप्त क्षमता

भारत सरकार के आदेशों (सितम्बर 2014 से लागू) के अनुसार, पृथक रूप से प्रत्येक आवंटन माह हेतु खाद्यान्न के उठान की वैधता अवधि, आवंटन माह से पूर्ववर्ती माह के प्रथम दिन से आरंभ करते हुए, 30 दिन है। तदनुसार, विभाग ने सूचित किया कि खाद्यान्नों का समय पर उठान और वितरण सुनिश्चित करने के लिए दो महीने के आवंटन हेतु भण्डारण क्षमता आवश्यक है। राज्य के लिए खाद्यान्न आवंटन के सापेक्ष बेस गोदामों की भण्डारण क्षमता का विवरण नीचे दी गई तालिका-1.2.7 में दर्शाया गया है:

³⁹ विभागीय गोदामों की क्षमता: 76,349.00 मीट्रिक टन + किराए के गोदामों की क्षमता: 27,453.400 मीट्रिक टन = 1,03,802.400 मीट्रिक टन (अर्थात् 1.04 लाख मीट्रिक टन)।

तालिका-1.2.7 : खाद्यान्न के आवंटन के सापेक्ष बेस गोदामों की क्षमता का विवरण

(क्षमता लाख मीट्रिक टन में)

गोदाम का प्रकार	वार्षिक आवंटन	उपलब्ध भण्डारण क्षमता	आवंटन के अनुसार आवश्यक क्षमता	क्षमता में कमी (प्रतिशतता)
बेस गोदाम, गढ़वाल	2.91	0.27	0.49	0.22 (45)
बेस गोदाम, कुमाऊँ	2.14	0.20	0.36	0.16 (44)
आंतरिक गोदाम	5.05	0.57	0.84	0.27 (32)

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य भर में मंडल स्तर पर 44 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक तथा जनपद स्तर पर 32 प्रतिशत तक भण्डारण क्षमता की कमी थी। भण्डारण क्षमता की कमी के कारण लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण में विलम्ब हुआ, जैसा कि प्रस्तर 1.2.10.1 में चर्चा की गई है। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने स्वीकार किया कि, भण्डारण क्षमता की अत्याधिक कमी थी एवं अगले पाँच वर्षों में 43 गोदामों के निर्माण हेतु, अप्रैल 2018 में एक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था।

1.2.11.4 गोदामों का निर्माण

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राज्य में नए गोदामों के निर्माण द्वारा भण्डारण क्षमता में वृद्धि के लिए विभाग के पास कोई योजना नहीं थी। अगले पाँच वर्षों के दौरान चरणबद्ध तरीके से नए गोदामों के निर्माण की योजना, केवल अप्रैल 2018 में ही तैयार की गई थी। इसीलिए, विभाग कम भण्डारण क्षमता की बाधाओं को दूर करने में विफल रहा। आगे, यह पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि में बनाए जा रहे चार गोदामों का निर्माण कार्य पहुँच मार्ग की अनुपलब्धता; कार्यदायी संस्था को शेष धनराशि का अवमुक्त न किया जाना; एवं निर्माण स्थल पर कठोर चढ़ान पाये जाने के कारण अपूर्ण रहा। विवरण परिशिष्ट-1.2.11 में दिया गया है। इंगित किए जाने पर, संयुक्त आयुक्त द्वारा तथ्यों को स्वीकार (जून 2018) किया गया।

1.2.11.5 गोदामों में उपकरणों / सुविधाओं का अभाव

मैनुअल फॉर ऑपरेशनलाईजिंग ऑफ वेयरहाउसिंग (डैवलपमेंट रेगुलेशन) एक्ट, 2007⁴⁰ के अनुलग्नक-II के अनुसार, उचित भण्डारण प्रबंधन के लिए प्रत्येक गोदाम में बुनियादी उपकरण/सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। चयनित जनपदों टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा; एवं आर एफ सी कुमाऊँ और गढ़वाल के अभिलेखों की संवीक्षा में अनेक कमियाँ पाई गई, जैसा कि नीचे दी गई तालिका-1.2.8 में दर्शाया गया है:

⁴⁰ विभाग ने अपना स्टोरेज मैनुअल तैयार नहीं किया था। उसकी अनुपस्थिति में, भारत सरकार द्वारा जारी वेयरहाउस मैनुअल का प्रयोग बेंचमार्किंग के लिए किया गया।

तालिका-1.2.8: गोदामों में उपलब्ध बुनियादी उपकरणों / सुविधाओं का विवरण।

जनपद/मंडल का नाम	कुल गोदामों की संख्या	कुल गोदामों में से, गोदामों में सुविधाओं की अनुपलब्धता						
		धर्म कांटा	अग्नि शामक	रात्रि रोशनी	धूमन आवरण	कीटनाशक	संरक्षित परिसीमा	प्रवेश/निकास द्वार
टिहरी	27	27	27	27	27	27	26	27
पौड़ी	22	22	22	22	22	22	22	22
अल्मोड़ा	15	15	15	15	15	15	15	08
आर एफ सी गढ़वाल	12	12	12	12	12	12	07	06
आर एफ सी कुमाऊँ	10	10	10	10	10	10	00	01

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

इसलिए, भण्डारण गोदामों में मैनुअल के अनुसार आवश्यक बुनियादी उपकरणों और सुविधाओं का अभाव था। आगे, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और बेस गोदामों (कुमाऊँ क्षेत्र, और गढ़वाल क्षेत्र) के 15 चयनित गोदामों (विभागीय आठ और किराए पर सात) के भौतिक सत्यापन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गयीं:

- गोदामों के लिए कोई उचित स्टैक योजना नहीं थी; खाद्यान्नों के बोरो को उचित तरीके से नहीं रखा गया था; उचित प्रविष्टियों के साथ स्टैक कार्ड नहीं रखे गए थे; धूमन चार्ट और नागरिक चार्टर प्रदर्शित नहीं किए गए थे और कीटनाशक पंजिका का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।
- इसके अतिरिक्त, बेस गोदाम किच्छा और रुद्रपुर (उधमसिंह नगर) जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे और खाद्यान्न बहुत ही अव्यवस्थित और अस्वच्छ स्थिति में भण्डारित थे क्योंकि गोदाम की छत क्षतिग्रस्त होने के कारण बारिश का पानी गोदाम के अंदर संचित था, जैसा कि निम्नलिखित तस्वीरों में देखा जा सकता है:



चित्र 1.2.1: रुद्रपुर (उधमसिंह नगर) में गोदाम की जीर्ण शीर्ण स्थिति

चित्र 1.2.2 एवं 1.2.3: किच्छा (उधमसिंह नगर) में गोदाम की छत क्षतिग्रस्त होने के कारण गोदाम में एकत्र वर्षा का पानी

इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया (अक्टूबर 2018) कि इस प्रयोजन हेतु एक विभागीय मैनुअल तैयार किया जा रहा था और विभागीय गोदामों को आवश्यक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया था।

परिवहन दरों के निर्धारण के समय, परिवहन आयुक्त की निर्दिष्ट दरों पर विचार नहीं किया गया और विभिन्न ट्रांसपोर्टों के लिए अनुमोदित परिवहन दरों में एकरूपता नहीं थी। भण्डारण क्षमता की अत्यधिक कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न उठाने में विलम्ब हुआ। तथापि, विभाग के पास भण्डारण क्षमता बढ़ाने की कोई योजना नहीं थी। आगे, गोदामों में मूलभूत उपकरणों और सुविधाओं का भी अभाव था।

राज्य सरकार समय से खाद्यान्न के उठान व लाभार्थियों को वितरण हेतु गोदामों की भण्डारण स्थिति में सुधार एवं भण्डारण क्षमता में वृद्धि करना सुनिश्चित कर सकती है।

1.2.12 वित्तीय प्रबंधन

1.2.12.1 निधियों की उपलब्धता और उपयोग

विभाग के अन्तर्गत दो मुख्य शीर्ष अर्थात् 2408 "खाद्य, भण्डारण एवं भण्डारगृह" तथा 4408 "खाद्य, भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूँजीगत परिव्यय" संचालित थे। अधिप्राप्ति, भण्डारण एवं खाद्यान्नों के वितरण से संबन्धित व्यय 4408 के अन्तर्गत इन्द्राज किया जाता है जबकि अधिष्ठान एवं खाद्यान्नों के परिवहन से संबन्धित व्यय 2408 के अन्तर्गत इन्द्राज किया जाता है। उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के प्रस्तर 16 के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आंकलन यथासंभव सटीक हों, हर सावधानी बरती जानी चाहिए। आगे, मैनुअल के प्रस्तर 30 के अनुसार, बजट आंकलन तैयार करते समय पिछले तीन वर्षों के वास्तविक व्यय के औसत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान मुख्य शीर्ष 4408 के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता और उपयोगिता का विवरण नीचे तालिका-1.2.9 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.2.9: निधियों की उपलब्धता और उपयोगिता का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्त निधियाँ	किया गया व्यय	बचत (प्रतिशत)
2013-14	2,211.00	1,840.70	370.30 (16.75)
2014-15	2,303.50	1,751.82	551.68 (23.95)
2015-16	2,314.52	2,218.45	96.07 (4.15)
2016-17	2,351.66	2,253.75	97.91 (4.16)
2017-18	2,369.27	1,341.43	1,027.84 (43.38)

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

इस प्रकार, विभाग ने 2013-14, 2014-15 और 2017-18 में बजट की अधिक्य माँग प्रस्तुत की थी। इसके परिणामस्वरूप, 16.75 प्रतिशत, 23.95 प्रतिशत और 43.38 प्रतिशत की उल्लेखनीय बचत हुई। इसने अपूर्ण बजट प्रबंधन को इंगित किया। इंगित किए जाने पर, वित्त नियंत्रक ने अवगत कराया कि (दिसम्बर 2018) बजट की माँग आवश्यकता के अनुसार की गई थी; और पुनः अवगत कराया कि भविष्य में सभी सावधानियाँ बरती जाएंगी।

1.2.12.2 ₹19.35 करोड़ की हानि

गेहूँ और धान की अधिप्राप्ति हेतु किसानों को तत्काल भुगतान करने के लिए, निधियों की कमी की स्थिति में, राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) से नगद साख सीमा (सी सी एल) प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया था। मार्च 2015 और जनवरी 2016 में आर बी आई से क्रमशः ₹115.85 करोड़ और ₹400 करोड़ की सी सी एल प्राप्त की गई थी, जिसके सापेक्ष आर बी आई को ब्याज सहित, ₹535.20 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था। यह पाया गया कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 2014-15 और 2015-16 में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ (अप्रैल) में गेहूँ और धान की अधिप्राप्ति हेतु ₹2,000 करोड़ की धनराशि विभाग को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके सापेक्ष क्रमशः ₹1,494.62 करोड़ और ₹1,965.29 करोड़ व्यय किए गए। इस प्रकार, दो वर्षों के दौरान क्रमशः ₹505.38 करोड़ और ₹34.71 करोड़ की धनराशि अव्ययित थी। विभाग के पास पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध होने के बावजूद आर बी आई से ₹515.85 करोड़ की सी सी एल प्राप्त की गई थी। परिणामस्वरूप, सी सी एल के सापेक्ष आर बी आई को किए गए ब्याज के भुगतान के कारण विभाग को ₹19.35 करोड़ की हानि हुई। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया (अक्टूबर 2018) कि रबी विपणन सत्र⁴¹ में गेहूँ और खरीफ विपणन सत्र⁴² में चावल की अधिप्राप्ति हेतु, वार्षिक बजट की स्वीकृति की प्रत्याशा में, किसानों, मिलर्स और सी ए को यथा समय भुगतान हेतु सी सी एल ली गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सम्बन्धित वित्तीय वर्षों में गेहूँ और धान की अधिप्राप्ति करने हेतु पूरे वित्तीय वर्ष में पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध थीं।

1.2.12.3 भारत सरकार से ₹680.66 करोड़ की लंबित सब्सिडी

डी सी पी हेतु उत्तराखण्ड सरकार और भारत सरकार के बीच निष्पादित समझौता जापन (एम ओ यू) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अंतिम समायोजन पर लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार को डी सी पी पर सब्सिडी का नियत आकस्मिक व्यय⁴³ का 100 प्रतिशत और शेष आकस्मिक व्यय का 95 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। 2013-14 से 2017-18 के दौरान, भारत सरकार को ₹2,766.21 करोड़ के सब्सिडी के दावे प्रस्तुत किए गए थे, जिसके सापेक्ष भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा 2008-09 से 2017-18 तक के लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत न किए जाने के कारण ₹680.66 करोड़ रोकते हुए केवल ₹2,085.55 करोड़ का भुगतान किया। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) 2006-07 तक के लेखे भारत सरकार को भेजे गए थे; 2007-08 से 2009-10 तक के वर्षों के लेखे तैयार किए गए थे और बाद के वर्षों के लिए खातों को तैयार करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही थी।

⁴¹ अप्रैल से जून।

⁴² अक्टूबर से जनवरी।

⁴³ एम एस पी, बोनस, वैट सहित कर, मिलिंग प्रभार, सूखन।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि विभाग 2007-08 के बाद से वार्षिक लेखापरीक्षित लेखों को भारत सरकार को प्रस्तुत करने में विफल रहा जिसके कारण यह भारत सरकार से पूर्ण अनुदान राशि से वंचित था।

1.2.12.4 वैंट का अनियमित भुगतान

उत्तराखण्ड वैंट अधिनियम की धारा 4 (2) (अ) के अनुसार, पी डी एस के माध्यम से बेचे जाने वाले सामान को वैंट से छूट दी गई है। आर एफ सी कुमाऊँ और गढ़वाल के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि अधिनियम का उल्लंघन करते हुए एफ सी आई, सी ए और मिलर्स को क्रमशः ₹ 41.15 करोड़, ₹ 175.32 करोड़ और ₹ 25.58 करोड़ का भुगतान किया गया। विभाग द्वारा 2013-14 से 2017-18 के दौरान किए गए खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति का विवरण नीचे तालिका-1.2.10 में दिया गया है:

तालिका-1.2.10: खाद्यान्न अधिप्राप्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	अधिप्राप्ति का प्रकार	आर एफ सी कुमाऊँ		आर एफ सी गढ़वाल	
		अधिप्राप्ति का मूल्य	भुगतानित वैंट	अधिप्राप्ति का मूल्य	भुगतानित वैंट
2013-14 से 2017-18	एफ सी आई से खाद्यान्न	383.86	17.09	555.79	24.06
2014-15 से 2017-18	सी ए से धान ⁴⁴	3,529.27	167.11	172.43	8.21
2013-14 एवं 2014-15	मिलर्स से लेवी चावल ⁴⁵	530.15	24.28	27.82	1.30
योग		4,443.28	208.48	756.04	33.57

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) यह प्रकरण समय-समय पर शासन को भेजा गया था और इस पर निर्णय अपेक्षित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार एफ सी आई, सी ए और मिलर्स को वैंट का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, एफ सी आई, सी ए और मिलर्स को ₹ 242.05 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

1.2.12.5 मंडी लेबर चार्ज का अनियमित भुगतान

भारत सरकार के आदेशों⁴⁶ के अनुसार, वैधानिक शुल्क, केवल भुगतान के साक्ष्य की रसीदें प्रस्तुत करने पर देय होंगे। लेवी राइस के संबन्ध में, केवल वे निजी राइस मिलर्स जो विनियमित मंडियों में धान का क्रय करते हैं, वे भारत सरकार द्वारा प्रत्येक विपणन सत्र हेतु जारी कॉस्ट शीट में विनिर्दिष्ट दरों पर मंडी लेबर चार्ज (एम एल सी)⁴⁷ की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध

⁴⁴ कुमाऊँ : 22.32 लाख मीट्रिक टन (2014-15 से 2016-17), गढ़वाल: 1.13 लाख मीट्रिक टन (2014-15 से 2016-17)।

⁴⁵ कुमाऊँ : 18.49 लाख मीट्रिक टन और गढ़वाल: 0.12 लाख मीट्रिक टन।

⁴⁶ सांविधिक शुल्क, जैसे कि क्रय कर/व्यापार कर, मंडी प्रभार, बाजार शुल्क, कमीशन एजेन्टों, सैस इत्यादि केवल भुगतान के साक्ष्य की रसीदें प्रस्तुत करने पर देय होंगे (भारत सरकार आदेश दिनांक जनवरी 2015)।

⁴⁷ विनियमित मंडी में पैकिंग, सिलाई, तथा खाद्यान्न बोरो की चढ़ाई और उतराई हेतु श्रमिकों को भुगतान।

कराई गई सूचना के अनुसार, 2013-14 और 2014-15 में, एम एस पी लेवी योजना के अंतर्गत 2.48 लाख मीट्रिक टन चावल की अधिप्राप्ति की गई थी, जिसके सापेक्ष मिलर्स को ₹557.97 करोड़ का भुगतान किया गया था। भुगतान देयकों की नमूना-जाँच के दौरान, यह पाया गया कि मिलर्स द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत बिलों के साथ फॉर्म 6-आर संलग्न नहीं थे। इसीलिए, विभाग यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि लेवी चावल का क्रय विनियमित मंडियों में किया गया था। इसके अतिरिक्त, मिलर्स द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत बिलों के साथ एम एल सी पर किए गए खर्च के संदर्भ में साक्ष्य संलग्न नहीं पाए गए। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान, लेवी योजना के अंतर्गत खरीदे गए चावल की मात्रा के सापेक्ष मिलर्स को एम एल सी के रूप में ₹3.48 करोड़ का भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मिलर्स को ₹3.48 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया था। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि (अक्टूबर 2018) वरिष्ठ मण्डलीय लेखा अधिकारियों को भुगतान करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे थे कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को बिलों के साथ संलग्न किया गया है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

1.2.12.6 ₹ 2.58 करोड़ के टी डी एस की कटौती न किया जाना

आयकर अधिनियम की धारा 194सी (6) में किए गए संशोधनों, जून 2015 से लागू के अनुसार, ट्रांसपोर्टरों⁴⁸ को किए गए भुगतान के सापेक्ष, स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) की जाएगी। आर एफ सी, कुमाऊँ और गढ़वाल के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, यह पाया गया कि 2015-16 से 2017-18 के दौरान ट्रांसपोर्टरों को बिना दो प्रतिशत की दर से ₹2.58 करोड़ की टी डी एस कटौती किए बिना ₹128.75⁴⁹ करोड़ का भुगतान किया गया था। आगे, जब भुगतान किए गए देयकों की नमूना जाँच की गई, यह पाया गया कि देयकों के साथ न तो कोई घोषणा प्रमाण पत्र संलग्न था और ना ही स्वामित्व साबित करने के लिए परिवहन हेतु उपयोग किए गए वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र को संलग्न किया गया। इसलिए, आयकर अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के कारण ट्रांसपोर्टरों को अनुचित लाभ हुआ और सरकार को ₹2.58 करोड़ के राजस्व की हानि भी हुई।

इंगित किए जाने पर, वरिष्ठ मण्डलीय लेखा अधिकारी, कुमाऊँ और गढ़वाल ने तथ्यों (जून 2018) को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि कटौती क्रमशः सितम्बर 2017 और दिसम्बर 2017 से की जा रही थी।

⁴⁸ जब तक कि ट्रांसपोर्टर पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय दस या उससे कम माल वाहक का मालिक होने के लिए भुगतानकर्ता को एक घोषणा प्रस्तुत नहीं करता है। इसके अलावा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के परिपत्र 19, 2015 के प्रस्तर 43.4 के अनुसार, टी डी एस से यह छूट केवल परिववाहक द्वारा निजी स्वामित्व के वाहनों द्वारा की गयी गुड्स कैरिज (एस) के लिए प्राप्त परिवहन शुल्क के संबन्ध में लागू है।

⁴⁹ कुमाऊँ : ₹ 52.82 करोड़ + गढ़वाल: ₹ 75.93 करोड़ = ₹ 128.75 करोड़।

1.2.12.7 बोरों की वसूली न किया जाना

राज्य सरकार के शासनादेश (सितम्बर 2016) के अनुसार, अधिप्राप्ति अभिकरणों की माँग के आधार पर, धान के क्रय हेतु बोरों की व्यवस्था संबन्धित आर एफ सी के माध्यम से एफ सी एस एंड सी ए द्वारा की जानी थी, और कस्टम मिल्ड चावल के राज्य पूल/एफ सी आई के हस्तांतरण के बाद, बोरे मिलर्स के पक्ष में जारी किए जाने थे तथा बोरों की लागत संबन्धित वर्ष की कॉस्ट शीट में उल्लिखित दर पर वसूल की जानी थी। आर एफ सी, गढ़वाल के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि 2014-15 से 2016-17 के दौरान मिलर्स को 20.28 लाख बोरे जारी किए गए थे, जिसके सापेक्ष केवल नौ लाख बोरे प्राप्त हुए थे और ₹ 5.82 करोड़⁵⁰ मूल्य के 11.28 लाख बोरे अभी भी मिलर्स के पास थे। मिलर्स से न तो बोरे वापस प्राप्त किए गए और न ही उनसे बोरों की लागत वसूल की गयी थी। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) बोरे चावल मिलर्स के थे जो उनके द्वारा स्वयं के संसाधनों से अधिप्राप्त किये गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा हेतु आर एफ सी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से उद्घाटित हुआ कि बोरे विभाग द्वारा मिलर्स को उपलब्ध कराये गए थे और जो बोरे मिलर्स से वापस प्राप्त नहीं हुए उनके सापेक्ष वसूली नहीं की गई थी।

पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद, आर बी आई से सी सी एल प्राप्त की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज का भुगतान किए जाने के कारण शासकीय राजकोष को ₹19.35 करोड़ की हानि हुई। 2008-09 से भारत सरकार को वार्षिक लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को ₹680.66 करोड़ की सब्सिडी जारी नहीं की गई थी। विभाग ने वैट अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एफ सी आई, सी ए और मिलर्स को वैट के रूप में ₹242.05 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

1.2.13 अनुश्रवण तन्त्र

पी डी एस नियंत्रण आदेश, 2001, 2015 और एन एफ एस ए (अधिनियम) में परिकल्पित है कि राज्य सरकार, राज्य, जिला, ब्लॉक और एफ पी एस इत्यादि स्तर पर रिपोर्टिंग और अनुश्रवण की आवधिक प्रणाली, नियमित निरीक्षण और सतर्कता समितियों (वी सी) की बैठक सुनिश्चित करेगी। अनुश्रवण तन्त्र में पाई गई कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है:

1.2.13.1 राज्य खाद्य आयोग का गठन

एन एफ एस ए की धारा 16 (1) और (2) में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और समीक्षा के उद्देश्य से एक राज्य खाद्य

⁵⁰ 2014-15: ₹ 41.19 प्रति बोरा; 2015-16: ₹ 45.94 प्रति बोरा और 2016-17: ₹ 56.68 प्रति बोरा, क्षमता प्रति बोरा 50 कि ग्रा।

आयोग (एस एफ सी) का गठन करेगी। एस एफ सी में एक अध्यक्ष और पाँच अन्य सदस्य शामिल होंगे। राज्य में एस एफ सी का गठन (नवम्बर 2013), एक अध्यक्ष और एक सदस्य सचिव के साथ किया गया था। एस एफ सी के गठन के लगभग दो वर्ष के विलम्ब के बाद एक सदस्य (अक्टूबर 2015) को नियुक्त किया गया था और सदस्यों के चार पद अभी भी खाली पड़े थे। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) आयोग के शेष सदस्यों को नियुक्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही सरकार के स्तर पर अंतिम चरण में थी।

1.2.13.2 **वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल में प्रस्तुत न करना**

अधिनियम की धारा 16 (6) (एफ) में कहा गया है कि एस एफ सी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। यह पाया गया कि एस एफ सी के गठन के चार साल बाद केवल एक रिपोर्ट तैयार की गई और सरकार को (जुलाई 2017) भेज दी गई। रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश किया जाना अपेक्षित था।

1.2.13.3 **सतर्कता समितियों की बैठकों का आयोजन**

एस एफ एस ए की धारा 29 में, टी पी डी एस की पारदर्शिता और समुचित कार्यप्रणाली तथा कार्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु राज्य, जिला, ब्लॉक/तहसील और एफ पी एस स्तर पर सतर्कता समितियों (वी सी) के गठन की परिकल्पना की गई है। **तथापि, यह पाया गया कि वी सी का गठन 2010 में किया गया था, परन्तु ये निष्क्रिय रहीं, क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राज्य स्तर या नमूना जनपदों टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और उधमसिंह नगर में किसी भी स्तर पर बैठक का आयोजन नहीं किया गया था।** विभाग ने जनवरी 2018 में वी सी का पुनर्गठन किया। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) सभी डी एस ओ को प्रत्येक स्तर पर बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया था और आगे अवगत कराया गया कि भविष्य में प्रभावी कदम सुनिश्चित किए जाएंगे। उत्तर विभाग की शिथिलता दर्शाता है क्योंकि अधिनियम शुरू होने के चार साल से अधिक समय के बाद वी सी का पुनर्गठन किया गया था। वी सी की अनुपस्थिति में, टी पी डी एस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का उद्देश्य असफल रहा, जैसा कि अधिक वितरण के मामले पाये गए जिसकी चर्चा **प्रस्तर 1.2.10.2** में की गयी है।

1.2.13.4 **उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण में कमी**

पी डी एस (नियंत्रण) आदेश, 2001 के उपनियम (6) (2) और टी पी डी एस नियंत्रण आदेश, 2015 के उपनियम 11 में प्रावधान है कि नियत प्राधिकारी द्वारा एफ पी एस का नियमित निरीक्षण, तीन महीने में कम से कम एक बार, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। **यह पाया गया कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान, राज्य में एफ पी एस के निरीक्षण में 69.93 प्रतिशत से 81.38 प्रतिशत तक की कमी थी। नमूना जनपदों में यह कमी 35 प्रतिशत और 98 प्रतिशत के बीच थी।** इंगित किए जाने

पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) विभाग द्वारा भविष्य में प्रभावी प्रवर्तन के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही थी।

1.2.13.5 सामाजिक लेखापरीक्षा न किया जाना

एन एफ एस ए के उपनियम 28 (1) में प्रावधान है कि एफ पी एस के कामकाज पर समय-समय पर सामाजिक लेखापरीक्षा की जानी चाहिए, जिसमें लोग सामूहिक रूप से किसी कार्यक्रम या योजना के नियोजन और कार्यान्वयन का अनुश्रवण और मूल्यांकन करते हैं। यह पाया गया कि अधिनियम के शुरू होने के लगभग पाँच साल बीत जाने के बाद भी, सामाजिक लेखापरीक्षा किए जाने हेतु नियम नहीं बनाए गए थे। परिणामस्वरूप, एन एफ एस ए के कार्यान्वयन के बाद से एफ पी एस के कामकाज की सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

1.2.13.6 मानव संसाधन की कमी

योजना के कुशल कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत संख्या के अनुसार पर्याप्त मानव संसाधन होना चाहिए। विभाग के मानव संसाधन के विवरणों के विश्लेषण से पता चला कि स्वीकृत संख्या के सापेक्ष मानव संसाधनों की कमी थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका-1.2.11 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.2.11 स्वीकृत संख्या और तैनाती की स्थिति का विवरण (जून 2018 तक)

शाखा	पद	स्वीकृत संख्या	तैनाती की स्थिति	कमी (प्रतिशत)
आपूर्ति	एरिया राशनिंग ऑफिसर	61	16	45 (74)
	आपूर्ति निरीक्षक	240	144	96 (40)
	चौकीदार/पल्लेदार	219	164	55 (25)
विपणन	वरिष्ठ विपणन अधिकारी	39	14	25 (64)
	विपणन निरीक्षक	100	63	37 (37)
	विपणन सहायक	60	29	31 (52)
	गोदाम चौकीदार	42	31	11 (26)

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किये गये आँकड़े।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधनों की तैनाती में 25 प्रतिशत से लेकर 74 प्रतिशत तक की कमी थी। चार नमूना जनपदों में भी स्थिति निराशाजनक⁵¹ थी। मानव संसाधन में कमी को, एफ पी एस के नियमित निरीक्षण की कमी; एफ पी एस में खाद्यान्नों के स्टॉक का सत्यापन न करना; और लाभार्थियों को समय से खाद्यान्न वितरण में विलम्ब के संदर्भ में देखा जा सकता है। इंगित किए जाने पर, संयुक्त आयुक्त ने स्वीकार किया (अगस्त 2018) कि अपर्याप्त मानव संसाधनों के कारण, विभाग को योजना के सफल कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

1.2.13.7 फर्जी राशन कार्ड और इकाइयों का उन्मूलन

पी डी एस नियंत्रण आदेश 2015 की धारा 3 (13) और 4 (19) यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकार नियमित रूप से अपात्र परिवारों को हटाने या पात्र परिवारों को शामिल करने के उद्देश्य से

⁵¹ एरिया राशनिंग ऑफिसर और आपूर्ति निरीक्षक की तैनाती में क्रमशः पौड़ी में 83.33 और 38.46 प्रतिशत, टिहरी में 75 और 68.57 प्रतिशत, उधमसिंह नगर में 100 और 38.46 प्रतिशत और अल्मोड़ा में 100 और 38.46 प्रतिशत की कमी थी।

पात्र परिवारों की सूची की समीक्षा करेगी और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में फर्जी या अयोग्य राशन कार्डों के उन्मूलन के लिए विशेष वार्षिक अभियान आयोजित करेगी। तथापि, विभाग ने यह कवायद नहीं की थी। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 2013-14 से सितम्बर 2015 की अवधि के दौरान, टी पी डी एस के अन्तर्गत 128.75 लाख इकाइयाँ थीं, जो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या से, 27.58 लाख अधिक थीं।

इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) राशन कार्ड विभिन्न एजेंसियों, जैसे पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्थानीय निकायों और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा, जारी किए गए थे। मानव संसाधनों की कमी के कारण, विभाग फर्जी या अयोग्य राशन कार्डों के उन्मूलन के लिए विशेष वार्षिक अभियान का आयोजन नहीं कर सका। तथापि, डिजिटाइजेशन के दौरान, 26.26 लाख इकाइयाँ समाप्त की गई थी, जैसा कि **प्रस्तर संख्या 1.2.8** में इंगित किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, यदि विभाग द्वारा फर्जी या अयोग्य राशन कार्ड को समाप्त करने की नियमित कवायद की गई होती, तो नकली और अपात्र राशन कार्डों/इकाइयों को काफी हद तक समाप्त किया गया होता।

1.2.13.8 सूचना, शिक्षा और संचार

पी डी एस नियंत्रण आदेश 2015 की धारा 11 (16) यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ-साथ एफ पी एस के बाहर डिस्प्ले बोर्ड द्वारा राशन कार्ड धारकों को उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। चयनित जनपदों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि राशन कार्ड धारकों को शिक्षित करने के लिए ऐसी कोई गतिविधि किसी भी जनपद में नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए लाभार्थी सर्वे के परिणाम से उद्घटित हुआ कि चयनित जनपदों में सर्वे किए गए 3,413 लाभार्थियों में से 1,894 (55.49 प्रतिशत) लाभार्थियों ने अवगत कराया कि वे लाभों अर्थात् एन एफ एस ए में खाद्यान्न के वितरण के निर्धारित पैमाने और निर्गम मूल्य आदि के बारे में अनभिज्ञ थे। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी के माध्यम से राशन कार्ड धारकों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही थी और पैम्फलेट का वितरण किया जा रहा था।

1.2.13.9 सिटिज़न चार्टर का प्रदर्शन न करना

पी डी एस नियंत्रण आदेश 2015 की धारा 11 (13) यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकार योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के अधिकारों और विशेषाधिकार के संबन्ध में सूचनाएं प्रदर्शित करेगा जैसा कि कानून में निर्धारित किया गया हो या केंद्र सरकार द्वारा जारी मॉडल सिटिज़न चार्टर पर आधारित हो। चयनित जनपदों की नमूना जाँच में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा न तो कोई सिटिज़न चार्टर जारी किया गया था और ना ही किसी भी चयनित जनपद में सिटिज़न चार्टर को अपनाया गया

था। परिणामस्वरूप, लाभार्थी एन एफ एस ए के लाभ के बारे में अनभिज्ञ थे, जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तर में चर्चा की गई थी। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) सिटिजन चार्टर का प्रारूप तैयार किया जा रहा था।

टी पी डी एस की पारदर्शिता और समुचित कार्यपद्धति को सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता समिति की बैठकें किसी भी स्तर पर आयोजित नहीं की गई थीं, एफ पी एस के निरीक्षण में भारी कमी थी और सामाजिक लेखापरीक्षा के संपादन के नियमों को भी सरकार द्वारा तैयार नहीं किया गया था। यदि विभाग ये उपाय करता तो खाद्यान्नों के अतिरिक्त वितरण से बचा जा सकता था।

सरकार नियमित अंतराल पर सतर्कता समितियों की बैठक, एफ पी एस का पर्याप्त निरीक्षण करना एवं उनके कामकाज पर आवधिक सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु नियम बनाना सुनिश्चित कर सकती है।

1.2.14 एफ पी एस के भौतिक सत्यापन के परिणाम

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित जनपदों में, चयनित गोदामों से सम्बद्ध 90 एफ पी एस का भौतिक सत्यापन एवं सर्वे किया गया। भौतिक सत्यापन और सर्वे के परिणाम इस प्रकार हैं:

- 87 (96.67 प्रतिशत) एफ पी एस मालिकों को निर्धारित तिथि तक खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो रही थी। परिणामस्वरूप, एफ पी एस मालिक निर्धारित तिथि के भीतर खाद्यान्न वितरित करने में सक्षम नहीं थे।
- 30 (33.33 प्रतिशत) एफ पी एस मालिकों ने खाद्यान्न की गुणवत्ता के बारे में शिकायत की और 34 (37.78 प्रतिशत) एफ पी एस मालिकों ने लाभार्थियों से खाद्यान्न की गुणवत्ता के बारे में भी शिकायत प्राप्त की।
- केवल 23 (25.56 प्रतिशत) एफ पी एस का नियमित रूप से निरीक्षण किया गया था।
- 29 (32.22 प्रतिशत) एफ पी एस मालिकों द्वारा खाद्यान्न का स्टॉक प्रदर्शित नहीं किया गया था।
- 48 (53.33 प्रतिशत) एफ पी एस मालिकों द्वारा खाद्यान्न वितरण के निर्धारित मानदण्डों को प्रदर्शित नहीं किया गया था।
- 41 (45.55 प्रतिशत) एफ पी एस मालिकों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे।
- 32 (35.55 प्रतिशत) एफ पी एस मालिकों द्वारा टोल फ्री/हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित नहीं किया गया था।
- कोई भी एफ पी एस मालिक लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित नहीं कर रहा था।
- सभी एफ पी एस मालिक खाद्यान्नों के नमूने प्रदर्शित नहीं कर रहे थे।
- 90 प्रतिशत एफ पी एस मालिक लाभार्थियों की सूची को अपडेट नहीं कर रहे थे।

1.2.15 लाभार्थी सर्वे का परिणाम

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित जनपदों में चयनित एफ पी एस से सम्बद्ध 3,413 लाभार्थियों का सर्वे किया गया था। लाभार्थी सर्वे के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- 1,035 (30.33 प्रतिशत) लाभार्थियों ने अवगत कराया कि एफ पी एस के खुलने और बंद होने का समय एफ पी एस मालिक द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया था।
- 1,894 (55.49 प्रतिशत) लाभार्थी योजना के लाभों से अनभिज्ञ थे।
- 3,218 (94.29 प्रतिशत) लाभार्थियों को निर्धारित तिथि अर्थात् प्रत्येक महीने की 15 तारीख के भीतर राशन नहीं मिल रहा था।
- 1,962 (57.49 प्रतिशत) लाभार्थियों ने अवगत कराया कि खाद्यान्न की गुणवत्ता औसत थी।
- 38 लाभार्थियों को मानदण्डों की तुलना में अधिक मात्रा में खाद्यान्न मिल रहा था।
- 265 लाभार्थियों को मानदण्डों की तुलना में कम मात्रा में खाद्यान्न मिल रहा था।

1.2.16 निष्कर्ष

एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण दिसम्बर 2012 में सभी स्तरों पर लेनदेन की पारदर्शी रिकॉर्डिंग और विपथन को रोकने और पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न के वितरण में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु शुरू किया गया था, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एवं एफ पी एस ऑटोमेशन के कार्यान्वयन न होने के कारण इसे प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके बाद, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सितम्बर 2013 में लागू किया गया था और अधिनियम के अनुसार, उत्तराखण्ड में, 101.17 लाख जनसंख्या (जनगणना 2011) में से 61.94 लाख को आच्छादित किया जाना था। तत्पश्चात्, 7.69 लाख अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थियों और 54.23 लाख प्राथमिक परिवार लाभार्थियों (पी एच एच) को आच्छादित किया गया। राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन के परिणामस्वरूप विभाग ने 26.26 लाख अपात्र लाभार्थियों को निरस्त किया, जो पूर्ववर्ती टी पी डी एस में मौजूद थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित किए जाने वाले पात्र परिवारों के चिन्हीकरण के लिए निर्दिष्ट पात्रता मानदण्ड और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, पात्र परिवारों को योजना के लाभ से वंचित रखा गया तथा अपात्र परिवारों को योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया। कमीशन एजेन्टों के माध्यम से अधिप्राप्ति पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान भी विभाग द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वितरण के दृष्टांत भी देखे गए। राज्य में खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता पर्याप्त नहीं थी और राज्यभर में मण्डलीय स्तर पर 44 प्रतिशत से 45 प्रतिशत और जिला स्तर पर 32 प्रतिशत तक भण्डारण क्षमता की कमी थी। राज्य में उपलब्ध भण्डारण गोदामों में, बुनियादी उपकरणों और सुविधाओं का अभाव था। पर्याप्त धन की उपलब्धता के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त ₹ 515.85 करोड़ की नगद साख सीमा के सापेक्ष दिए गए ब्याज के कारण विभाग ने ₹ 19.35 करोड़ का नुकसान उठाया। अनुश्रवण तंत्र में कमी पाई गई। राज्य खाद्य आयोग में अपेक्षित संख्या में सदस्य नियुक्त नहीं किए गए थे; राज्य खाद्य आयोग के गठन के चार साल बाद केवल एक रिपोर्ट तैयार की गई थी; और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, राज्य स्तर या चयनित जनपदों में, किसी भी स्तर पर सतर्कता समिति की कोई बैठक

आयोजित नहीं की गई थी। 2013-14 से 2017-18 के दौरान राज्य में एफ पी एस के निरीक्षण में 69.93 प्रतिशत से 81.38 प्रतिशत तक की कमी थी। अधिनियम प्रारम्भ होने के लगभग पाँच साल बीत जाने के बाद भी सामाजिक लेखापरीक्षा कराने के नियम तय नहीं किए गए थे।

अनुपालन लेखापरीक्षा

उच्च शिक्षा विभाग

1.3 निष्क्रिय व्यय

महाविद्यालय द्वारा ₹2.59 करोड़ के व्ययोपरांत अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं हेतु निर्मित छात्रावास की सुरक्षा एवं कर्मचारियों की कमी के कारण उपयोग नहीं किया जा सका तथा छात्रावास भवन जनवरी 2015 से अनुपयोगी पड़ा रहा।

अनुसूचित जाति (अनु जा) और अनुसूचित जनजाति (अनु जन जा) के छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से उत्तराखण्ड सरकार (जी ओ यू) ने राजकीय महाविद्यालय, डाकपत्थर, देहरादून के परिसर में बालकों एवं बालिकाओं के छात्रावासों⁵² के निर्माण के लिए ₹3.43 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2008)। इसी क्रम में, 2008 से 2012 के दौरान कार्यदायी संस्था⁵³ को ₹2.76⁵⁴ करोड़ की राशि जारी की गई।

महाविद्यालय के अभिलेखों (सितम्बर 2017) की जाँच में पाया गया कि एक छात्रावास के निर्माण पर ₹2.54 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके लिए निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा पुनरीक्षित आगणन राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था (मार्च 2014), जिसे स्वीकृत नहीं किया गया था। कार्यदायी संस्था ने अवशेष धनराशि ₹0.22 करोड़⁵⁵ (अप्रैल 2014) वापस कर दी और महाविद्यालय को छात्रावास भवन हस्तगत कर दिया (जनवरी 2015)। महाविद्यालय ने छात्रावास भवन को अधिग्रहित कर, छात्रावास की साज-सज्जा पर अतिरिक्त ₹0.05 करोड़ (जून 2015) व्यय किया। निर्मित छात्रावास भवन विगत तीन वर्षों से अनुपयोगी पड़ा हुआ था क्योंकि किसी भी छात्र ने छात्रावास में निवास का विकल्प नहीं चुना था।

यह में इंगित किये जाने पर, प्राचार्य ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि छात्रों से छात्रावास के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तथापि, सुरक्षा और कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया कि छात्रावास के संचालन के लिए पदों के सृजन हेतु कार्यवाही (दिसम्बर 2015, अक्टूबर 2017 एवं दिसम्बर 2017) की जा रही थी। उत्तर

⁵² छात्रों के लिए 50 बिस्तर छात्रावास और छात्राओं के लिए 50 बिस्तर छात्रावास।

⁵³ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड।

⁵⁴ 2007-08: ₹ 50 लाख, 2008-09: ₹ 50 लाख, 2009-10: ₹ 36 लाख, 2010-11: ₹ 40 लाख 2011-12: ₹ 100 लाख।

⁵⁵ ₹ 2.76 करोड़ - ₹ 2.54 करोड़ = ₹ 0.22 करोड़।

स्वीकार्य नहीं था, चूँकि शासनादेश (दिसम्बर 1997) के अनुसार, छात्रावास के कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर रखा जाना था और उनका पारिश्रमिक छात्रावास प्रभार एवं अन्य सेवा प्रभार से लिया जाना था और इस व्यवस्था के लिए कोई भी पद स्वीकृत नहीं किया जाना था। इसलिए, महाविद्यालय को, छात्रावास के संचालन के लिए अपने स्वयं के स्रोतों से सुरक्षा एवं कर्मचारियों की तैनाती की व्यवस्था करनी चाहिए थी।

इस प्रकार, महाविद्यालय, ₹ 2.59 करोड़ के व्यय के पश्चात, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्मित भवन का उपयोग नहीं कर सका। छात्रावास भवन जनवरी 2015 से अनुपयोगी पड़ा था जिससे छात्रों को अपेक्षित लाभ से वंचित रखा गया।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अप्रैल 2018), उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

गृह विभाग

1.4 राजस्व की हानि

निर्धारित दर पर प्रशमन शुल्क की वसूली न किए जाने के कारण ₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन, परिवहन खण्ड-1 द्वारा जारी अधिसूचना (09 अगस्त 2016) में मोटर अधिनियम, 1988 की धारा 179 (1)⁵⁶ के अंतर्गत अनुदेशों के उल्लंघन पर प्रशमन शुल्क ₹100 से संशोधित कर ₹ 500 किया गया।

छ: जिलों⁵⁷ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017) में पाया गया कि अधिसूचना जारी होने और गजट में प्रकाशन (01 अक्टूबर 2016) के बाद भी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 179(1) अंतर्गत जारी अनुदेशों का अनुपालन किए बिना 79,230 वाहनों⁵⁸ का चालान संशोधित दर ₹ 500 के स्थान पर ₹100 की दर से किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दोषी पाये वाहनों से ₹ 3.17 करोड़⁵⁹ प्रशमन शुल्क की कम वसूली की गयी (जैसा कि **परिशिष्ट-1.4.1** में वर्णित)।

⁵⁶ धारा 179-आदेशों के अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इंकार करना (1) जो कोई जानबूझकर ऐसे किसी निर्देश की अवज्ञा करेगा जो वैसा निर्देश देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिया गया है या ऐसे किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को बाधा पहुंचाएगा जो व्यक्ति या प्राधिकारी उसका निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित या सशक्त है, वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है, जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

⁵⁷ पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, चमोली एवं टिहरी।

⁵⁸ चमोली: 4,079 वाहन, टिहरी: 3,025 वाहन, ऊधमसिंह नगर: 27,749 वाहन, पिथौरागढ़: 6,228 वाहन, देहरादून: 18,446 वाहन, हरिद्वार: 19,703 वाहन।

⁵⁹ 79,230 वाहन X (₹ 500 - ₹ 100) = ₹ 3,16,92,000 (अर्थात ₹ 3.17 करोड़)।

यह इंगित किए जाने पर सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को निर्देश जारी किए कि वे संबन्धित जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करें कि यदि उनके द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की संगत धाराओं में शासन द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क से कम धनराशि वसूल की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

निर्धारित दर से प्रशमन शुल्क की वसूली न होने के कारण ₹ 3.17 करोड़ की राजस्व हानि हुयी, जिसके लिये संबन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी शासन/विभाग द्वारा तय की जानी आवश्यक है।

उद्योग विभाग

1.5 विशेष राज्य पूँजी निवेश सब्सिडी (18 प्रतिशत ब्याज दर सहित) और विशेष ब्याज सब्सिडी की वसूली न किया जाना

यद्यपि योजना के दिशानिर्देश, सब्सिडी दिये जाने की शर्तों के उल्लंघन के प्रकरण में वसूली का प्रावधान करता है फिर भी उद्योग विभाग तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद भी एक दोषी औद्योगिक इकाई से ₹ 49.56 लाख की वसूली करने में विफल रहा।

उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2008 के बाद राज्य में स्थापित नई औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष राज्य पूँजी निवेश सब्सिडी सहायता (वि रा पूँ नि स स⁶⁰) योजना एवं विशेष ब्याज सब्सिडी प्रोत्साहन (वि ब्या स प्रो⁶¹) योजना फरवरी 2008 में लागू की गयी थी। वि रा पूँ नि स स योजना का प्रस्तर 10(3) प्रावधान करता है कि लाभान्वित उद्यमी व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ करने के बाद न्यूनतम 10 वर्ष तक व्यवसाय जारी रखे। इसके अतिरिक्त, योजना का प्रस्तर 11(1) प्रावधान करता है कि उपरोक्त प्रस्तर 10(3) में निहित प्रावधानों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उद्यमी द्वारा प्राप्त राज्य सहायता की राशि की वसूली एकल किस्त में उसी प्रकार से की जाएगी जैसे कि भू राजस्व की वसूली 18 प्रतिशत ब्याज की दर के साथ देय होती है। पुनः वि ब्या स प्रो योजना का प्रस्तर 7(2) प्रावधान करता है कि ब्याज सब्सिडी प्रोत्साहन केवल उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाएगा, जो

⁶⁰ इस योजना के अंतर्गत, उन उद्यमियों, जो राज्य के स्थायी और वास्तविक निवासी हैं, को कार्यशाला-निर्माण, संयंत्र एवं मशीनरी और उपकरण के निर्माण पर किए गए स्थायी पूँजी निवेश का 25 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 30 लाख वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा और अन्य उद्यमियों के लिए कार्यशाला-निर्माण, संयंत्र एवं मशीनरी और उपकरण के निर्माण पर किए गए स्थायी पूँजी निवेश का 20 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 25 लाख।

⁶¹ इस योजना के अंतर्गत, श्रेणी-अ क्षेत्र (पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत और रुद्रप्रयाग) के निर्दिष्ट जिलों में स्थित उद्योगों, जो बैंकों / वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, को कुल स्वीकृत ऋण के 6 प्रतिशत तक साधारण ब्याज का प्रोत्साहन दिया जा सकता है जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 5.00 लाख है और श्रेणी-ब क्षेत्र {पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, देहरादून (विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर और रायपुर के क्षेत्रों को छोड़कर) और नैनीताल (हल्द्वानी एवं रामनगर के क्षेत्रों को छोड़कर)} में निर्दिष्ट किए गए जिलों में स्थित उद्योगों को ब्याज प्रोत्साहन 5 प्रतिशत की दर से या अधिकतम ₹ 3 लाख दिया जा सकता है।

ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के बाद न्यूनतम पाँच वर्ष तक अपने व्यवसाय को जारी रखे अन्यथा सरकार संबन्धित औद्योगिक इकाई से पूरी सब्सिडी राशि वसूलने का अधिकार रखती है।

महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र (जि उ कें), हल्द्वानी के अभिलेखों की जाँच (मई 2017) में पाया गया कि एक उद्यम (मै ब्लू बेल) को जि उ कें से उद्यमी ज्ञापन (उ ज्ञा) भाग-1⁶² पर वि रा पूं नि स स एवं वि ब्या स प्रो योजना से सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, 11 मार्च 2011 को मंजूरी मिली थी, जिसके सापेक्ष ₹25 लाख की पूँजीगत सब्सिडी और ₹6.39 लाख की ब्याज सब्सिडी (जुलाई 2013 और मार्च 2015) स्वीकृत की गई थी और उद्यमी को क्रमशः मार्च 2014 और मार्च 2015 में वितरित की गई। वि रा पूं नि स स एवं वि ब्या स प्रो योजना नियम 2008 के अनुसार यह सब्सिडी होटल की स्थापना के लिए प्रदान की गयी थी। होटल मार्च 2012 में चालू हुआ एवं मार्च 2015 में बंद हो गया तथा उसके बाद अप्रैल 2015 से होटल की इमारत में एक स्कूल शुरू किया गया। चूँकि होटल स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण होने से पहले और ब्याज सब्सिडी प्राप्त (मार्च 2015) करने के पाँच वर्ष पूर्ण होने से पूर्व बंद हो गया था, जिसके लिए उपरोक्त सब्सिडी वि रा पूं नि स स एवं वि ब्या स प्रो योजना के अंतर्गत प्रदान की गयी थी और परिणामस्वरूप उद्यमी पूँजी सब्सिडी पर ₹18.17 लाख⁶³ ब्याज सहित पूँजी सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी की ₹31.39 लाख⁶⁴ की राशि को वापस करने के लिए उत्तरदायी था।

सरकार ने, उत्तर में, अवगत कराया (अप्रैल 2018) कि उद्यमी से पूँजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी की राशि की वसूली न्यायोचित नहीं थी क्योंकि इकाई ने अपना व्यवसाय तीन साल तक जारी रखा था जो कि योजना के प्रावधान में 18 नवम्बर 2011 को किए गए संशोधन⁶⁵ के अनुसार था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा 11 मार्च 2011 को वि रा पूं नि स स योजना के अंतर्गत जि उ कें से उद्यमी ज्ञापन (उज्ञा) भाग-1 पर मंजूरी मिल गई थी जो कि योजना के प्रावधानों में किए गए संशोधन (18 नवम्बर 2011) से पूर्व की थी। इसलिए, किया गया संशोधन इस मामले में लागू नहीं था क्योंकि कोई भी आदेश/अधिसूचना इसके जारी होने की तारीख से लागू होती है, जब तक कि

⁶² उ ज्ञा भाग-1 वि रा पूं नि स स एवं वि ब्या स प्रो योजना के अंतर्गत पंजीकरण का पहला चरण / हिस्सा है। दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र की भौतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उ ज्ञा भाग-1 की स्वीकृति को योजना के अन्तर्गत पूर्व पंजीकरण के रूप में माना गया था और पूँजी निवेश पर सब्सिडी के लिए पात्रता राशि की गणना जि उ कें द्वारा उस राशि पर, जो कि उद्यम द्वारा उ ज्ञा भाग-1 की तिथि से निवेश की गई थी।

⁶³ उद्यमी को ₹25 लाख की पूँजीगत सब्सिडी 18 मार्च 2014 को प्रदान की गई थी। पूँजीगत सब्सिडी ₹25 लाख पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 18.03.14 से 31.03.18 (4 साल 14 दिन) अवधि के कुल ब्याज ₹18,17,260 (₹18.17 लाख माना)।

⁶⁴ ₹(25 लाख+ 6.39 लाख)।

⁶⁵ उत्तराखण्ड शासन के ओ एम संख्या.2931/VII-II/123-उद्योग/08/2011 दिनांक 18 नवम्बर 2011 के द्वारा संशोधन किया गया जिसके अनुसार न्यूनतम उत्पादन अवधि पूर्ववर्ती 10 वर्ष से बदल कर 3 वर्ष कर दिया गया था।

पूर्वव्यापी तिथि से प्रयोज्यता निर्दिष्ट नहीं होती। इसके अतिरिक्त, इकाई ब्याज अनुदान (मार्च 2015) प्राप्त करने के पश्चात पाँच साल की अवधि तक काम नहीं कर रही थी जो कि वि ब्या स प्रो योजना नियम, 2008 के अनुसार आवश्यक था।

इसलिए, उद्योग विभाग तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी दोषी औद्योगिक इकाई से ₹49.56 लाख⁶⁶ की वसूली करने में विफल रहा।

सिंचाई विभाग

1.6 निष्क्रिय व्यय/उद्देश्यों की पूर्ति न होना

खण्ड द्वारा पाइपों की अधिप्राप्ति पर ₹2.42 करोड़ का निष्क्रिय व्यय किया गया जोकि खुले में लावारिस पड़े हुए थे एवं प्रकृति की अनिश्चितताओं पर छोड़ दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, परियोजना के अन्य घटकों पर ₹46.31 लाख का निष्फल व्यय किया गया। इसके अलावा, चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी परियोजना के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा रुद्रप्रयाग जिले (जखोली ब्लॉक) में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (ग्रा अ वि नि-XVII) के अंतर्गत 18 किलोमीटर (किमी) लंबी लस्तर बाएं नहर निर्माण परियोजना के लिए ₹9.84 करोड़ की स्वीकृति (मार्च 2012) प्रदान की गयी थी। नौ किमी नहर का निर्माण माइल्ड स्टील (एम एस) पाईप से किया जाना था तथा शेष नौ किमी का निर्माण चिनाई चैनल के माध्यम से किया जाना था।

अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड (सिं ख) रुद्रप्रयाग के अभिलेखों के जाँच (मई 2017) में पाया गया कि कार्य के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति (त स्वी), जिसे मुख्य अभियन्ता (मु अ), सिंचाई विभाग को प्रेषित (18 जनवरी 2014) किया गया था, लेखापरीक्षा तिथि तक प्रदान नहीं की गयी थी। तथापि, मु अ एवं विभागाध्यक्ष ने इस परियोजना के लिए ₹280.52 लाख (23 सितम्बर 2013) एवं ₹75 लाख (26 जुलाई 2014) की राशि आवंटित की, यद्यपि गैथाना ग्राम के ग्रामीणों द्वारा इसके संरेखण को लेकर नहर के निर्माण कार्य का विरोध किया गया (27 नवम्बर 2013) था। जाँच में यह भी पाया गया कि 15 किमी नहर, जो वन-भूमि में आती है, की स्वीकृति उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 26 मार्च 2014 को प्रदान की गयी थी। इस तथ्य की जानकारी के बावजूद कि इस परियोजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी तथा संरेखण को लेकर विवाद था, विभाग द्वारा 3.4 किमी में कार्य⁶⁷ संपादित करने के लिए आठ ठेकेदारों के साथ ₹3.29 करोड़ के 17 अलग-अलग अनुबंध गठित किए गए थे (फरवरी-मार्च 2014)। ठेकेदारों ने मार्च 2014 में पाइपों की आपूर्ति की तथा नहर के मुहाने तक पहुँच मार्ग के अभाव में सड़क किनारे उनका ढेर लगा दिया और ठेकेदारों को

⁶⁶ ₹ 31.39 लाख (पूँजीगत सब्सिडी + ब्याज सब्सिडी) + ₹ 18.17 लाख (पूँजीगत सब्सिडी पर 18 प्रतिशत दर से ब्याज)।

⁶⁷ एम एस पाईप की आपूर्ति, ढुलान एवं फिक्सिंग तथा दोनों सिरों पर फ्लेंग, वॉशर, नट-बोल्ट, दो परत पेंट करने और बाहरी सतह पर एक परत पेंट करने और बिछाने के लिए श्रमिक को देय मजदूरी सहित।

₹ 2.42 करोड़⁶⁸ की राशि का भुगतान किया गया। गैथाना गाँव को दरकिनार कर एक पुनरीक्षित सर्वेक्षण (दिसम्बर 2013-फरवरी 2014) किया गया। परिणामस्वरूप, नहर की लम्बाई बढ़कर 21 किमी हो गई जिसमें से 18 किमी लम्बाई वन-भूमि में पड़ती थी। नए संरेखण हेतु प्राक्कलन दो बार पुनरीक्षित (अप्रैल 2015 और फ़रवरी 2016) किया गया और अंततः अधीक्षण अभियंता (अधी अभि) ने ₹ 31.65 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन को कई कारणों⁶⁹ से बिना स्वीकृत किए मूल रूप में खण्ड को वापस कर दिया। ₹ 2.42 करोड़ की लागत से अधिप्राप्त किए गए पाइप चार वर्ष से भी अधिक समय से मार्ग के किनारे/ग्रामीणों की भूमि पर लावारिस पड़े थे। इसके अतिरिक्त, खण्ड ने परियोजना पर ₹ 46.31 लाख⁷⁰ का भी व्यय किया।

इसे इंगित किए जाने पर, खण्ड ने अवगत कराया (मई 2017) कि सितम्बर 2013 में निधि आवंटन के पश्चात निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई एवं तदनुसार अनुबंध गठित किए गए थे। खण्ड द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के पश्चात कार्य को पूर्ण किया जाएगा। तथापि, अधी अभि, सिंचाई विभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने नवीनतम उत्तर (नवम्बर 2018) में अवगत कराया कि (i) ग्रामीणों द्वारा संरेखण पर आपत्ति किए जाने के कारण, मूल संरेखण पर कार्य संपादित नहीं किया जा सकता है और वन-भूमि स्वीकृति न होने तथा अनुचित लाभ-लागत अनुपात के कारण नए संरेखण पर भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है; (ii) जब पाइपों को उठाने के लिए कदम उठाए गए तो ग्रामीणों ने पाइपों को उठाने से रोक दिया और पाइपों को अपनी भूमि में रखने की एवज में किराए की माँग की। पाइपों को उठाने तथा किराए के भुगतान हेतु एक प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है और इसके अनुमोदन एवं स्वीकृति के पश्चात, पाइपों को उठाया जाएगा तथा किसी अन्य परियोजना में प्रयोग के लिए भण्डार में रखा जाएगा।

इस प्रकार, खण्ड द्वारा पाइपों की अधिप्राप्ति पर ₹ 2.42 करोड़ का निष्क्रिय व्यय किया गया जोकि खुले में लावारिस पड़े हुए थे एवं प्रकृति की अनिश्चितताओं पर छोड़ दिए गए थे, इसके अतिरिक्त, परियोजना के अन्य घटकों पर ₹ 46.31 लाख का निष्फल व्यय किया गया। इसके अलावा, चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी परियोजना के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2018): उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

⁶⁸ बैंड की लागत, फिक्सिंग शुल्क, सब-गेडिंग को बिछाने और पेंटिंग के लिए भुगतान को छोड़कर।

⁶⁹ 1. पुनरीक्षित प्राक्कलन को परियोजना की स्वीकृति के एक वर्ष के भीतर प्रेषित किया जाना चाहिये था। 2. लाभ-लागत अनुपात एक से कम था, और 3. परियोजना की लागत ₹ 2.50 लाख प्रति हेक्टेयर होनी चाहिये थी जबकि यह ₹ 9.65 लाख प्रति हेक्टेयर थी।

⁷⁰ सर्वेक्षण: ₹ 7.44 लाख, वन-भूमि मुआवजा: ₹ 24.83 लाख, पंहुच मार्ग: ₹ 7.95 लाख एवं विविध व्यय: ₹ 6.09 लाख।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1.7 उत्तराखण्ड में ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली

ब्लड बैंक, राष्ट्रीय रक्त नीति में परिकल्पित 100 प्रतिशत स्वैच्छिक रक्तदान (वी बी डी) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिप्लेसमेंट डोनर्स को चरणबद्ध तरीके से कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सका। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एस बी टी सी) द्वारा दी गई सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ पर्याप्त नहीं थीं। एस बी टी सी की वार्षिक रिपोर्ट और चयनित ब्लड बैंकों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार वी बी डी की प्रतिशतता में महत्वपूर्ण अंतर था। राज्य में 35 ब्लड बैंकों में से 13 ब्लड बैंक पाँच महीने से लेकर बीस साल तक एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ ही चल रहे थे। 2015-18 की अवधि के दौरान आयोजित किए जाने वाले आवश्यक 96 निरीक्षणों के सापेक्ष केवल 22 नियमित निरीक्षण ही किए जा सके। 2015-18 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा चयनित किसी भी ब्लड बैंक का निरीक्षण नहीं किया गया था। आठ चयनित ब्लड बैंकों में से पाँच निर्धारित समय में उपकरणों की कैलिब्रेशन नहीं कर रहे थे। डोनर एवं मास्टर पंजिकाओं का रखरखाव अधिनियम में निर्धारित पूर्ण प्रपत्र में नहीं किया जा रहा था।

1.7.1 परिचय

रक्त ट्रांसफ्यूजन एक जीवन-रक्षक माध्यम है जिसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के भीतर रोगी प्रबंधन में एक आवश्यक भूमिका है। भारत सरकार ने एक एकीकृत रणनीति⁷¹ के माध्यम से लोगों को सुरक्षित एवं पर्याप्त रक्त ट्रांसफ्यूजन सेवाओं के प्रावधान के लिए, ट्रांसफ्यूजन संचरित संक्रमण के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रक्त नीति (एन बी पी) तैयार की (अप्रैल 2002 में, 2007 और 2016 में संशोधित)। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स (डी एंड सी) अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत 'ड्रग्स'⁷² की परिभाषा के अनुसार मानव रक्त को आच्छादित किया गया है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सी डी एस सी ओ), लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी, के साथ निरीक्षण करने के बाद राज्य ड्रग कंट्रोलर्स (एस डी सी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के माध्यम से उक्त अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत 'ब्लड बैंकों'⁷³ को विनियमित किया गया है।

नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एन बी टी सी) रक्त केंद्रों के संचालन से संबन्धित सभी मामलों के संबन्ध में सर्वोच्च निकाय है, जबकि राज्य स्तर पर रक्त कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी

⁷¹ केवल स्वैच्छिक, गैर-पारिश्रमिक रक्त डोनर्स से रक्त का संग्रह शामिल है, सभी ट्रांसफ्यूजन संचरित संक्रमणों की स्क्रीनिंग के लिए और अनावश्यक ट्रांसफ्यूजन की कमी।

⁷² मानव के आंतरिक या बाह्य उपयोग के लिए सभी दवाएं और मानव में किसी भी बीमारी या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए या उपयोग किए जाने वाले सभी पदार्थ।

⁷³ "ब्लड बैंक" का अर्थ है एक स्थान या संगठन या इकाई या संस्था या ऐसे संगठन द्वारा की गई अन्य व्यवस्थाएं, संग्रह के लिए सभी या किसी भी संचालन को पूरा करने के लिए इकाई या संस्थान, एफेरेंसिस (यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त से, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स को अलग करने के बाद, डोनर्स से लिया जाता है एवं फिर से एक साथ उक्त डोनर में ट्रांसफर किया जाता है), भण्डारण, डोनर्स से लिए गए रक्त का प्रसंस्करण और वितरण और/या रक्त घटकों की तैयारी, भण्डारण और वितरण के लिए।

स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एस बी टी सी) की है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन ए सी ओ) रक्त ट्रांसफ्यूजन सेवाओं को सुदृढ करने के लिए एन बी टी सी को बजट आवंटित करता है। मार्च 2018 तक, राज्य में 35 ब्लड बैंक काम कर रहे थे, जिनमें से 20 राज्य सरकार द्वारा जैसा कि **परिशिष्ट-1.7.1** में वर्णित है, चार केंद्र सरकार द्वारा, सात निजी पार्टियों⁷⁴ द्वारा और चार विभिन्न धर्मार्थ संस्थानों द्वारा प्रबंधित थे। 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार के ब्लड बैंकों में रक्त इकाइयों⁷⁵ का संग्रह राज्य में कुल संग्रह का 48 से 53 प्रतिशत था।

2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान "उत्तराखण्ड में ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली" विषय पर आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा मार्च और मई 2018 के बीच एस डी सी, एस बी टी सी और महानिदेशक स्वास्थ्य के अभिलेखों की जाँच के माध्यम से की गयी थी तथा राज्य सरकार के आठ ब्लड बैंकों⁷⁶ के कार्यालय को 2015-18 की अवधि के दौरान अधिकतम रक्त इकाइयों के संग्रह के आधार पर चुना गया।

1.7.2 एस बी टी सी की भूमिका

एन बी पी के अनुसार, एस बी टी सी राज्य स्तर पर रक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। उत्तराखण्ड में, एस बी टी सी की स्थापना⁷⁷ (अगस्त 2004) सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (स्वा एंव प क) विभाग की अध्यक्षता के रूप में हुई थी। अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

1.7.2.1 कार्य योजना को न बनाना

एन बी पी के प्रावधान के अनुसार, एस बी टी सी को धीरे-धीरे प्रतिस्थापन रक्त डोनर्स⁷⁸ को चरणबद्ध कम करने और स्वैच्छिक रक्त डोनर्स (वी बी डी)⁷⁹ से सुरक्षित और गुणवत्ता वाले रक्त के संग्रह का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता थी। तथापि,

⁷⁴ निजी पार्टियों द्वारा प्रबंधित सात ब्लड बैंकों में से छः अस्पतालों से जुड़े हैं और एक स्टैंडएलोन ब्लड बैंक है (किसी भी अस्पताल से जुड़ा नहीं है)।

⁷⁵ एक यूनिट = 350 एम एल

वर्ष	रक्त संग्रह (यूनिट में) विभिन्न स्तर पर					
	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	प्राइवेट	धर्मार्थ संस्थाएं	स्टैंडएलोन ब्लड	योग
2015-16	58,080(53)	832(1)	14,444(13)	5,860 (5)	30,872(28)	1,10,088
2016-17	59,068(48)	1,569(1)	23,175(19)	10,267(8)	29,793(24)	1,23,872
2017-18	60,836(48)	3,783(3)	21,177(17)	15,845(13)	24,696(19)	1,26,337

⁷⁶ सुशीला तिवारी मेमोरियल (एस टी एम) अस्पताल, हल्द्वानी, (ii) एस एस जीना बेस अस्पताल, हल्द्वानी, (iii) एल डी भट्ट सरकारी अस्पताल, काशीपुर, (iv) एच एम जी जिला अस्पताल, हरिद्वार, (v) एस जे एन एस एम सरकारी संयुक्त अस्पताल, रुड़की, (vi) दून अस्पताल, देहरादून, (vii) बी डी पांडे जिला अस्पताल, पिथौरागढ़ और (viii) बेस अस्पताल श्रीनगर, पौड़ी।

⁷⁷ सोसायटी अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत।

⁷⁸ परिवार/प्रतिस्थापन दाता: एक डोनर जो रोगी के परिवार/समुदाय के किसी सदस्य को रक्त देता है, जिसमें रोगी के परिवार द्वारा डोनर को एक छिपा हुआ भुगतान शामिल हो सकता है (ii) वह जो उसके सदस्य के लिए आवश्यक होने पर रक्त देता है परिवार/समुदाय; इसमें ज़बरदस्ती या भुगतान शामिल हो सकता है और (iii) किसी भी स्रोत से लाभों को शामिल किए बिना किसी विशेष रोगी को आवश्यक रक्त के प्रतिस्थापन में रक्तदान करने वाले रोगी के परिवार या मित्र का सदस्य।

⁷⁹ एक स्वैच्छिक रक्त डोनर वह व्यक्ति होता है जो अपनी मर्जी से रक्त, प्लाज्मा या अन्य रक्त घटक देता है और इसके लिए कोई भुगतान नहीं करता है, या तो नगद के रूप में या उस प्रकार से जिसे पैसे का विकल्प माना जा सकता है।

यह देखा गया कि एस बी टी सी द्वारा ऐसी कोई कार्य योजना तैयार नहीं की जा रही थी। कार्य योजना के अभाव में, एस बी टी सी राज्य में वी बी डी के संबन्ध में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सकी जैसा कि प्रस्तर 1.7.3.1 में विस्तृत है।

सौ प्रतिशत स्वैच्छिक रक्तदान हासिल करने के लिए, एस बी टी सी को प्रतिस्थापन रक्त डोनर्स को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए।

1.7.2.2 एस बी टी सी की गवर्निंग बॉडी की अपर्याप्त बैठकें

एस बी टी सी काउंसिल नियम, 2004 के अनुसार, एस बी टी सी की गवर्निंग बॉडी की बैठकें, इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए, वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जानी थीं। तथापि, यह देखा गया कि 2015-18 की अवधि के दौरान आवश्यक छः बैठकों में से, गवर्निंग बॉडी की केवल दो बैठकें⁸⁰ आयोजित की गईं। परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष की राज्य परिषद की वार्षिक रिपोर्ट, अगले वर्ष के लिए पूछताछ और अनुसंधान कार्य के प्रस्ताव और अगले वर्ष के लिए धन की माँग जैसे मामलों पर समीक्षा एवं चर्चा नहीं की जा सकी।

1.7.2.3 एस बी टी सी द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार (आई ई सी) गतिविधियों का अपर्याप्त आयोजन

एस बी टी सी एक सोसायटी है जिसे एन ए सी ओ और राज्य सरकार द्वारा अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है। एस बी टी सी को उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (यू एस ए सी एस) से अनुदान प्राप्त होता है, जैसा कि एन ए सी ओ द्वारा प्रदान किया जाता है और राज्य अनुदान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के वार्षिक बजट से प्राप्त किया जाता है। एन बी पी के अनुसार, एस बी टी सी द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए जनसंचार माध्यमों सहित संचार के सभी माध्यमों का उपयोग करके आई ई सी अभियान का विकास और प्रारम्भ करना था तथा भुगतान आधारित रक्त डोनर्स के साथ-साथ अनाधिकृत ब्लड बैंकों से रक्त की खरीद से उत्पन्न खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान आई ई सी गतिविधियों पर आवंटित बजट और व्यय को नीचे तालिका-1.7.1 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.7.1: आई ई सी गतिविधियों पर बजट आवंटन और व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य
प्राप्त अनुदान	25.40	11.50	8.96	निरंक	निरंक	निरंक	1.00	2.20	1.41	निरंक
व्यय	16.47	3.89	6.99	0.16	3.29 ⁸¹	0.35	2.04 ⁸²	2.07	1.41	निरंक

स्रोत: एस बी टी सी।

⁸⁰ 03 अगस्त 2015 और 18 मई 2017।

⁸¹ पिछले वर्षों के अनुदानों से।

⁸² पिछले वर्षों की शेष राशि से ₹ 1.04 लाख का अतिरिक्त व्यय किया गया था।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आई ई सी गतिविधियों के लिए एस बी टी सी को आवंटित अनुदानों में भारी गिरावट आई है। लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि उपरोक्त अवधि के दौरान एस बी टी सी ने भारत सरकार और राज्य सरकार से आई ई सी गतिविधियों के लिए अनुदान की राशि बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया था। यह भी देखा गया कि वर्ष 2013-14 में 27 आई ई सी गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जबकि वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में क्रमशः नौ, छः, आठ और केवल दो गतिविधियाँ स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए की गयी थीं।

उक्त के संबन्ध में इंगित किए जाने पर, एस बी टी सी ने अवगत कराया कि आई ई सी गतिविधियों को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन ए सी ओ) द्वारा चलाया जा रहा है। जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि एन बी पी के दिशानिर्देशों के अनुसार रक्त और रक्त के घटकों की गुणवत्ता, सुरक्षा और उपलब्धता सुनिश्चित करने और 100 प्रतिशत स्वैच्छिक रक्त दान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियमित स्वैच्छिक रक्त दान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एस बी टी सी के द्वारा आई ई सी गतिविधियाँ किया जाना अनिवार्य था। आई ई सी गतिविधियों की कमी को ब्लड बैंकों की खराब उपलब्धि की पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाना चाहिए जैसे कि वी बी डी के संबन्ध में प्रस्तर 1.7.3.1 में चर्चा की गई है।

स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक रूप से जागरूकता पैदा करने के लिए एस बी टी सी को संचार के सभी माध्यमों का उपयोग करके आई ई सी अभियान शुरू करने का प्रयास करना चाहिए।

1.7.2.4 राष्ट्रीय रक्त नीति के प्रावधानों का पालन न किया जाना

एस बी टी सी उत्तराखण्ड द्वारा एन बी पी के निम्नलिखित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

लक्ष्य	प्रावधान	टिप्पणियाँ
मानव संसाधन विकास के माध्यम से जनशक्ति को मजबूत करना	सभी मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफ्यूजन दवा का एक अलग विभाग स्थापित किया जाएगा।	वर्तमान में, राज्य में तीन मेडिकल कॉलेज हैं। तीन मेडिकल कॉलेजों ⁸³ में से किसी एक में भी ट्रांसफ्यूजन दवा विभाग स्थापित नहीं किया गया था।
	सभी ब्लड बैंकों में प्रभावी ट्रांसफ्यूजन सेवाएँ प्रदान करने के लिए चिकित्सकों के अलग केंद्र बनाए जाएंगे।	राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई केंद्र नहीं बनाया गया था।
ट्रांसफ्यूजन दवा और संबन्धित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना	ब्लड बैंकिंग से संबन्धित ट्रांसफ्यूजन दवा और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान की सुविधा के लिए एस बी टी सी द्वारा निधि का कोष बनाया जाना चाहिए।	शोध को सुविधाजनक बनाने के लिए एस बी टी सी द्वारा धन का कोई कोष नहीं बनाया गया था।
	अन्य ब्लड बैंकों के साथ जानकारी साझा करने हेतु नेटवर्किंग की सुविधा के लिए नियमित रूप से सभी ब्लड बैंकों	राज्य में जिला अस्पताल, पौड़ी में ब्लड बैंक को अभी तक नेटवर्क सुविधा से जोड़ा जाना बाकी है। एस बी टी सी ने कहा कि डोनर्स की जानकारी साझा करने के संबन्ध में, प्रत्येक

⁸³ दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, एसटीएम मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर।

	द्वारा उपयोग के लिए कंप्यूटर आधारित सूचना और प्रबंधन प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।	ब्लड बैंक एक डोनर की डायरेक्टरी बनाए हुए है जिसमें दुर्लभ ब्लड ग्रुप डोनर भी सम्मिलित हैं और किसी भी आपात स्थिति में संपर्क किया जा सकता है। डोनर्स की जानकारी के बारे में डेटा ब्लड बैंकों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं बनाया गया था।
रक्त ट्रांसफ्यूजन सेवाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए पर्याप्त नियामक और विधायी कदम उठाने और ब्लड बैंकों में लाभप्रदता को समाप्त करने के लिए कदम उठाये जाने थे।	राज्य/एस बी टी सी द्वारा निजी अस्पतालों/ नर्सिंग होम के पंजीकरण के लिए नियम तैयार करने थे, जिसमें उनके रोगियों के लिए रक्त की खरीद के लिए लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक के साथ संबद्धता के प्रावधान सम्मिलित किए जाने थे।	राज्य सरकार/एस बी टी सी ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था।

राज्य में राष्ट्रीय रक्त नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए एस बी टी सी द्वारा उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

1.7.2.5 अपर्याप्त जनशक्ति

एस बी टी सी की सुचारू कार्यप्रणाली हेतु, एन ए सी ओ ने निदेशक⁸⁴ का एक पद, उप सहायक निदेशक⁸⁵ के दो पद, अनुभाग अधिकारी का एक पद और अधीनस्थ कर्मचारियों के आठ पदों को स्वीकृत किया (मई 2009)। राज्य सरकार ने निदेशक के एक पद (जून 2016), उप सहायक निदेशकों के दो पद और एस बी टी सी के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों (आउटसोर्सिंग के माध्यम से) के 06 पद सृजित किए। राज्य सरकार द्वारा अनुभाग अधिकारी और दो अधीनस्थ कर्मचारियों के पद सृजित नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त, एस बी टी सी में उप सहायक निदेशकों के सृजित पद नहीं भरे गए हैं। एस बी टी सी ने इस मामले को राज्य सरकार के साथ-साथ एन ए सी ओ के संज्ञान में लाकर अपनी जनशक्ति को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया।

उक्त के संबन्ध में, एस बी टी सी ने अवगत कराया कि एस बी टी सी में रिक्त पदों को भरने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

राज्य में राष्ट्रीय रक्त नीति के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी हेतु राज्य सरकार एन ए सी ओ द्वारा प्रस्तावित एस बी टी सी के स्टाफ को बढ़ा सकती है।

1.7.3 स्वैच्छिक रक्त दान

1.7.3.1 स्वैच्छिक डोनर्स से रक्त का संग्रह

स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम सुरक्षित और गुणवत्ता वाली रक्त संचरण सेवा की नींव है क्योंकि स्वैच्छिक गैर-पारिश्रमिक रक्त डोनर्स से रक्त संग्रह को सबसे सुरक्षित माना जाता है। इस संदर्भ में,

⁸⁴ उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के निदेशक के द्वारा पदेन पदभार और प्रभार की देखभाल की जा रही थी।

⁸⁵ मेडिकल-01 और आई ई सी-01।

एन बी पी के अनुसार रिप्लेसमेंट डोनर्स के चलन को धीरे-धीरे समयबद्ध कार्यक्रम में, 100 प्रतिशत स्वैच्छिक गैर-पारिश्रमिक रक्त दान प्राप्त करने हेतु, चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।

(अ) चयनित ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान की स्थिति

चयनित ब्लड बैंकों के अभिलेखों की जाँच से पाया गया कि एच एम जी जिला अस्पताल, हरिद्वार को छोड़कर, अन्य ब्लड बैंक, एन बी पी में अनुमानित 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिप्लेसमेंट डोनर्स को चरणबद्ध तरीके से कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सके। नमूना जाँच किये आठ ब्लड बैंकों में से पाँच ब्लड बैंकों⁸⁶ में, कुल एकत्र हुई रक्त इकाइयों (टी बी सी) के सापेक्ष वी बी डी की प्रतिशता 2015-16 की तुलना में 2017-18 में घट गयी। इसके अलावा, एस बी टी सी द्वारा प्रतिस्थापन डोनर को धीरे-धीरे कम करने के लिए कार्य योजना के अभाव में आठ में से सात ब्लड बैंक⁸⁷ लक्ष्य का 40 प्रतिशत भी प्राप्त नहीं कर सके जैसा कि **परिशिष्ट-1.7.2** में वर्णित है और ये ब्लड बैंक मुख्य रूप से प्रतिस्थापन दान पर निर्भर थे।

उत्तर में, संबन्धित ब्लड बैंकों ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में नीति का अनुपालन किया जाएगा।

एस बी टी सी को 100 प्रतिशत स्वैच्छिक रक्तदान प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए एवं राज्य के सभी ब्लड बैंकों से भी इसका अनुपालन सुनिश्चित कराना चाहिए।

(ब) डेटा का मिलान न होना

एस बी टी सी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एवं चयनित ब्लड बैंकों से प्राप्त वी बी डी की प्रतिशता के आँकड़ों में महत्वपूर्ण अंतर था। जैसा कि **परिशिष्ट-1.7.2** में विस्तृत है।

एस बी टी सी ने अवगत कराया कि वार्षिक रिपोर्ट में दिखाए गए आँकड़े स्वैच्छिक रक्त डोनर्स और परिवार डोनर्स के योग थे। जबकि, एन ए सी ओ की पारिवारिक डोनर की परिभाषा के अनुसार, परिवार दाता, रिप्लेसमेंट डोनर्स की श्रेणी में आता है। इसलिए वी बी डी के बारे में एस बी टी सी के आँकड़े बढ़े हुए पाये गये और राज्य में वी बी डी की सही स्थिति को चित्रित नहीं किया गया।

(स) निजी, केन्द्र सरकार, धर्मार्थ एवं स्टैंडएलोन ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान की स्थिति

एस बी टी सी द्वारा निजी, केन्द्र सरकार, धर्मार्थ एवं स्टैंडएलोन ब्लड बैंकों के लिए तैयार की गई वी बी डी के संबन्ध में वार्षिक रिपोर्ट से पता चला कि 2015-18 की अवधि के दौरान सात ब्लड

⁸⁶ (i) एस टी एम अस्पताल हल्द्वानी, (ii) एस एस जीना बेस अस्पताल हल्द्वानी, (iii) एल डी भट्ट, अस्पताल काशीपुर, (iv) एच एम जी जिला अस्पताल हरिद्वार और (v) एस जे एन एस एम अस्पताल, रुड़की।

⁸⁷ (i) एस टी एम अस्पताल हल्द्वानी, (ii) एस एस जीना बेस अस्पताल हल्द्वानी, (iii) एल डी भट्ट, अस्पताल काशीपुर, (iv) एस जे एन एस एम अस्पताल रुड़की, (v) दून अस्पताल देहरादून, (vi) बी डी पांडे अस्पताल पिथौरागढ़ और (vii) बेस अस्पताल श्रीनगर।

बैंकों⁸⁸ में वी बी डी की प्रतिशता बहुत कम थी। इसके अतिरिक्त, यह बी एच ई एल, हरिद्वार के ब्लड बैंक के मामले में शून्य प्रतिशत था जैसा कि निम्न तालिका-1.7.2 में दिया गया है। इन ब्लड बैंकों ने ज्यादातर रिप्लेसमेंट डोनर्स से रक्त एकत्र किया।

तथापि, आठ ब्लड बैंकों में वी बी डी की प्रतिशतता संतोषजनक थी और उपरोक्त अवधि के दौरान आई एम ए ब्लड बैंक द्वारा 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया था।

तालिका-1.7.2: निजी/केंद्र सरकार/धर्मार्थ/स्टैंडएलोन में वी बी डी के प्रतिशता का विवरण

क्र.सं.	ब्लड बैंक	वी बी डी का प्रतिशता ⁸⁹			
		ब्लड बैंक का नाम	2015-16	2016-17	2017-18
1.	निजी	मैक्स अस्पताल, देहरादून	7	5	18
2.		एच आई एच टी जौलीग्रॉंट, देहरादून	89	63	67
3.		सुभारती, देहरादून	-	22	19
4.		श्रीकृष्णा, ऊधमसिंह नगर	-	11	20
5.		कैलाश अस्पताल, देहरादून	-	-	13
6.		जीवन रेखा अस्पताल, काशीपुर	100	100	94
7.	केंद्र	एम एच, देहरादून	100	97	100
8.		एम एच, रुड़की	71	91	100
9.		बी एच ई एल, हरिद्वार	0	0	0
10.		ए आई आई एम एस, ऋषिकेश	-	61	43
11.	धर्मार्थ	सेवा चेरिटेबल ब्लड बैंक, बाजपुर	--	--	20
12.		महन्त इंद्रेश, अस्पताल, देहरादून	84	96	98
13.		आर के एम एस, हरिद्वार	4	9	37
14.		काशीपुर चेरिटेबल ब्लड बैंक, काशीपुर	--	--	81
15.	एकल	आई एम ए ब्लड बैंक, देहरादून	100	100	100

स्रोत: एस बी टी सी की प्रगति रिपोर्ट।

नोट: क्र सं 3, 4, और 10, 2016-17 में प्रारम्भ हुए व क्र सं 5, 11 और 14 वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ हुए।

एस बी टी सी ने अवगत कराया कि 100 प्रतिशत स्वैच्छिक दान संभव नहीं था और इस उद्देश्य के लिए निजी ब्लड बैंकों में पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति आदि के बारे में कुछ सीमाएँ थीं। एस बी टी सी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एन बी पी के अनुसार राज्य स्तर पर, एस बी टी सी प्रतिस्थापन डोनर को बाहर करने हेतु नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और वी बी डी के माध्यम से 100 प्रतिशत संग्रह को लागू करना विचारणीय था। इसके अतिरिक्त, निजी पार्टी द्वारा संचालित आई एम ए ब्लड बैंक (स्टैंडएलोन ब्लड बैंक) ने 2015-18 की अवधि के दौरान लगातार तीन वर्षों में 100 प्रतिशत वी बी डी प्राप्त किया एवं इस ब्लड बैंक ने उपरोक्त अवधि में राज्य में सबसे अधिक रक्त इकाइयों का योगदान दिया था।

⁸⁸ तालिका-1.7.2 में क्रमांक 1, 3, 4, 5, 9, 11 और 13।

⁸⁹ वी बी डी की प्रतिशता की गणना संबन्धित ब्लड बैंक द्वारा एकत्र की गई कुल रक्त इकाइयों के सापेक्ष की जाती है।

1.7.4 विनियामक मुद्दे

1.7.4.1 ब्लड बैंकों को लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करना

रक्त को 'दवा' के रूप में पहचाने जाने से, ब्लड बैंकों को दवा और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है। एस डी सी नियामक प्राधिकरण है, जो सी डी एस सी ओ की संस्तुति के साथ ब्लड बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार है। लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण से पहले ड्रग इंस्पेक्टर और सी डी एस सी ओ के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाना चाहिए। लाइसेंस के जारी / नवीनीकरण की प्रक्रिया **परिशिष्ट-1.7.3** में विस्तृत है। लाइसेंस पाँच साल तक वैध होते हैं, जिसके बाद आवश्यक श्रमशक्ति और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के संबन्ध में नए सिरे से निरीक्षण करने के बाद उसका नवीनीकरण किया जाता है। 2015-18 की अवधि के दौरान, राज्य में 17 ब्लड बैंक के लाइसेंस नवीनीकृत किए जाने थे। इनमें से केवल चार ब्लड बैंकों के लाइसेंस नवीनीकृत किए गए थे जैसा कि **परिशिष्ट-1.7.4** में वर्णित है।

एस डी सी के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राज्य में 35 ब्लड बैंकों में से 13 (12 सरकारी और एक निजी) ब्लड बैंक एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ संचालन कर रहे थे (जून 2018 तक)। इन 13 ब्लड बैंकों में से दून ब्लड बैंक का मामला अनुमोदन के लिए सी डी एस सी ओ को भेजा गया था और छः ब्लड बैंक लाइसेंस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण न किए जाने के कारण छः महीने से दो साल तक की अवधि तक बिना लाइसेंस के संचालन कर रहे थे। छः मामलों में, निरीक्षण अधिकारियों ने निरीक्षण किया था और विभिन्न कमियों को उजागर किया था जैसे प्रयोगशाला और रक्त के भण्डारण के लिए अपर्याप्त स्थान, ब्लड बैंक में असंतोषजनक साफ-सफाई; उपकरणों का कैलिब्रेशन न किया जाना, अभिलेखों का अपर्याप्त रखरखाव, थर्मोग्राफ का काम नहीं करना, जैसा कि **परिशिष्ट-1.7.4** में वर्णित है। तथापि, ब्लड बैंकों द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया एवं आठ महीने से बीस साल⁹⁰ तक बिना लाइसेंस के संचालन कर रहे थे जैसा कि **परिशिष्ट-1.7.5** में वर्णित है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियम 122-ओ के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकारी या अनुमोदन प्राधिकारी, लाइसेंसधारक को कारण बताओ नोटिस देने के बाद ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द या निलंबित कर सकता है। तथापि, ब्लड बैंकों के संयुक्त निरीक्षण में इंगित कमियों को सुधारने में नाकाम रहने वाले ब्लड बैंकों के विरुद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी या अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

बिना लाइसेंस के ब्लड बैंकों के संचालन में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक मानकों में कमी तथा असुरक्षित रक्त की आपूर्ति जोखिम से भरा होता है।

⁹⁰ जिला अस्पताल, पिथौरागढ़ और जिला अस्पताल, उत्तरकाशी क्रमशः 20 साल और 10 से अधिक वर्षों से लाइसेंस के बिना चल रहे थे।

राज्य ड्रग कंट्रोलर को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोषी ब्लड बैंकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

1.7.4.2 ब्लड बैंकों को लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करने की प्रक्रिया में अनियमितताएँ

उत्तराखण्ड एस डी सी के अभिलेखों की जाँच के दौरान, ब्लड बैंकों के लाइसेंस को नवीनीकृत करने में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं:

ब्लड बैंक का नाम	मानदण्ड	टिप्पणियाँ
सुभारती अस्पताल , देहरादून	लाइसेंस की शर्त के अनुसार, लाइसेंस में उल्लिखित तकनीकी कर्मचारियों में किए गए किसी भी बदलाव को तुरंत लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा। जहां ब्लड बैंक के संविधान में कोई परिवर्तन होता है, वर्तमान लाइसेंस को उस तारीख से तीन महीने की अधिकतम अवधि के लिए मान्य माना जाएगा, जिस पर परिवर्तन हुआ है।	लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा कार्यरत तकनीकी स्टाफ के नाम का उल्लेख करके अवधि (मई 2015 से मई 2020) के लिए ब्लड बैंक का लाइसेंस नवीनीकृत (मई 2015) किया गया था। लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण (मई 2017) के समय, यह पाया गया कि लाइसेंस में उल्लिखित तकनीकी स्टाफ ने संयुक्त निरीक्षण की तारीख से एक साल पहले ही ब्लड बैंक छोड़ दिया था। लाइसेंस की शर्त के अनुसार, लाइसेंस अधिकतम तीन महीने के लिए मान्य था। इसलिए ब्लड बैंक वैध लाइसेंस के बिना चल रहा था।
सुशीला तिवारी मेमोरियल (एस टी एम) अस्पताल, हल्द्वानी	लाइसेंस निरंतरता में प्रदान किया जाना था।	फरवरी 2010 से फरवरी 2015 तक इसे नवीनीकृत करने के बजाय लाइसेंस मार्च 2012 से मार्च 2017 तक नवीनीकृत किया गया था। इस प्रकार लाइसेंसिंग प्राधिकरण की लापरवाही के कारण से ब्लड बैंक को दो साल तक वैध लाइसेंस के बिना काम करने दिया गया।
सभी ब्लड बैंक	राष्ट्रीय रक्त नीति (एन बी पी) प्रावधानित करती है कि ब्लड बैंकों को लाइसेंस जारी करना/नवीनीकरण इस शर्त के अधीन है कि लाइसेंसधारक को पूर्व का लाइसेंस रक्त संग्रह रिपोर्ट, चिकित्सा अधिकारी और परामर्शदाता का प्रमाण और विवरण एवं अलग-अलग सुविधाओं के रक्त घटक को इंगित करने वाली वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि एस डी सी से पिछले लाइसेंस की फोटो प्रति जमा करके 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एन ओ सी) प्राप्त करना है।	अभिलेखों की जाँच से पता चला कि एस डी सी से आवश्यक एन ओ सी के बिना सभी ब्लड बैंकों को लाइसेंस जारी/नवीनीकृत किए जा रहे थे।

1.7.4.3 ब्लड बैंकों के नियमित निरीक्षण का अभाव

लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अनुसार, रक्त और रक्त उत्पादों के मानक का पता लगाने के लिए, एक ब्लड बैंक की, सी डी एस सी ओ के ड्रग इंस्पेक्टरों की एक टीम और राज्य लाइसेंसिंग

प्राधिकरण तथा यदि आवश्यक हो तो एक विशेषज्ञ के साथ, लाइसेंस की दिनांक से आवधिक रूप से वर्ष में कम से कम एक बार पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए।

एस बी टी सी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2015-18 के दौरान लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा 96 निरीक्षण⁹¹ किए जाने थे। तथापि, एस डी सी से एकत्रित जानकारी में पाया गया कि उपरोक्त अवधि के दौरान केवल 22 निरीक्षण⁹² ही किए जा सके। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2015-18 के दौरान चयनित ब्लड बैंकों में से किसी का भी निरीक्षण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, एस डी सी ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण नियमित निरीक्षण नहीं किए जा सके। ब्लड बैंकों के निरीक्षण के अभाव में, रक्त और रक्त घटकों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ब्लड बैंकों की कार्यापद्धति को सुनिश्चित करने के लिए, लाइसेंस का अनुमोदन (सी डी एस सी ओ) एवं जारी करने (स्टेट ड्रग कंट्रोलर) वाले प्राधिकारियों को ब्लड बैंकों का नियमित निरीक्षण करना चाहिए।

1.7.5 रक्त और रक्त घटकों का गुणवत्ता नियंत्रण

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ब्लड बैंकों को विभिन्न विधियों अर्थात् न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन परीक्षण (एन ए टी), एंजाइम लिंकड इम्यून सोरबेंट परख (एलिसा) III एवं IV और रैपिड टेस्ट किट का उपयोग करके एकत्रित रक्त के विरुद्ध विभिन्न परीक्षण (स्क्रीनिंग) सीफिलिस, मलेरिया, एच आई वी I और II, हेपेटाइटिस बी और सी करने की आवश्यकता होती है। इन सभी परीक्षणों में संक्रमण का पता लगाने के लिए अलग-अलग संवेदनशीलता है; कुछ परीक्षण संक्रमित (विंडो पीरियड) से कम अवधि के भीतर संक्रमण का पता लगा सकते हैं। लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पायी गईं:

1.7.5.1 एच आई वी के लिए खून की अपर्याप्त जाँच

एन ए सी ओ के निर्देशों के अनुसार, एच आई वी के लिए रक्त की जाँच आवश्यक रूप से तीन अलग-अलग एंटीजन अर्थात् दो रैपिड और एक एलिसा एंटीजन या दो एलिसा और एक रैपिड एंटीजन का उपयोग करके की जानी चाहिए। आगे यह निर्देशित किया गया कि एड्स, हेपेटाइटिस बी एवं सी, सीफिलिस और मलेरिया के खिलाफ रक्त की जाँच के लिए एलिसा रीडर और आवश्यक एलिसा परीक्षण किट और विभिन्न रैपिड टेस्ट किट यू एस ए सी एस द्वारा सभी ब्लड बैंकों को उपलब्ध कराए जाने हैं। यह पाया गया कि एच एम जी जिला अस्पताल, हरिद्वार ब्लड बैंक को छोड़कर सभी चयनित ब्लड बैंक एच आई वी के खिलाफ रक्त की जाँच के लिए एलिसा रीडर का उपयोग नहीं कर रहे थे, जिससे रक्त के प्राप्तकर्ताओं को संक्रमण होने की आशंका बनी रहती है। तथापि, जैसा कि

⁹¹ 2015-16=30; 2016-17=33; और 2017-18=33 (योग-96)।

⁹² 2015-16=03; 2016-17=08; और 2017-18=11 (योग-22)।

एन ए सी ओ द्वारा प्रदान/निर्दिष्ट किया गया था सभी एकत्रित रक्त इकाइयों (ब्लड बैंक पिथौरागढ़ को छोड़कर जैसा कि **प्रस्तर 1.7.6 ब में वर्णित है**), को विभिन्न रैपिड टेस्ट किट द्वारा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सीफिलिस और मलेरिया के लिए जाँच / परीक्षण किया जा रहा था।

जब लेखापरीक्षा द्वारा एच आई वी के विरुद्ध रक्त इकाइयों के परीक्षण के लिए एलिसा एंटीजन के उपयोग न किए जाने के बारे में इंगित किया गया, तो ब्लड बैंकों ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि एलिसा एच आई वी परीक्षण किट यू एस ए सी एस द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जा रहे थे।

एस बी टी सी और राज्य ड्रग कंट्रोलर को एच आई वी के विरुद्ध रक्त की जाँच के बारे में एन ए सी ओ के दिशानिर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण करना चाहिए।

1.7.5.2 ब्लड बैंकों द्वारा उपकरणों के अप्रभावी कैलिब्रेशन

अधिनियम में, अन्य बातों के साथ, आवश्यक है कि संग्रह और प्रसंस्करण, परीक्षण, रक्त और रक्त घटकों के भण्डारण के लिए ब्लड बैंकों में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का नियमित और अनुसूचित आधार पर मानकीकरण और कैलिब्रेट किए जाएँ। प्रारंभिक उपयोग से पहले प्रयोगशाला थर्मामीटर को कैलिब्रेट किया जाना आवश्यक है; हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज को वार्षिक कैलिब्रेट किया जाना और चार अन्य उपकरणों⁹³ को छमाही आधार पर कैलिब्रेट किया जाना है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016 के बाद से तीन ब्लड बैंकों के उपकरणों⁹⁴ को कैलिब्रेट नहीं किया गया था; जिला अस्पताल, पिथौरागढ़ में उपकरण 2015 से तथा सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में 2017 से कैलिब्रेट नहीं किए गए थे जैसा कि **परिशिष्ट-1.7.6** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि भविष्य में कैलिब्रेशन किए जाएंगे।

निर्धारित अंतराल पर उपकरण का कैलिब्रेशन न किए जाने से त्रुटिपूर्ण और अविश्वसनीय रीडिंग जोखिम से भरा होता है, जिसके परिणामस्वरूप रक्त की अविश्वसनीय गुणवत्ता एकत्र एवं जारी की जा सकती है, जिससे रोगियों को जोखिम में डाला जा सकता है।

1.7.5.3 डोनर रजिस्टर

अधिनियम में यह प्रावधान है कि प्रत्येक ब्लड बैंक को क्रम संख्या, दान की दिनांक, नाम, पता और डोनर के हस्ताक्षर के साथ आयु का विवरण, वजन, हिमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर, चिकित्सीय जाँच बैग संख्या एवं रोगी का विवरण, दान की श्रेणी, डेफरल अभिलेख⁹⁵ और चिकित्सा अधिकारी

⁹³ जनरल लैब सेंट्रीफ्यूज, ऑटोमेटेड ब्लड टाइपिंग, हिमोग्लोबिन मीटर और रिफ्रेक्टोमीटर या यूरिनोमीटर।

⁹⁴ (i) एल डी भट्ट अस्पताल काशीपुर, (ii) एस एस जीना अस्पताल हल्द्वानी और (iii) एस जे एन एम अस्पताल रुड़की।

⁹⁵ डेफरल अभिलेख ब्लड डोनर रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं। यह उन डोनर्स का रिकॉर्ड है जिन्हें संक्रामक बीमारी होने के संदेह के कारण रक्तदान से बाहर रखा गया है।

प्रभारी के हस्ताक्षर इंगित करते हुए डोनर रजिस्टर का रखरखाव करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, रक्त दान के लिए सामान्य स्थितियां यह प्रदान करती हैं कि डोनर की आयु 18 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए; वजन 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए; हिमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए; और औषधि के बिना रक्तचाप सामान्य स्थिति में होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस एस जीना अस्पताल, हल्द्वानी को छोड़कर सभी चयनित ब्लड बैंकों में, इस रजिस्टर को अधिनियम में निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण रूप से बनाया नहीं जा रहा था। आयु, वजन, हिमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर, डोनर के हस्ताक्षर और चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर रजिस्टर में दर्ज नहीं किए जा रहे थे। परिणामस्वरूप, रक्तदान के लिए उपर्युक्त सामान्य शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

1.7.5.4 मास्टर रजिस्टर

अधिनियम में रक्त और रक्त घटकों के लिए एक मास्टर रजिस्टर निर्धारित किया गया है जिसका प्रत्येक ब्लड बैंक द्वारा रखरखाव किया जाना चाहिए। इस रजिस्टर में बैग सीरियल नंबर, संग्रह की तारीख, समाप्ति की तारीख, मात्रा एम एल में, आर एच समूह, एच आई वी, मलेरिया, हेपेटाइटिस, सीफिलिस के परीक्षण के लिए परिणाम, विवरण के साथ डोनर का नाम और पता, उपयोग जारी करने की संख्या, घटक तैयार या खारिज किया गया और चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

चयनित ब्लड बैंकों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि तीन⁹⁶ ब्लड बैंक मास्टर रजिस्टर का रखरखाव नहीं कर रहे थे और अन्य पाँच⁹⁷ इस रजिस्टर को पूर्ण रूप से नहीं बना रहे थे। रक्त की मात्रा, आर एच समूह, उपयोग जारी करने की संख्या और चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर रजिस्टर में दर्ज नहीं किए जा रहे थे। इसलिए, इन ब्लड बैंकों में मास्टर अभिलेख नहीं था, जैसा कि रक्त और इसके घटकों के लिए निर्धारित था तथा यह अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध था।

इसे इंगित किये जाने पर, ब्लड बैंकों ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में अधिनियम का अनुपालन किया जाएगा।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के सभी प्रावधानों के अनुपालन के लिए, एस बी टी सी और राज्य ड्रग कंट्रोलर को ब्लड बैंकों की कार्यपद्धति का अनुश्रवण सुनिश्चित करना चाहिए और यह भी

⁹⁶ (i) एस टी एम मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, (ii) बी डी पांडे जिला अस्पताल, पिथौरागढ़ और (iii) एल डी भट्ट अस्पताल, काशीपुर।

⁹⁷ (i) एस एस जेना बेस अस्पताल, हल्द्वानी, (ii) एच एम जी जिला अस्पताल, हरिद्वार, (iii) एस जे एन एस एम सरकारी संयुक्त अस्पताल, रुड़की, (iv) दून अस्पताल, देहरादून, और (v) बेस अस्पताल श्रीनगर, पौड़ी।

सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम के सभी प्रावधानों का अनुपालन राज्य में ब्लड बैंकों द्वारा किया जा रहा है।

1.7.6 जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में ब्लड बैंक द्वारा अधिनियम का घोर उल्लंघन

चयनित ब्लड बैंकों द्वारा रक्त और रक्त घटकों की गुणवत्ता नियंत्रण से संबन्धित, उपर्युक्त कमियों के अतिरिक्त बी डी पांडे जिला अस्पताल, पिथौरागढ़ के ब्लड बैंक के अभिलेखों की संवीक्षा और भौतिक निरीक्षण में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

(अ) यह ब्लड बैंक 1998 से वैध लाइसेंस के बिना काम कर रहा है। यह संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा 2002, 2007 और 2018 में बताई गई सभी कमियों⁹⁸ को दूर करने में विफल रहा। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा इसकी खराब कार्यपद्धति के बावजूद, डोनर और प्राप्तकर्ता दोनों के जीवन को खतरे में डालते हुए कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई थी।

(ब) अधिनियम के अनुसार एकत्रित रक्त की एच आई वी, हेपेटाइटिस बी और सी, मलेरिया और सीफ़िलिस का पता लगाने के लिए ठीक से जाँच की जानी है ताकि गुणवत्ता वाला रक्त प्रदान किया जा सके जो किसी भी संक्रामक बीमारी से मुक्त हो। तथापि, यह पाया गया कि 02 फरवरी 2017 से 31 मार्च 2018 (14 माह) के दौरान, मलेरिया की जाँच के बिना 1,194 रक्त इकाइयों⁹⁹ और 21 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2018 (20 माह) के दौरान 707 रक्त इकाइयों¹⁰⁰ को सीफ़िलिस जाँच के बिना रोगियों को जारी किया गया।

उक्त के संबन्ध में इंगित किए जाने पर, चिकित्सा अधिकारी, ब्लड बैंक, पिथौरागढ़ ने अवगत कराया कि स्लाइड विधि के माध्यम से मलेरिया की जाँच की जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्लाइड विधि के साथ मलेरिया परीक्षण करने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। उपरोक्त अवधि के दौरान, अस्पताल के स्टॉक अभिलेख के अनुसार मलेरिया और सीफ़िलिस के लिए एकत्रित रक्त इकाइयों की जाँच के लिए ब्लड बैंक के पास आवश्यक संख्या में टेस्ट किट नहीं थे।

ब्लड बैंक के भौतिक सत्यापन में निम्न कमियाँ दिखाई दीं:

⁹⁸ नसबंदी और प्रशासन कक्ष प्रदान नहीं किया गया; संक्रमणीय बीमारी के लिए प्रयोगशाला का उपयोग अन्य उपभोग्य वस्तुओं के भण्डारण के रूप में भी किया जाता है; रिकॉर्ड और स्टोर रूम उचित तरीके से नहीं थे; संक्रामक रोग के लिए रक्त जाँच केवल रैपिड किट विधि द्वारा किया गया था, एलिसा का उपयोग नहीं किया जा रहा था, आदि।

⁹⁹ केवल 291 परीक्षण किट (91 प्रारंभिक संतुलन + 200 उल्लेखित अवधि के दौरान प्राप्त हुए थे) स्टॉक में उपलब्ध थे जबकि अवधि के दौरान 1,485 रक्त इकाइयों (अर्थात् 1,485-291 = 1,194) की जाँच की गई थीं।

¹⁰⁰ स्टॉक में केवल 3,318 वी डी आर एल परीक्षण किट (1,318 उद्घाटन शेष + 2000 प्राप्त हुए थे) स्टॉक में उपलब्ध थे जबकि अवधि के दौरान 4,025 रक्त इकाइयों की जाँच की गई थी। अर्थात् (4,025-3,318 = 707)।

<p>अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि रक्त समूह सेरोलॉजी और रक्त संचारित बीमारियों जैसे हेपेटाइटिस, सीफिलिस, मलेरिया और एच आई वी के लिए अलग प्रयोगशाला होनी चाहिए।</p> <p>यह पाया गया कि रक्त समूह द्वारा रक्त समूह सेरोलॉजी और रक्त संचारणीय रोगों का परीक्षण एक साथ एक ही प्रयोगशाला में किया जा रहा था, जैसा कि साथ में चित्र संख्या 1.7.1 में दर्शाया गया है।</p>	
<p>अधिनियम के अनुसार, ब्लड बैंक का संचालन और रक्त घटकों की तैयारी स्वच्छ परिस्थितियों में होनी चाहिए। कमरों की दीवार और फर्श, जहां रक्त का संग्रह या रक्त घटकों की तैयारी की जाती है, चिकनी, धोने योग्य और साफ रखने काबिल होनी चाहिए। नालियां पर्याप्त आकार की होनी चाहिए और सीधे सीवर से जुड़ी होनी चाहिए।</p> <p>भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि उचित जल निकासी प्रणाली के अभाव में, पानी नाली से बाहर निकल रहा था और फर्श पर बिखर रहा था। डिस्पोजेबल आइटम ब्लड बैंक की गैलरी में रखे गए थे। परिणामस्वरूप, ब्लड बैंक अस्वच्छ स्थिति में संचालित हो रहा था, जैसा कि साथ में चित्र संख्या 1.7.2 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त अपशिष्ट रक्त और रक्त नलियों को परीक्षण की मेज पर रखे गए कूड़ेदान में डाला गया था जैसा कि चित्र संख्या-1.7.1 में दर्शाया गया है।</p>	<p>चित्र संख्या 1.7.1: ब्लड बैंक द्वारा एक ही प्रयोगशाला में ब्लड ग्रुप सीरोलॉजी और रक्त संचारणीय रोगों का परीक्षण किया जा रहा था।</p>  <p>चित्र संख्या 1.7.2: अस्पताल की कार्यपद्धति बहुत ही अस्वच्छ परिस्थितियों में संचालित थी।</p>
<p>रक्त की थैलियों को बंद करने के लिए ट्यूब सीलर के स्थान पर मोमबत्ती की लौ का उपयोग किया जा रहा था, जैसा कि साथ में चित्र संख्या 1.7.3 में दर्शाया गया है, तथापि, ब्लड बैंक के स्टोर में ट्यूब सीलर्स उपलब्ध थे। यह अस्वच्छ तरीका रक्त की गुणवत्ता को कम कर सकता है।</p>	 <p>चित्र संख्या 1.7.3: अस्पताल में मोमबत्ती की लौ का उपयोग किया जा रहा था</p>
<p>साथ में चित्र संख्या 1.7.4 में दर्शाए गए रक्त के क्रॉस मिलान के लिए एक्सपायर्ड टेस्ट किट का उपयोग किया जा रहा था। स्टोर में सीफिलिस के परीक्षण के लिए कई एक्सपायर्ड रैपिड टेस्ट किट मिले।</p>	 <p>चित्र संख्या 1.7.4: रक्त के क्रॉस मिलान के लिए एक्सपायर्ड परीक्षण किट का उपयोग किया जा रहा था।</p>

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के घोर उल्लंघन के लिए, एस डी सी को अधिनियम के नियम 122-ओ के अनुसार ब्लड बैंक के विरुद्ध उचित कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

1.7.7 जिला चंपावत में ब्लड बैंक की स्थापना नहीं होना

एन बी पी के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ब्लड बैंक होना चाहिए। यह पाया गया कि एन बी पी के लागू होने (2002) के सोलह वर्षों के बाद भी, लेखापरीक्षा की तिथि (मई 2018) तक जिला चंपावत में कोई ब्लड बैंक स्थापित नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने महानिदेशक, स्वास्थ्य को सूचित (जून 2016) किया कि ब्लड बैंक की स्थापना नहीं होने के कारण मरीजों को समय पर रक्त नहीं मिल सका और परिणामस्वरूप, कई रोगियों की मृत्यु रक्त की पूर्ति न होने से हुई। तथापि, महानिदेशक, स्वास्थ्य द्वारा इस संबंध में दो साल (जून 2018) के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसे इंगित किए जाने पर, एस बी टी सी ने अवगत कराया कि ब्लड बैंक भवन का निर्माण 2011 में मापदण्डों के अनुसार किया गया था। तथापि, आवश्यक उपकरण वर्ष 2016-17 के दौरान खरीदे जा सके थे क्योंकि 2011-12 से 2015-16 के दौरान निधि उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, यह अवगत कराया कि जिला अस्पताल ने ब्लड बैंक की स्थापना के लिए 2017-18 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। एस बी टी सी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधि की माँग एस बी टी सी ने 2015-16 में की थी।

अतः चंपावत में ब्लड बैंक की स्थापना में अत्यधिक विलम्ब ने, न केवल स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता को दर्शाया है, बल्कि रोगियों के जीवन को भी खतरे में डाल दिया।

1.7.8 निष्कर्ष

एस बी टी सी द्वारा कार्ययोजना के अभाव में तथा अपर्याप्त आई ई सी क्रियाकलापों के कारण जैसा कि रक्त नीति में परिकल्पित है, ब्लड बैंक रिप्लेसमेंट डोनर्स को चरणबद्ध तरीके से कम करके वी बी डी का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सके। एस बी टी सी की वार्षिक रिपोर्ट और चयनित ब्लड बैंकों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार वी बी डी के प्रतिशत में महत्वपूर्ण अंतर था। राज्य में 35 ब्लड बैंकों में से, 13 लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण न किये जाने या सम्बन्धित ब्लड बैंकों द्वारा कमियों को दूर न किये जाने के कारण एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ पाँच माह से 20 वर्ष तक संचालित हो रहे थे। 2015-18 की अवधि के दौरान 96 निरीक्षणों के सापेक्ष केवल 22 निरीक्षण किए गए। 2015-18 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा चयनित किसी भी ब्लड बैंक का निरीक्षण नहीं किया गया था। आठ चयनित ब्लड बैंकों में से, पाँच द्वारा निर्धारित समय में उपकरण की जाँच नहीं की गयी थी। डोनर और मास्टर रजिस्ट्रों का या तो रखरखाव नहीं किया जा रहा था अथवा अपूर्ण रूप से रखरखाव किया जा रहा था। जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में

ब्लड बैंक में अधिनियम का घोर उल्लंघन देखा गया और जिला चंपावत में ब्लड बैंक की स्थापना में अत्याधिक विलम्ब हुआ।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

1.8 अनुपस्थित चिकित्सकों से ₹18 करोड़ की क्षतिपूर्ति का वसूल न किया जाना

विभाग चिकित्सकों से करार भंग होने के कारण ₹18 करोड़ की क्षतिपूर्ति को वसूल करने में असफल रहा। दोषियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई जिससे राज्य के दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का उद्देश्य विफल हुआ।

राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर को निर्देश (जुलाई 2008) दिया कि उत्तराखण्ड प्री-मेडिकल टेस्ट (यू पी एम टी) के माध्यम से एम बी बी एस कोर्स में प्रवेश के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को अपना एम बी बी एस कोर्स पूरा करने के बाद पहाड़ी एवं दुर्गम इलाकों में पाँच साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवा करनी होगी। यह सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने और राज्य के पहाड़ी एवं दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। चयनित उम्मीदवारों को प्रवेश के समय एक शपथपत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था, जिसके अनुसार वे राज्य के पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में पाँच साल की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्हें एक ऐसे बॉन्ड पर भी हस्ताक्षर करना अनिवार्य था जिसके अनुसार वे दूरदराज के क्षेत्रों में पाँच साल की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। ऐसे छात्र सम्पूर्ण एम बी बी एस कोर्स के लिए रियायती दर पर प्रति वर्ष ₹ 15,000 के शिक्षण प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे और उनकी शिक्षा की शेष लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। जो उम्मीदवार इन क्षेत्रों में सेवा करने के लिए इच्छुक नहीं थे उन्हें राज्य सरकार को एकमुश्त ₹ 30 लाख की राशि का भुगतान करना था। सरकार ने एक समझौता पत्र का प्रारूप जारी कर प्रधानाचार्यों को 2008 एवं 2009 बैच के छात्रों एवं उनके माता-पिता/अभिभावकों के द्वारा हस्ताक्षरित बॉन्ड¹⁰¹ प्राप्त करने के लिए निर्देशित (सितम्बर 2009) किया। राज्य द्वारा जारी निर्धारित बांड के माध्यम से अनुबंध के आधार पर सेवा देने से संबन्धित दिशा-निर्देश केवल 2008 से 2012 के बैच तक ही प्रभावी थे।

अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2017) एवं मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर तथा महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून से एकत्र (मई 2018) सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि छात्रों द्वारा शपथ पत्र (प्रवेश के समय) पर हस्ताक्षर किए गए थे और 2008 तथा 2009 बैच के छात्रों एवं उनके पिता/माता-पिता/अभिभावक द्वारा बॉन्ड पर यह सुनिश्चित करने के लिए हस्ताक्षर (वर्ष 2014 में) किए गए थे कि छात्र एम बी बी एस कोर्स पूरा करने के बाद राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में न्यूनतम पाँच

¹⁰¹ यह बॉन्ड 2012 बैच तक प्रभावी था जिसके बाद एक नए बॉन्ड को अंतिम रूप दिया गया।

साल की सेवा प्रदान करेंगे तथा ऐसा न करने पर वे ₹ 30 लाख का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। कोर्स के लिए चुने गए 200 छात्रों¹⁰² में से महानिदेशक द्वारा 180 छात्रों¹⁰³ को राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों के रूप में नियुक्त किया गया था। यद्यपि यह देखा गया कि इन नियुक्त डॉक्टरों में से 60 डॉक्टर, शपथ पत्र की शर्तों के उल्लंघन के साथ-साथ **बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन कर**, या तो ज्वाइन करने की तिथि से या कुछ समय अपनी सेवाएँ देने के बाद, अपनी इयूटी से अनुपस्थित थे। फिर भी, विभाग द्वारा इन 60 डॉक्टरों पर न तो ₹18 करोड़¹⁰⁴ की क्षतिपूर्ति का दावा किया गया और न ही 22 महीने से लेकर चार साल तक की अवधि बीत जाने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर के प्रधानाचार्य ने बताया (दिसम्बर 2017) कि अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही विचाराधीन है।

विभाग के उदासीन रवैये के कारण दोषियों से ₹18 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली नहीं की गई। इसके अलावा राज्य के सुदूर जिलों में स्वीकृत 890 पदों के सापेक्ष 391 डॉक्टरों की कमी के कारण राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

लोक निर्माण विभाग

1.9 परिहार्य व्यय

खण्ड द्वारा 192.69 मीट्रिक टन आधिक्य स्टील की अप्रयुक्त मात्रा के लिए ₹ 1.69 करोड़ का भुगतान किया गया, जिससे बचा जा सकता था यदि स्टील की आधिक्य मात्रा का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद हरिद्वार में अर्द्ध-कुम्भ मेला-2016 के दौरान यातायात को व्यवस्थित करने के लिए पाँच अस्थायी/अर्द्ध-अस्थायी स्टील गर्डर पाइल सेतु के निर्माण हेतु ₹14.52 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (जनवरी 2015) की गयी थी। सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा इन कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियाँ फ़रवरी 2015 में प्रदान की गयी थीं। मेला अधिकारी (अर्द्ध-कुम्भ मेला-2016) द्वारा सेतु निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) को मई 2015 में सौंपा गया था।

¹⁰² 2008 और 2009 बैच, प्रत्येक के लिए 100।

¹⁰³ शेष 20 छात्रों की जानकारी विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की जा सकी।

¹⁰⁴ 60 X @ ₹ 30 लाख= ₹ 18 करोड़।

अधिकांसी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2017) एवं आगे संग्रहित (अप्रैल से जून 2018) की गई सूचना से ज्ञात हुआ कि मेला अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक (मई 2015) में लिए गए निर्णय के आलोक में उपर्युक्त पाँच स्वीकृत सेतुओं में से बैरागी कैंप से गौरीशंकर द्वीप (बी सी जी डी) सेतु¹⁰⁵ के निर्माण का कार्य स्थगित कर दिया गया था। काँवड़¹⁰⁶ मेले के दृष्टिगत मेला अधिकारी की अध्यक्षता में ही आयोजित एक अन्य बैठक (जुलाई 2015) में काँवड़ से पहले मायापुर इस्केप चैनल पर स्थित दक्षद्वीप और बैरागी कैंप (डी डी बी सी) सेतु (चार अनुबंधित सेतुओं, जिसके लिए अनुबंध का गठन मई 2015 में किया गया था, में से एक) का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, पाइल सेतु के निर्माण के लिए आवश्यक हैमर वाइब्रो मशीन¹⁰⁷ उपलब्ध नहीं होने के कारण कम समय में पाइल ब्रिज का निर्माण संभव नहीं था जिसके कारण इसके स्थान पर एक क्रेट¹⁰⁸ सेतु के निर्माण का निर्णय लिया गया था। ठीक उसी समय, बी सी जी डी सेतु, जिसका निर्माण कार्य पूर्व आयोजित बैठक (मई 2015) में स्थगित किया गया था, के निर्माण कार्य (स्टील की उसी विशिष्टियों की आपूर्ति एवं संरचना द्वारा, जिसका प्रयोग डी डी बी सी सेतु में किया गया था) को प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया था। तथापि जाँच में यह पाया गया कि डी डी बी सी सेतु के प्रकार में हुए बदलाव के कारण क्रेट सेतु को स्थापित करने के लिए स्टील की वांछित मूल आवश्यक मात्रा 266 मीट्रिक टन से घट कर 73.31 मीट्रिक टन हो गयी थी। इसलिए स्टील की शेष मात्रा 192.69 मीट्रिक टन¹⁰⁹ ठेकेदार के पास पड़ी थी जिसका उपयोग बी सी जी डी सेतु में किया जा सकता था। खण्ड ने ठेकेदार को अवशेष पड़े स्टील का उपयोग करने का निर्देश देने की बजाय, ठेकेदार को बी सी जी डी सेतु के लिए पुनः 518.45 मीट्रिक टन स्टील की खरीद और निर्माण करने की अनुमति दी। इस प्रकार, खण्ड 192.69 मीट्रिक टन अवशेष स्टील का उपयोग नहीं कर सका तथा उसे अप्रयुक्त स्टील के लिए ठेकेदार को ₹1.69 करोड़¹¹⁰ का भुगतान करना पड़ा, जिसे टाला जा सकता था।

इसे इंगित किए जाने पर, खण्ड ने अवगत कराया (जून 2018) कि सेतु के स्टील पार्ट्स मेला अधिकारी की परिसंपत्ति है जिसे भविष्य में होने वाले कुम्भ मेला के दौरान अतिरिक्त सेतुओं के

¹⁰⁵ जिन चार सेतुओं के लिए ठेकेदार के साथ अनुबंध का गठन (मई 2015) किया गया था उसमें यह सेतु शामिल नहीं था।

¹⁰⁶ भगवान शिव के भक्तों का एक वार्षिक तीर्थाटन जो कि कांवड़िया या “भोले” के नाम से जाना जाता है जिसमें उत्तराखण्ड में स्थित हिंदू तीर्थ स्थानों हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री से गंगा नदी का पवित्र जल ला कर भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है। यह तीर्थाटन हिन्दू माह श्रावण (जुलाई-अगस्त) के महीने में आयोजित किया जाता है।

¹⁰⁷ एक उपकरण जो मरीन डॉक, पुल, भवन, सड़क, रेल, दीवार एवं अन्य प्रकार के निर्माण-कार्य की नींव के निर्माण के लिए जमीन के अंदर या बाहर पाइल का संचालन करता है।

¹⁰⁸ स्टील क्रेट, जिसका शीर्ष और तल खुला होता है तथा बोल्टर से भरा होता है जिस पर सेतु के ऊपरी ढाँचा को खड़ा किया जाता है।

¹⁰⁹ 266 मीट्रिक टन - 73.31 मीट्रिक टन = 192.69 मीट्रिक टन।

¹¹⁰ 192.69 मीट्रिक टन x ₹ 87,500 = ₹ 1,68,60,375 (अर्थात ₹1.69 करोड़)।

निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। खण्ड का उत्तर वित्तीय हस्त-पुस्तिका (खण्ड-VI)¹¹¹ के प्रस्तर-179 की पूर्ण अवहेलना था। पी डब्ल्यू डी को छः साल (2022) के बाद आने वाले आगामी कुंभ मेला का इंतजार करने की बजाय बी सी जी डी सेतु के निर्माण में डी डी बी सी सेतु के अवशेष स्टील का उपयोग करके विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था।

इस प्रकार, खण्ड द्वारा अप्रयुक्त स्टील की 192.69 मीट्रिक टन अतिरिक्त मात्रा के लिए ₹1.69 करोड़ व्यय किए, जिससे बचा जा सकता था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

ग्रामीण विकास विभाग

1.10 इन्दिरा आवास योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

1.10.1 परिचय

“इन्दिरा आवास योजना” (इं आ यो) की निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें 2008-09 से 2012-13 की अवधि आच्छादित की गई थी, को 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) में सम्मिलित किया गया था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु पाँच जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल एवं टिहरी गढ़वाल चुने गए थे। प्रतिवेदन नवम्बर 2014 में राज्य विधान सभा की पटल पर रखी गई थी एवं जिस पर अभी तक (अप्रैल 2018) लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा नहीं की गई है। इं आ यो में पायी गई कमियों को दूर करने हेतु इस योजना को एक अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (प्र आ यो-ग्रा) के रूप में पुनर्गठित किया गया। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नई योजना के ढांचे में लाये गए परिवर्तन के कारण प्रतिवेदन में शामिल 28 लेखापरीक्षा आपत्तियों में से पाँच आपत्तियाँ प्रासंगिक नहीं रहीं (जैसा कि परिशिष्ट 1.10.1 में दर्शाया गया है)।

1.10.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं क्रियाविधि

अनुवर्ती लेखापरीक्षा फरवरी से अप्रैल 2018 की अवधि में पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को लागू किए जाने का अनुमान लगाए जाने के उद्देश्य से आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, उत्तराखण्ड, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी आर डी ए), नैनीताल एवं देहरादून, डी आर डी ए प्रकोष्ठ एवं प्रत्येक चयनित जनपद नैनीताल एवं देहरादून के दो चयनित विकासखण्डों¹¹² के कार्यालयों के लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच की गई।

¹¹¹ प्रस्तर 179 प्रावधान करता है कि आवश्यकता से अधिक भण्डार या सामग्रियों की आवश्यकता से काफी पहले क्रय से सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों नुकसान हो सकते हैं और इसे टाला जाना चाहिए।

¹¹² देहरादून में - विकासखण्ड रायपुर एवं सहसपुर एवं नैनीताल में- विकासखण्ड हल्द्वानी एवं रामनगर।

लेखापरीक्षा दल द्वारा दो जनपदों के चार चयनित विकास खण्डों के 200 इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा¹¹³ मकानों (49 इं आ यो मकानों एवं 151 प्र आ यो-ग्रा मकानों) का भौतिक सत्यापन भी किया गया। लेखापरीक्षा में 2015-16 से 2017-18 की अवधि आच्छादित की गई थी। लेखापरीक्षा, 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल 28 टिप्पणियों के सापेक्ष चार अनुशंसाओं जिनको शासन द्वारा निकास गोष्ठी (नवम्बर 2013) में स्वीकार किया गया था, के संदर्भ में निष्पादित की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

शासन स्तर से स्वीकार की गई 23 लेखापरीक्षा आपत्तियों एवं चार लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को निम्नानुसार तीन श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है:

1.10.3 लेखापरीक्षा अनुशंसाओं का क्रियान्वयन

अ. नगण्य अथवा कोई प्रगति नहीं

पूर्व प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गई अनुशंसा	विभाग द्वारा सूचित अद्यतन स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/टिप्पणी
(i) किसी भी नमूना परीक्षित डी आर डी ए द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। अपितु प्रत्येक विकास खण्ड के लिए मात्र विगत वर्षों के अपूर्ण आवासों को पूर्ण किए जाने हेतु वार्षिक वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य बिना किसी समयावधि के निर्धारित किए गए थे। वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 1.3.6.2)	पात्र व्यक्तियों को योजना के लाभ देने के लिए इं आ यो दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।	किसी वर्ष विशेष हेतु जनपदों, विकासखण्डों एवं अंततोगत्वा ग्राम पंचायतों (ग्रा पं) को श्रेणीवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य श्रेणी) लक्ष्य आवंटित किए जाते थे एवं ऐसे लक्ष्यों को कार्य योजना के रूप में माना जाता है।	वार्षिक कार्य योजना बनाए जाने के संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। अनुशंसा अभी भी क्रियान्वित की जानी है क्योंकि दो चयनित जनपदों के लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वार्षिक कार्य योजना अभी भी नहीं बनाई गई थी।
(ii) प्रतिपूर्ति का दावा न किया जाना (दैवीय आपदा एवं अन्य आपातकालिक स्थितियों जैसे आग, दंगे आदि से प्रभावितों हेतु) (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.7.5)		जनपद पिथौरागढ़ हेतु इं आ यो के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं से संबन्धित द्वितीय किस्त ₹ 168.75 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को	उत्तर सुसंगत नहीं है। इं आ यो के प्रावधानों के अनुरूप राज्य को केंद्र से अपनी उस राशि हेतु दावा किया जाना चाहिए था जो धनराशि आपदा आपत्तिकाल हेतु उपयोग में लायी गई थी। अतः अनुशंसा को अभी भी

¹¹³ व्यवस्थित प्रतिचयन के आधार पर प्रत्येक जनपद से 100 मकानों का चयन किया गया (यह एक प्रकार की संभाव्यता प्रतिचयन प्रणाली है जिसमें अव्यवस्थित प्रारम्भिक बिन्दु एवं निर्धारित आवधिक अंतराल के अनुरूप बड़ी जनसंख्या से नमूना सदस्यों का चयन किया जाता है)।

		प्रेषित किया गया है (दिसम्बर 2017)।	क्रियान्वित किया जाना है।
(iii) चयनित जनपदों के डी आर डी ए द्वारा योजना के पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु गैर सरकारी संगठनों (गै. स. सं) को सम्मिलित किए जाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था। अतः सामुदायिक निगरानी एवं पारदर्शिता में कमी पायी गई थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.10.4)	योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है ताकि योजना की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सके।	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (स्व स स) के द्वारा, प्र आ यो -ग्रा के आवासों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के संबन्ध में निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं।	अनुशंसा अभी भी क्रियान्वित की जानी है क्योंकि अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि योजना की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु गै स सं की कोई भागीदारी नहीं थी।

ब. आंशिक कार्यान्वयन

पूर्व प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गई अनुशंसा	विभाग द्वारा सूचित अद्यतन स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/टिप्पणी
(i) 12,505 भूमिहीन बी पी एल परिवार स्थायी इं आ यो प्रतीक्षा सूची में थे जिनके लिए वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान संबन्धित डी आर डी ए द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग (आ ग्रा वि वि) को ₹ 61.87 करोड़ की राशि के प्रस्ताव भेजे गए थे। जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को नहीं भेजा गया। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 1.3.6.6)।	पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ देने के लिए इं आ यो दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।	होमस्टेड साइट स्कीम के क्रियान्वयन हेतु जनपदों को वर्ष 2014-15 में ₹ 1,515.85 लाख (केंद्रान्श ₹ 361.40 लाख + राज्यॉंश ₹ 361.40 लाख + अतिरिक्त राज्यॉंश ₹ 793.05 लाख) की धनराशि 3,475 बी पी एल अ जा/अ ज जा के भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान कराये जाने हेतु उपलब्ध कराई गई थी परंतु उपलब्ध भूमि की अधिक दरें /भूमि की अनुपलब्धता के कारण भूमि नहीं खरीदी जा सकी।	अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई क्योंकि चयनित दो जनपदों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि देहरादून एवं नैनीताल में क्रमशः ₹ 39.38 लाख और ₹ 692.37 लाख की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद 110 एवं 1,934 बी पी एल अ जा/ अ ज जा भूमिहीन परिवारों को लेखापरीक्षा तिथि तक भूमि प्रदान नहीं की गयी थी। अप्रयुक्त धनराशि समर्पित भी नहीं की गई थी।
(ii) वर्ष 2008-13 के दौरान किसी भी लाभार्थी को आवास ऋण नहीं प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा 1,149 इं आ यो के आवासों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया जिसमें यह देखा गया कि लाभार्थियों को ऐसी किसी भी सुविधा की		लाभार्थियों को बैंक ऋण दिलाये जाने हेतु विकास खण्डों को निर्देश जारी कर दिये गए हैं तथा बैंक ऋण सुविधा से संबन्धित जन जागरूकता अभियान	अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई क्योंकि डी आर डी ए, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा

<p>जानकारी नहीं थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 1.3.8.6)</p>		<p>आयोजित किए जा रहे हैं एवं जनपद हरिद्वार के दो लाभार्थियों को प्र आ यो-गा के अंतर्गत बैंक ऋण स्वीकृत किया गया है।</p>	<p>के संबन्ध में जागरूकता कार्यक्रम दोनों चयनित ब्लॉकों में आयोजित किए गए थे, जबकि डी आर डी ए नैनीताल में 2016-18 के दौरान ऐसा कोई जागरूकता कार्यक्रम नहीं किया गया था।</p>
<p>(iii) संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि 47 प्रतिशत घर ऐसे थे जिनका निर्माण स्थायी दीवारों और छत के बिना किया गया था तथा घरों की दीवारों को बाहर से प्लस्टर नहीं किया गया था। बिना दरवाजे/ खिड़कियों वाले घर भी थे। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 1.3.8.7)</p>		<p>इं आ यो/प्र आ यो-गा आवासों में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें कि दीवारों/छतों पर प्लस्टर न हो। जनपद/विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्वीकृत आवासों का भौतिक निरीक्षण किया जाता है तथा संबन्धित अधिकारियों एवं लाभार्थियों को, आवासों को पूर्णतः पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गए हैं। इसके अलावा विकासखण्ड स्तर पर तैनात अवर अभियन्ताओं को यू आई आर डी प्रशिक्षण केंद्र, रुद्रपुर में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।</p>	<p>अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई क्योंकि 200 पूर्ण आवासों (49 इं आ यो आवास और 151 प्र आ यो-गा आवास) के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 24 प्रतिशत इं आ यो आवास और 16 प्रतिशत प्र आ यो-गा आवास स्थायी दीवारों/छत एवं बाहरी प्लस्टर के बिना थे।</p>
<p>(iv) पाँच चयनित जनपदों में से केवल उधमसिंह नगर में ही डी आर डी ए द्वारा अपने विकास खण्डों को ₹ 2.41 लाख की राशि इं आ यो के बोर्ड एवं लोगो को ठीक से लगाने के लिए जारी की गई थी। तथापि, डी आर डी ए द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या इस धनराशि का उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए ही किया गया था, क्योंकि डी आर डी ए को कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 1.3.8. 9)</p>		<p>इं आ यो के लोगो हेतु प्रदान की गई धनराशि का उपयोग संबन्धित खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा किया गया है तथा संबन्धित डी आर डी ए को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं।</p>	<p>अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई क्योंकि इं आ यो आवासों के भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया था कि 49 इं आ यो आवासों में से, 48 आवास इं आ यो लोगो के बिना पाए गए थे।</p>

<p>(v) सर्तकता निगरानी समिति (स नि स) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य एवं जिला स्तर पर 2008-13 के दौरान 20 बैठकों (एक वर्ष में चार बैठकें) का आयोजन होना था। जबकि, राज्य स्तर पर केवल तीन बैठकें आयोजित की गईं एवं वर्ष 2008-13 के दौरान नमूना चयनित जिलों में तीन से चार बैठकें आयोजित की गईं। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.10.1)</p>	<p>योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढीकृत किए जाने की आवश्यकता है ताकि योजना की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सके।</p>	<p>राज्य स्तर पर माननीय ग्राम्य विकास मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित (अक्टूबर-2017) की गयी थी। जनपद स्तर पर, माननीय सांसद द्वारा जब भी समय दिया गया, बैठकें आयोजित की गईं।</p>	<p>अनुशांसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई क्योंकि राज्य स्तर के साथ-साथ जनपद स्तर पर बैठकें तो हुईं परन्तु आवश्यक मापदण्डों के अनुसार नहीं।</p>
<p>(vi) वर्ष 2008-13 की अवधि में चयनित जनपदों में 823 शिकायतें प्राप्त हुईं तथा संबन्धित विकास खण्डों को अग्रेषित की गई, जिसमें से संबन्धित विकास खण्डों द्वारा केवल 78 मामलों का सत्यापन किया गया उनमें से केवल 34 मामलों का निपटारा किया गया। डी आर डी ए के पास शेष शिकायतों पर की गई कार्यवाही उपलब्ध नहीं थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.10.3)</p>	<p>राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठों का गठन किया गया है एवं शिकायत पंजिकाओं का रखरखाव किया गया है तथा जिसके माध्यम से शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। इसके अलावा, समाधान पोर्टल के माध्यम से इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा से संबन्धित जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनका भी विभिन्न स्तरों पर निस्तारण किया जा रहा है। राज्य स्तर पर प्राप्त 825 शिकायतों में से 71 निस्तारित की जा चुकी हैं तथा शेष 754 प्रक्रियाधीन हैं।</p>	<p>राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठों का गठन किया गया है तथा जिसके माध्यम से शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। इसके अलावा, समाधान पोर्टल के माध्यम से इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा से संबन्धित जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनका भी विभिन्न स्तरों पर निस्तारण किया जा रहा है। राज्य स्तर पर प्राप्त 825 शिकायतों में से 71 निस्तारित की जा चुकी हैं तथा शेष 754 प्रक्रियाधीन हैं।</p>	<p>अनुशांसा का आंशिक क्रियान्वयन किया गया है क्योंकि राज्य स्तर पर प्राप्त 825 शिकायतों के सापेक्ष 754 शिकायतें अभी भी लंबित थीं, जबकि दो चयनित डी आर डी ए के लेखा-अभिलेखों से उद्घटित हुआ कि न तो शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए थे और न ही प्र आ यो-ग्रा के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप शिकायत पंजिका जैसे किसी अभिलेख का रख-रखाव किया जा रहा था।</p>
<p>(vii) 1,149 इं आ यो आवासों के भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 967 घरों में इं आ यो बोर्ड और लोगो प्रदर्शित नहीं किए गए थे; 47 प्रतिशत घर स्थायी दीवारों, छत और बाहरी पलस्तर के बिना थे; लाभार्थियों को आवास ऋण सुविधा की जानकारी नहीं थी; 165 इं आ यो आवास अधूरे पाए गए; बुनियादी सुविधाओं जैसे कि</p>	<p>संबंधितों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा वर्ष 2016-17 से, पूर्ण निर्मित/निर्माणाधीन मकानों की भौतिक स्थिति से संबन्धित सभी जानकारी एवं तस्वीरें प्र आ यो-ग्रा के अंतर्गत</p>	<p>संबंधितों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा वर्ष 2016-17 से, पूर्ण निर्मित/निर्माणाधीन मकानों की भौतिक स्थिति से संबन्धित सभी जानकारी एवं तस्वीरें प्र आ यो-ग्रा के अंतर्गत</p>	<p>अनुशांसाएँ आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई हैं क्योंकि 200 इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा आवासों के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि ➤ 98 प्रतिशत आवासों में इं आ यो का लोगो प्रदर्शित</p>

<p>रसोई, धुआँ रहित चूल्हा, वेंटिलेशन, सेनेटरी और ड्रेनेज सुविधाओं एवं बिजली की आपूर्ति में कमी थी; टी एस सी, एन आर डब्ल्यू एस पी, आर जी जी वी वाई और एल आई सी जैसे कार्यक्रमों के साथ इं आ यो का कोई अभिसरण नहीं था। इं आ यो आवास के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट और मानक डिजाइन नहीं था तथा 100 प्रतिशत मामलों में महिला सदस्यों को आवासों का आवंटन नहीं किया गया था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 1.3.11)</p>		<p>आवाससॉफ्ट¹¹⁴ ऐप पर अपलोड की जा रही हैं।</p>	<p>नहीं पाया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 31 प्रतिशत प्र आ यो-ग्रा आवास एवं 26 प्रतिशत इं आ यो आवास निर्माणाधीन थे। ➤ 24 प्रतिशत इं आ यो आवास एवं 16 प्रतिशत प्र आ यो-ग्रा आवास बिना स्थायी दीवारों/छतों एवं प्लस्टर के थे। ➤ नैनीताल के दोनों चयनित विकास खण्डों में कोई जागरूकता कार्यक्रम नहीं किया गया। ➤ गृह डिजाइन / टाइपोलॉजी का अनुमोदन भारत सरकार के स्तर पर लंबित था। ➤ आठ से 40 प्रतिशत के बीच बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता थी। <p>भौतिक रूप से सत्यापित 49 इं आ यो आवासों और 151 प्र आ यो-ग्रा आवासों में से, सं स्व अ, रा ग्रा पे ज का, रा गा ग्रा वि यो और भा जी बी नि जैसे अन्य कार्यक्रमों¹¹⁵ के साथ इं आ यो की अभिसरण दर शून्य से 22 प्रतिशत के बीच थी, जबकि प्र आ यो-ग्रा के साथ म गा रा ग्रा रो गा यो/ स्व भा मि (ग्रा), रा ग्रा पे ज का और दी द उ ग्रा ज्यो यो की अभिसरण दर चार से 81 प्रतिशत के बीच थी। 2015-16 के दौरान 96 प्रतिशत</p>
---	--	---	---

¹¹⁴ आवास सॉफ्ट इं आ यो एवं प्र आ यो-ग्रा के ई-गवर्नेंस को सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्थानीय भाषा-सक्षम कार्य प्रवाह पर आधारित लेन-देन स्तर का प्रबंधन सूचना तंत्र है।

¹¹⁵ सं स्व अ- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, रा ग्रा ज सं का-राष्ट्रीय ग्रामीण जल संपूर्ति कार्यक्रम, रा गा ग्रा वि यो- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, भा जी बी नि- भारतीय जीवन बीमा निगम, म गा रा ग्रा रो गा यो- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्व भा मि (ग्रा) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), रा ग्रा पे ज का- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, दी द उ ग्रा ज्यो यो- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।

			आवास (इं आ यो) परिवार की महिला सदस्यों को आवंटित किए गए थे।
(viii) पाँच नमूना जाँच किए गए जिलों में से तीन जिलों में, यह पाया गया कि 2008-13 के दौरान, 45 इं आ यो आवास उन लाभार्थियों को आवंटित किए गए थे जो पहले से ही अन्य योजनाओं से लाभान्वित हो चुके थे तथा हरिद्वार जिले के दो चयनित विकास खण्डों में 10 लाभार्थी, जिनके पास पक्के मकान थे उन्हें 2011-13 के दौरान ₹ 4.41 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। <i>(विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 1.3.8.5)</i>	पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ देने के लिए इं आ यो दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।	देहरादून में 14 अनियमित लाभार्थियों में से सात लाभार्थियों से ₹ 2.11 लाख की राशि वसूल की गई और शेष मामलों में वसूली की प्रक्रिया गतिमान थी। इसके अतिरिक्त संबन्धित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई, हरिद्वार में दो लाभार्थियों से वसूली की गई तथा डी आर डी ए प्रकोष्ठ में जमा कर दी गई। नैनीताल में, एक लाभार्थी दो योजनाओं से लाभान्वित हुआ इसलिए, संबन्धित कर्मचारी के अभिलेखों में प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए लाभार्थी से वसूली की गई। वर्तमान प्र आ यो-ग्रा के अन्तर्गत, सभी विवरण आवाससॉफ्ट पर अपलोड किए जा रहे हैं और इसलिए, ऐसी अनियमितता की पुनरावृत्ति दूर हो गई है।	अनुशंसा को अभी भी पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना था क्योंकि देहरादून में सात लाभार्थियों से अभी भी वसूली की जानी थी।
(ix) यह पाया गया कि लाभार्थियों की सहायता के लिए किसी भी जनपद एवं विकास खण्ड स्तर के अधिकारी को लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल आवास प्रौद्योगिकियों तथा आपदा रोध निर्माण प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था। <i>(विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.9.2)</i>		विकासखण्ड स्तरीय अवर अभियन्ताओं को इं आ यो /प्र आ यो-ग्रा के लाभार्थियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा इस तरह तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।	अनुशंसा को अभी भी पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना था क्योंकि भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 49 इं आ यो आवासों एवं 151 प्र आ यो-ग्रा आवासों में से क्रमशः केवल 43 प्रतिशत और 64 प्रतिशत आवास विकास खण्ड स्तर के इंजीनियरों द्वारा तकनीकी रूप से समर्थित पाए गए।

<p>(x) यह देखा गया कि 2008-13 के दौरान, राज्य, जनपदों एवं विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा किया गया निरीक्षण निर्धारित मापदण्डों से काफी कम था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.10.2)</p>	<p>योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढीकृत किए जाने की आवश्यकता है ताकि योजना की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सके।</p>	<p>इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा आवासों के भौतिक निरीक्षण हेतु विकासखण्डों को निर्देश जारी किए गए हैं एवं इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा आवासों का भौतिक निरीक्षण समय-समय पर किया जा रहा है।</p>	<p>अनुशंसा को अभी भी पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना था क्योंकि चार चयनित विकासखण्डों में से केवल विकास खण्ड हल्द्वानी ही 2016-18 की अवधि के निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान कर सका। तथापि, नियमित अंतराल पर जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था।</p>
<p>(xi) नमूना जाँच किए गए जनपदों में यह पाया गया कि योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा की किसी भी प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.10.5)</p>	<p>योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रणाली सुनिश्चित की जा सकती है।</p>	<p>सामाजिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा आवासों की सामाजिक लेखापरीक्षा की जा रही है एवं सामाजिक लेखापरीक्षा से संबन्धित सूचना आवाससॉफ्ट पर अपलोड किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं तथा इस तरह की सूचना आवाससॉफ्ट पर अपलोड की जा रही है।</p>	<p>अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई है क्योंकि यह पाया गया कि चार चयनित विकास खण्डों में से, 2016-18 के दौरान केवल तीन विकासखण्डों¹¹⁶ के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा की गई थी। तथापि, तीनों में से किसी भी खण्ड में सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।</p>
<p>(xii) 2008-13 की अवधि में नमूना जाँच किए गए जनपदों में अत्यधिक अव्ययित धनराशि के साथ साथ कम राज्यांश अवमुक्त किया गया एवं प्रस्तावों को न भेजने / देरी से भेजने के कारण केंद्रान्श सहायता में कटौती हुई। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.7.1)</p>	<p>वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ किया जा सकता है जिससे कार्यन्वयन एजेंसियों को विलंब से धनराशि जारी करने, धनराशि का व्ययवर्तन, और भारत सरकार से धनराशि में कटौती से बचा जा सके।</p>	<p>राज्य स्तर पर इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा से संबन्धित स्टेट नोडल खाता संचालित है एवं धनराशि अंतरण आदेश (ध अ आ) के द्वारा धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अंतरित की जा रही है तथा जनपद स्तर पर न तो बैंक खाते संचालित किए जा रहे हैं और न ही जनपदों के पास धनराशि शेष है।</p>	<p>अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि, अव्ययित धनराशि के मामले, प्रस्तावों को प्रेषित नहीं किया जाना / देरी से किया जाना, द्वितीय किस्त विलंब से अवमुक्त, अवमुक्त न किया जाना तथा बैंक शेष एवं आवाससॉफ्ट के शेष में अंतर और उपयोगिता प्रमाण पत्र विलम्ब से प्रेषित करने के मामले अभी भी थे।</p>

¹¹⁶ हल्द्वानी, रामनगर एवं सहसपुर।

<p>(xiii) स्वीकृत किए गए आवासों के सापेक्ष मात्र 44 प्रतिशत आवास पूर्ण थे जबकि मासिक प्रगति विवरण में 94 प्रतिशत भौतिक उपलब्धि दिखाई गई थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.8.1)</p>		<p>वर्ष 2016-17 से इं आ यो / प्र आ यो-ग्रा आवासों की भौतिक प्रगति आवाससॉफ्ट पर अपलोड की जा रही है।</p>	<p>अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई क्योंकि 200 (49 इं आ यो आवासों और 151 प्र आ यो-ग्रा आवासों) पूर्ण आवासों के भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 26 प्रतिशत इं आ यो आवास एवं 31 प्रतिशत प्र आ यो-ग्रा आवास अपूर्ण थे लेकिन विभाग द्वारा पूर्ण घोषित किए गए थे।</p>
<p>(xiv) नमूना जाँच किए गए डी आर डी ए में पाया गया कि अभिसरण के उद्देश्य हेतु एक भी पत्रावली नहीं खोली गई थी। इसके बावजूद, विभाग द्वारा 2008-13 की अवधि में अन्य प्रमुख योजनाओं के साथ अभिसरण की स्थिति अपने मासिक प्रगति विवरण के माध्यम से भारत सरकार को नियमित रूप से सूचित की जा रही थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.8.8)</p>	<p>राज्य/जनपद स्तर पर पूर्ण कार्यात्मक आवास इकाइयों को सुनिश्चित करने के लिए अन्य कार्यक्रमों के साथ इं आ यो गतिविधियों के अभिसरण को प्राथमिकता दी जा सकती है।</p>	<p>इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा का अन्य योजनाओं से अभिसरण किए जाने के संबंध में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं एवं इं आ यो / प्र आ यो-ग्रा का मनरेगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पेयजल सुविधाओं हेतु एन आर डी डब्लू पी तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से अभिसरण किया जा रहा है।</p>	<p>अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई क्योंकि जनपद देहरादून और नैनीताल के चयनित विकास खण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि प्र आ यो-ग्रा योजना को केवल मनरेगा के साथ अभिसरित किया जा रहा था, यद्यपि योजना को अन्य कार्यक्रमों¹¹⁷ के साथ भी अभिसरित किया जाना था।</p>

स. पूर्ण क्रियान्वयन

पूर्व प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गई अनुशंसा	विभाग द्वारा सूचित अद्यतन स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/टिप्पणी
<p>(i) आवासों की कमी से संबन्धित कोई भी आँकड़े विभाग के किसी भी स्तर पर उपलब्ध नहीं थे। डी आर डी ए द्वारा सम्बन्धित लाभार्थियों को निधियों का आवंटन, एस सी / एस टी जनसंख्या की बजाय कट ऑफ स्कोर के आधार पर किया जा रहा था जो योजना के मानकों के</p>		<p>दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के प्रत्येक जनपद में इं आ यो की प्रतीक्षा सूची तैयार की गयी है। जिससे स्वतः ही आवासों की आवश्यकताओं का आंकलन होता है।</p>	<p>विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसा को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है।</p>

¹¹⁷ पेयजल सुविधा हेतु रा गा पे ज का, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (दी द उ ग्रा ज्यो यो) एवं प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (प्र उ यो)।

<p>विपरीत था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.6.4)</p>		<p>अप्रैल 2016 से प्र आ यो-ग्रा के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन एसईसीसी-2011 के सर्वेक्षण पर आधारित है जिसे आवाससॉफ्ट पर अपलोड किया गया है।</p>	
<p>(ii) वर्ष 2008-13 के दौरान पाया गया कि 38 बी पी एल आईडी के सापेक्ष 77 लाभार्थियों को इकाई सहायता प्रदान की गयी (सहसपुर के एक मामले को छोड़कर जहां एक बी पी एल आईडी के सापेक्ष तीन लाभार्थियों को इकाई सहायता प्रदान की गई) तथा देवप्रयाग विकासखण्ड में एक लाभार्थी को एक बी पी एल आई डी के सापेक्ष ₹ 35,000 का भुगतान दो बार किया गया। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.8.2)</p>	<p>पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ देने के लिए इं आ यो दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।</p>	<p>38 बी पी एल आईडी के सापेक्ष 77 लाभार्थियों को इकाई सहायता प्रदान किए जाने संबंधी प्रकरण की जाँच की गई एवं संबन्धित खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि बी पी एल आईडी संख्या के त्रुटिपूर्ण अंकन के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ।</p> <p>विकास खण्ड देवप्रयाग में दोहरे भुगतान से संबन्धित प्रकरण की जाँच की गई एवं प्रकरण को सही पाया गया तथा संबन्धित कर्मचारियों से वसूली के आदेश एवं दंडात्मक कार्यवाही/कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।</p>	<p>विभागीय उत्तर का सत्यापन किया गया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसा को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है।</p>
<p>(iii) जनपद देहरादून के चयनित विकास खण्डों के अभिलेखों की जाँच तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन में देखा गया कि 43 लाभार्थियों, जिनको वर्ष 2010-11 के दौरान आवास स्वीकृत किये गये थे, को तत्समय लागू बढी हुई दरों पर भुगतान नहीं किया गया था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.7.2)</p>		<p>जनपद देहरादून में 45 लाभार्थियों को पुरानी दरों, अर्थात् ₹ 35,000 प्रति आवास, के अनुसार भुगतान किया गया, क्योंकि इन लाभार्थी को वित्तीय वर्ष 2009-10 के लक्ष्यों के सापेक्ष सहायता स्वीकृत की गई थी, जिसके लिए ₹ 35,000 प्रति आवास ही अनुमन्य था।</p>	<p>विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसा को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है।</p>

<p>(iv) चयनित चार डी आर डी ए में ₹ 1.74 करोड़ की इं आ यो निधि का व्ययावर्तन व्यय के अन्य मदों में किया गया जिसमें से ₹ 0.37 करोड़ लेखापरीक्षा तिथि तक असमायोजित थे। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.7.3)</p>	<p>वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकता है जिससे कार्यान्वयन एजेंसियों को विलंब से धनराशि जारी करने, धनराशि का व्ययावर्तन, और भारत सरकार से धनराशि में कटौती से बचा जा सकता है।</p>	<p>इं आ यो निधियों को बहुत कम समय के लिए अन्य घटकों को आवश्यक परिस्थितियों में अंतरित किया गया था तथा उक्त निधियाँ समायोजित कर दी गई हैं।</p>	<p>विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसा को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है।</p>
<p>(v) पाँच नमूना परीक्षित जिलों में पाया गया कि मुख्य बैंक खाते में जमा केन्द्रांश ₹ 146.81 करोड़ इं आ यो के बैंक खाते में 10 से 349 दिनों के पश्चात उस पर बिना ब्याज अर्जित किए स्थानान्तरित किया गया। आगे, दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए चयनित सभी पाँच जिलों में अलग-अलग बैंकों में कई बचत खाते (दो से 11 के बीच) खोले गये। इसके अतिरिक्त, डी आर डी ए, हरिद्वार और टिहरी जनपद के देवप्रयाग विकास खण्ड में योजना की धनराशि चालू खाते में रखी गयी जिसके परिणामस्वरूप इं आ यो निधियों पर ब्याज की हानि हुई। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.7.4)</p>		<p>सभी जनपदों में योजनान्तर्गत एक ही खाता खोला गया है तथा वर्तमान में जनपद स्तर पर कोई भी इं आ यो का खाता संचालित नहीं है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार ऐसे सभी बैंक खाते बंद कर दिये गए हैं। वर्तमान में राज्य स्तर पर एक ही मुख्य खाता संचालित है जिसमें से निधियों को एफ टी ओ के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है।</p>	<p>विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसा को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है।</p>
<p>(vi) यह पाया गया था कि सभी नमूना परीक्षित विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में 56 से 93 प्रतिशत तक ग्राम विकास अधिकारियों (ग्रा वि अ) की भारी कमी थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.9.1)</p>	<p>योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जा सकता है।</p>	<p>विभागीय स्तर पर वर्ष 2013 के पश्चात 161 नए ग्रा पं वि अ की भर्ती की गई है एवं शेष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रक्रिया गतिमान है।</p>	<p>विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसा को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है। चार चयनित विकास खण्डों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत पदों के अनुरूप थी।</p>

1.10.4 निष्कर्ष

कुल 23 की गई टिप्पणियों के सापेक्ष 26 प्रतिशत टिप्पणियाँ पूर्णरूपेण क्रियान्वित की गयीं; 61 प्रतिशत टिप्पणियाँ आंशिक रूप से क्रियान्वित की गयीं तथा 13 प्रतिशत टिप्पणियाँ जनवरी 2019 तक क्रियान्वित नहीं की गयीं थीं। यद्यपि राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुलझाने में महत्वपूर्ण प्रगति की तथापि वार्षिक कार्य योजना न बनाए जाने, योजना की निगरानी में गै स सं की संलिप्तता न होना, निधियों का अव्ययित रहना, दैवीय आपदा से प्रभावित पीड़ितों की सहायता हेतु प्रतिपूर्ति की धनराशि की माँग न किया जाना, राज्य स्तरीय समितियों के साथ-साथ जनपद स्तरीय समितियों की बैठकें आयोजित न किए जाने एवं शिकायती प्रकरणों का समाधान न किए जाने संबंधी प्रकरणों पर प्रमुखता से लगातार ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण निर्माण विभाग

1.11 प्रतिशत प्रभार का करारोपण नहीं करना

प्रतिशत प्रभार के करारोपण के संबंध में वित्तीय नियमों और सरकारी आदेशों का पालन न करने के कारण सरकारी खजाने को ₹ 73.20 लाख की क्षति होना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-VI के प्रस्तर 635 और 636 निक्षेप कार्यों पर प्रतिशत प्रभार¹¹⁸ का प्रावधान निर्धारित करते हैं। सरकार ने भी कार्यदायी संस्थाओं को उनके द्वारा गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय निकायों और वाणिज्यिक विभागों के लिए किए जाने वाले निक्षेप कार्यों पर प्रतिशत प्रभार के करारोपण हेतु निर्देशित (फरवरी 1997 और मई 2008¹¹⁹) किया था।

अधिशाली अभियंता (अ अ), ग्रामीण निर्माण प्रभाग, देहरादून के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2017) में यह उद्घटित हुआ कि 202 अलग-अलग निक्षेप कार्यों¹²⁰ (2015-17 के दौरान) के लिए ₹11.13 करोड़ की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति ग्राहक विभागों¹²¹ द्वारा प्रदान की गई थी। तथापि, खण्ड द्वारा वित्तीय नियमों और सरकारी आदेशों (मई 2008) की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, अलग-अलग निक्षेप कार्यों के विस्तृत प्राक्कलनों में 10 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार का प्रावधान नहीं किया गया था। स्वीकृत कुल धनराशि में से, ग्राहक विभागों द्वारा ₹8.70 करोड़ जारी किए गए, जिसमें से लेखापरीक्षा की तिथि तक खण्ड द्वारा विभिन्न निक्षेप कार्यों पर ₹7.32 करोड़

¹¹⁸ स्थापना, मशीन एवं उपकरण और लेखापरीक्षा/खातों के प्रभार के रूप में कुल राशि, यदि कोई वसूली योग्य हो।

¹¹⁹ सरकार द्वारा संशोधित शुल्क, जो 27 फरवरी, 1997 के आदेश द्वारा अधिक्रमित कर दिया गया था, जिसमें प्रतिशत प्रभार के प्रावधान में 12.5 प्रतिशत की एक समान दर थी। संशोधित आदेश (मई 2008) के अनुसार, प्रतिशत प्रभार ₹ एक करोड़ तक के कार्यों पर 10 प्रतिशत है, ₹ एक करोड़ से अधिक की लागत लेकिन ₹ पाँच करोड़ से कम के कार्यों पर 9 प्रतिशत और ₹ 5 करोड़ से अधिक के कार्यों पर 8 प्रतिशत है।

¹²⁰ सिडकुल-184 कार्य और एमडीडीए-18 कार्य (2015-17)। सीसी रोड़, सामुदायिक केंद्र, नाली का निर्माण, पुलिया का निर्माण, रिटेनिंग वाल आदि जैसे कार्य।

¹²¹ स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड और मसूरी-देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी।

व्यय किए गए थे। खण्ड द्वारा 202 कार्यों के विस्तृत प्राक्कलनों में ₹ 1.11 करोड़¹²² प्रतिशत प्रभार को शामिल करने के संबन्ध में वित्तीय नियमों और सरकारी आदेशों का पालन नहीं किया गया। प्रतिशत प्रभार नहीं लगाने के कारण लेखापरीक्षा तिथि तक ₹ 73.20 लाख¹²³ की क्षति हुई। व्यय की राशि में वृद्धि होने पर धनराशि की क्षति बढ़ती जायेगी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर, अधिशासी अभियंता ने तथ्यों को स्वीकार (अगस्त 2017) करते हुए अवगत कराया कि प्राक्कलनों में प्रतिशत प्रभार का प्रावधान नहीं किया गया था इसलिए, ग्राहक विभागों से प्रतिशत प्रभार नहीं लिया जा सका। आगे अवगत कराया कि भविष्य में इस तरह के ग्राहक विभागों से संबन्धित कार्यों के विस्तृत प्राक्कलनों में प्रतिशत प्रभार का प्रावधान किया जाएगा और तदनुसार करारोपण किया जाएगा। इसके अलावा, खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर प्रतिशत प्रभार जमा करने के लिए प्रकरण ग्राहक विभागों के साथ उठाया (अक्टूबर 2017 और दिसम्बर 2017) गया। सितम्बर 2017 में हुई एक बैठक में आर डब्ल्यू डी के सचिव और मुख्य अभियंता द्वारा भी लेखापरीक्षा आपत्ति पर सहमति व्यक्त की गयी थी।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (नवम्बर 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

समाज कल्याण विभाग

1.12 वृद्धावस्था पेंशन योजना


वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों/नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने में विभाग सक्षम नहीं था। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया विभिन्न कमियों से भरी थी। पेंशन डेटाबेस में इनपुट व वैलिडेशन कंट्रोल की कमी थी। जिसके परिणामस्वरूप, 614 लाभार्थियों को ₹ 0.17 करोड़ के अधिक भुगतान के प्रकरण थे, मृत व्यक्तियों को ₹ 0.10 करोड़ का वितरण किया गया, अपात्र व्यक्तियों को ₹ 4.18 करोड़ का वितरण किया गया और 85 लाभार्थियों को ₹ 0.21 करोड़ का दोहरा भुगतान किया गया। भारत सरकार से निधियों की कम माँग करने के कारण राज्य सरकार को ₹ 33.29 करोड़ का भार वहन करना पड़ा। अपात्र लाभार्थियों के लिए भारत सरकार से ₹ 7.25 करोड़ का अनियमित दावा किया गया। त्रैमासिक पेंशन किस्त के भुगतान में 366 दिनों तक के विलम्बित भुगतान के प्रकरण थे। 34,551 लाभार्थियों को ₹ 15.25 करोड़ के पेंशन एरियर का भुगतान नहीं किया गया। योजना के कार्यान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन नहीं किया गया था। शिकायत निवारण और सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए तंत्र भी लागू नहीं था।

¹²² 10 प्रतिशत ₹ 11.13 करोड़ = ₹ 1.11 करोड़।

¹²³ 10 प्रतिशत ₹ 7.32 करोड़ = ₹ 73.20 लाख।

1.12.1. प्रस्तावना

भारत सरकार (भा स) ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) के नाम से पूर्णतया वित्त पोषित केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ की (अगस्त 1995)। वर्ष 2007 में एन एस ए पी के चार घटकों में से एक वृद्धावस्था पेंशन योजना (वृ पें यो) का नाम बदल कर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इ गा रा वृ पें यो) किया गया। इस योजना के अंतर्गत केवल गरीबी रेखा से नीचे¹²⁴ (बी पी एल) के 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु के व्यक्ति ही पात्र हैं। राज्य में बी पी एल परिवार का चिन्हीकरण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2002 में किए गए सर्वे¹²⁵ पर आधारित था। सरकार एन एस ए पी के अंतर्गत मई 2016 तक ₹ 800 प्रति माह (60-79 वर्ष के आयु वर्ग के लिए केंद्रांश: ₹ 200 और राज्यांश: ₹ 600 जबकि 80 वर्ष और अधिक आयु वालों के लिए केंद्रांश: ₹ 500 और राज्यांश: ₹ 300) की दर से मासिक पेंशन प्रदान कर रही थी। जून 2016 से पेंशन की दर ₹ 1,000 प्रति माह (60-79 वर्ष के आयु वर्ग के लिए केंद्रांश: ₹ 200 और राज्यांश: ₹ 800 जबकि 80 वर्ष और अधिक आयु वालों के लिए केंद्रांश: ₹ 500 और राज्यांश: ₹ 500 तक बढ़ाई गई, जैसा कि साथ के चार्ट-1.12.1 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार 60 वर्ष की आयु से ऊपर एवं बी पी एल श्रेणी के अंतर्गत चिन्हित न हुए लोगों को भी कुछ शर्तों, जो कि नीचे वर्णित हैं, की पूर्ति (जैसा कि मार्च 2014 में संशोधित किया गया) के अधीन वृद्धावस्था पेंशन (वृ पें) प्रदान कर रही थी:



- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 60 वर्ष और अधिक आयु के व्यक्ति जिनकी भू-संपत्ति 2.5 एकड़ से कम है और समस्त स्रोतों से कुल पारिवारिक मासिक आय ₹ 4,000 से कम है।
- (ii) शहरी क्षेत्रों के लिए समस्त स्रोतों से मासिक पारिवारिक आय ₹ 4,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

समाज कल्याण विभाग द्वारा आगे स्पष्ट किया (जून 2016) गया कि व्यक्ति जिनके पुत्र / पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं किन्तु गरीबी की रेखा से ऊपर जीवनयापन कर रहे हों वे पेंशन के लिए

¹²⁴ उत्तराखण्ड में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही बी पी एल सर्वेक्षण किया गया था।

¹²⁵ यह सर्वेक्षण 13 मापदण्डों जैसे भूमि का क्षेत्रफल, घर का प्रकार, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, उपभोक्ता सामान, साक्षरता, नौकरी की स्थिति, बच्चों की स्थिति, ऋण स्थिति आदि पर आधारित था। सर्वेक्षित परिवारों को प्रत्येक मानदंड पर 0 से 4 तक अंक दिये जाने थे। इस प्रकार अधिकतम अंक 52 थे। उत्तराखण्ड में एक बी पी एल परिवार के चिन्हीकरण के लिए अधिकतम अंक सीमा 25 थी।

पात्र नहीं होंगे। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मई 2016 तक ₹ 800 प्रति माह की दर से वृ पें दी जा रही थी तत्पश्चात इसे जून 2016 से ₹ 1,000 प्रति माह तक बढ़ा दिया गया।

उत्तराखण्ड में वृ पें यो के कार्यान्वयन से संबन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा, जिसमें दोनों इ गा रा वृ पें यो एवं वृ पें शामिल हैं, 2015-16 से 2017-18 की अवधि का आच्छादन करते हुए मार्च 2018 से अक्टूबर 2018 के दौरान की गई। 13 जिला समाज कल्याण अधिकारियों (जि स क अ) में से चार जि स क अ, कुमाऊँ और गढ़वाल क्षेत्र¹²⁶ प्रत्येक से दो, प्रोबेबिलिटी प्रपोशनल टू साइज़ विदाउट रिप्लेसमेन्ट पद्धति के आधार पर, योजना पर किए गए व्यय को आकार मान कर, अभिलेखों की जाँच हेतु चयनित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक चयनित जनपद में दो विकास खण्ड और प्रत्येक विकास खण्ड में दो ग्राम पंचायतें (ग्रा पं) सिम्पल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेन्ट पद्धति के आधार पर चयनित की गई हैं। प्रत्येक चयनित ग्रा पं में से 20 लाभार्थियों को रैंडमली लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए चयनित किया गया। इसके अलावा जिला अल्मोड़ा में पायलट अध्ययन (फरवरी 2018) भी किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य में सबसे कम लाभार्थियों वाले जनपद चंपावत को भी लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया।

निदेशक समाज कल्याण विभाग (नि स क), हल्द्वानी के अभिलेखों की भी जाँच की गई थी।

1.12.2 लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया

राज्य में वृ पें यो के अंतर्गत पात्रता मानदंड, लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया और पेंशन वितरण **परिशिष्ट-1.12.1** में विस्तृत रूप से वर्णित है।

सभी चयनित जि स क का के अभिलेखों की नमूना जाँच में स्वीकृति प्रक्रिया में निम्न कमियाँ पाई गई हैं:

- आवेदन प्रपत्र में आवेदकों के स्वामित्व वाली भूमि और उनके पुत्र/पौत्र की आय के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए कोई कॉलम नहीं था। इस सूचना के अभाव में, आवेदकों से कोई प्रमाणपत्र¹²⁷ / शपथपत्र नहीं लिया गया था। लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, जैसा कि **प्रस्तर 1.12.8** में चर्चा की गई है, यह पाया गया कि ऐसे गैर-बी पी एल लाभार्थी थे जिनके पास स्वीकार्य सीमा से अधिक भूमि थी।
- किसी भी चयनित जनपद में आवेदनों के सत्यापन के लिए दल का गठन नहीं किया गया था। इसलिए सत्यापन दलों के माध्यम से आवेदकों की पात्रता सत्यापित करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। हमने अपात्र व्यक्तियों को पेंशन वितरण के प्रकरण देखे, जैसा कि **प्रस्तर 1.12.4.4, 1.12.4.5 एवं 1.12.4.6** में चर्चा की गई है।

¹²⁶ कुमाऊँ क्षेत्र: पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर, गढ़वाल क्षेत्र: देहरादून और हरिद्वार।

¹²⁷ पटवारी प्रतिवेदन।

- आवेदकों अथवा संबन्धित ग्रा पं को स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना नहीं दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप जिन आवेदकों के आवेदन निरस्त किए गए हैं वो अपील नहीं कर सके।
- 24 चयनित ग्रा पं की नमूना जाँच में पाया गया कि पेंशनरों की सूची नहीं लगाई गई थी और अभिलेख जैसे आवेदन प्रपत्र, स्वीकृति/ अस्वीकृति आदेश तथा संबन्धित रजिस्टर किसी भी ग्रा पं में संधारित नहीं किए जा रहे थे। यह भी पाया गया कि एन एस ए पी के दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए लाभार्थियों के फोटोग्राफ और सहायक दस्तावेज़ पेंशन डेटाबेस में अपलोड नहीं किए जा रहे थे।
- दिशानिर्देशों के अनुसार, समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ पेंशन के लिए आवेदन विकास खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करने थे। विकास खण्ड स्तर पर सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन की जाँच करने के बाद आवेदन जि स क का को पेंशन स्वीकृति के लिए अग्रेषित किए जाने थे। छः जनपदों के 12 चयनित विकासखण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि विकास खण्ड स्तर¹²⁸ पर आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की तिथि उपलब्ध नहीं थी। चूँकि आवेदन प्राप्ति की तिथि को अभिलेखित नहीं किया जा रहा था, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि आवेदन चार सप्ताह की निर्धारित समयसीमा के अंदर निस्तारित किए गए थे। यद्यपि, आवेदन जिस तिथि को जनपद कार्यालयों में अग्रेषित किए गए थे वह अभिलेखों में उपलब्ध थी।
- छः चयनित जनपदों में से जनपद हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के लंबित आवेदनों की जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि तक 3,292 आवेदन¹²⁹ लंबित थे, जिसमें से 1,944 आवेदन¹³⁰ दिसम्बर 2017-मार्च 2018 से लंबित थे।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने अवगत कराया कि आवेदन प्रपत्र में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। यह भी आश्वस्त किया गया कि योजना के समस्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु जनपद कार्यालयों को निर्देशित किया जाएगा।

सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि लाभार्थियों के चयन के लिए जारी दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार सभी मौजूदा मानदण्डों का सख्ती से पालन किया जाए।

1.12.3 वित्तीय प्रबंधन

1.12.3.1 निधियों की उपलब्धता एवं उपयोग

योजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2017-18 के मध्य निधियों की उपलब्धता और उपयोग (दोनों केंद्र एवं राज्य पोषित) का वर्णन नीचे तालिका-1.12.1 में दिया गया है:

¹²⁸ अल्मोड़ा में ताकूला विकास खण्ड, देहरादून में चकराता विकास खण्ड और पिथौरागढ़ में मूनाकोट विकास खण्ड को छोड़कर।

¹²⁹ हरिद्वार - 791, उधमसिंह नगर - 2,501।

¹³⁰ हरिद्वार - 446, उधमसिंह नगर - 1,498।

तालिका-1.12.1: निधियों की उपलब्धता एवं उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त निधियाँ		कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय		अन्तिम शेष	
		केंद्रांश	राज्यांश		केंद्रांश	राज्यांश	केंद्रांश	राज्यांश
2015-16	3.39	47.79	314.91	366.09	49.90	302.85	1.28	12.06
2016-17	0.00 ¹³¹	71.09	406.79	477.88	64.31	400.98	6.78	5.81
2017-18	6.78	61.60	448.00	516.38	68.38	448.00	0.00	0.00
योग		180.48	1,169.70		182.59	1,151.83		

स्रोत: निदेशक, समाज कल्याण द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में राज्यांश का अंतिम शेष राज्य सरकार को समर्पित किया जाता है, जबकि केंद्रांश अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक शेष के रूप में अग्रेषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 के दौरान पाँच जिला कोषागारों को वर्ष 2015-16 के अंतिम त्रैमास के लिए लाभार्थियों को पेंशन भुगतान हेतु ₹ 12.36 करोड़¹³² जारी किए गए थे। यह राशि न तो लाभार्थियों को स्थानांतरित की गई थी न ही शासन को समर्पित की गई थी। इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (मई 2018) कि प्रकरण पर संबन्धित कोषागारों के साथ कार्यवाही की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। सूचना अभी तक प्रतीक्षित है (अगस्त 2019)।

1.12.3.2 लाभार्थियों के गलत आंकलन के कारण राज्य राजकोष पर अतिरिक्त भार

एन एस ए पी के दिशानिर्देशों के अंतर्गत भारत सरकार इंग्रॉ रा वृ पें योजना के अंतर्गत आंशिक सहायता¹³³ प्रदान करती है। नि स क के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इंग्रॉ रा वृ पें के अंतर्गत की गई माँग उन लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के अनुरूप नहीं थी, जिन्हें पेंशन वितरित की जा रही थी। वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 7,65,599 लाभार्थियों¹³⁴ हेतु ₹ 235.08 करोड़ की माँग की जिसके सापेक्ष ₹ 180.48 करोड़ मिले तथा 6,46,687 लाभार्थियों को ₹ 268.37 करोड़ वितरित किए। इसके परिणामस्वरूप, राज्य राजकोष पर ₹ 87.89 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा, जिसमें से ₹ 33.29 करोड़ भारत सरकार से कम माँग के कारण था, जैसा कि नीचे तालिका-1.12.2 में दिया गया है:

¹³¹ 2015-16 के केंद्रांश के अंतिम अवशेष ₹ 1.28 करोड़, पाँच कोषागारों को जारी किए गए ₹ 12.36 करोड़ में सम्मिलित था जो कि मार्च 2018 तक असमायोजित था।

¹³² राज्यांश ₹ 11.08 करोड़ और केंद्रांश ₹ 1.28 करोड़।

¹³³ 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के लिए: ₹ 200 प्रति माह प्रति लाभार्थी और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए: ₹ 500 प्रति माह प्रति लाभार्थी।

¹³⁴ यह न तो डेटाबेस में उपलब्ध आँकड़ों पर आधारित था और न ही जिलों के मासिक प्रगति प्रतिवेदन पर।

तालिका-1.12.2: आवश्यकता के सापेक्ष की गई माँग का विवरण

वर्ष	पेंशनरों की संख्या जिन्हें पेंशन वितरित की गई			पेंशनरों की संख्या जिनके लिए वास्तव में अनुदान की माँग की गई			आधिक्य(+)/कम(-) माँग (प्रतिशत)
	(60-79 वर्ष)	(80 वर्ष और अधिक)	(₹ करोड़ में)	(60-79 वर्ष)	(80 वर्ष और अधिक)	(₹ करोड़ में)	
2015-16	1,18,912	1,30,865	107.06 ¹³⁵	1,85,637	64,381	83.18	(-)23.88 (28.71)
2016-17	94,277	84,035	73.05	2,21,579	37,913	75.93	(+)2.88 (3.79)
2017-18	1,19,151	99,447	88.26	2,15,792	40,297	75.97	(-)12.29 (16.18)
योग	3,32,340	3,14,347	268.37	6,23,008	1,42,591	235.08	(-)33.29 (14.16)

स्रोत: निदेशक, समाज कल्याण द्वारा प्रदान किये गए आँकड़े।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य द्वारा वर्ष 2015-16 व 2017-18 में क्रमशः 28.71 प्रतिशत व 16.18 प्रतिशत की कम माँग की गई जबकि वर्ष 2016-17 में भारत सरकार से 3.79 प्रतिशत की अधिक माँग की गई।

इस संबन्ध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि माँग मासिक प्रगति प्रतिवेदन (मा प्र प्र) में दर्शाये गए लाभार्थियों की संख्या के आधार पर की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि माँग न तो मा प्र प्र में दर्शाये गए लाभार्थियों की संख्या से मेल खाती थी और न ही यह उन लाभार्थियों की संख्या के अनुरूप थी जिन्हें पेंशन वितरित की जा रही थी।

सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि एन एस ए पी के अंतर्गत भारत सरकार को की गई माँग उन लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के साथ समवर्ती है जिन्हें पेंशन वितरित की जानी है।

1.12.3.3 भारत सरकार से अनियमित दावा

एन एस ए पी के दिशानिर्देशों के अनुसार इंगॉ रा वृ पें के अंतर्गत सहायता केवल बी पी एल श्रेणी के व्यक्ति के लिए ही लागू है। भारत सरकार से, 60 से 79 वर्ष की आयु वर्ग के लिए ₹ 200 प्रति माह तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹ 500 प्रति माह तक की, सहायता सीमित थी।

चयनित जि स क का में लाभार्थी डेटाबेस की जाँच में पाया गया कि एन एस ए पी के अंतर्गत आच्छादित 1,17,454 लाभार्थियों (मार्च 2018 तक) में से केवल 49,924 (42.51 प्रतिशत) लाभार्थियों के प्रकरण में बी पी एल पहचान संख्या अंकित थी। शेष 67,530 लाभार्थियों के नाम के सापेक्ष बी पी एल पहचान संख्या अंकित नहीं थी जैसा कि नीचे तालिका-1.12.3 में दर्शाया गया है:

¹³⁵ =1,18,912 @ ₹ 2,400 प्रति वर्ष (₹ 28,53,88,800) + 1,30,865 @ ₹ 6,000 प्रति वर्ष (₹ 78,51,90,000) = ₹ 1,07,05,78,800 अर्थात् ₹ 107.06 करोड़।

तालिका-1.12.3: लाभार्थियों का विवरण जिनके सापेक्ष बी पी एल पहचान संख्या अंकित नहीं थी

जनपद का नाम	एन एस ए पी के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या जिनके सापेक्ष बी पी एल आई डी अंकित है	लाभार्थियों की संख्या जिनके सापेक्ष बी पी एल आई डी अंकित नहीं है	लाभार्थियों का आयु वर्गीकरण जिनके लिए बी पी एल आई डी अंकित नहीं था	
				80 वर्ष और अधिक	60-79 वर्ष
अल्मोड़ा	24,370	12,262	12,108	11,146	962
देहरादून	22,816	6,656	16,160	11,224	4,936
हरिद्वार	28,979	6,922	22,057	21,485	572
पिथौरागढ़	10,042	5,119	4,923	4,217	706
ऊ सि नगर	23,375	17,531	5,844	2,945	2,899
चंपावत	7,872	1,434	6,438	6,388	50
योग	117,454	49,924	67,530	57,405	10,125

स्रोत : जि स क का द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े।

इसके अतिरिक्त 67,530 प्रकरणों में से, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत 8,134 लाभार्थियों (12 प्रतिशत) के अभिलेखों की जाँच की गई तथा यह पाया गया कि एन एस ए पी के अंतर्गत 6,184 लाभार्थी (76 प्रतिशत) बी पी एल श्रेणी में नहीं आ रहे थे। इसके बावजूद उनको त्रुटिपूर्ण तरीके से एन एस ए पी के अंतर्गत बी पी एल श्रेणी में सम्मिलित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 2015-18 की अवधि में भारत सरकार से ₹7.25 करोड़ का अनियमित दावा किया गया जैसा कि नीचे तालिका-1.12.4 में वर्णित है:

तालिका-1.12.4: लाभार्थियों का विवरण जो कि केंद्रीय सहायता के लिए पात्र नहीं थे

जनपद का नाम	नमूना जाँच किए गए लाभार्थियों की संख्या	अपात्र लाभार्थियों की संख्या जिन्हें एन एस ए पी के अंतर्गत पेंशन स्वीकृत की गई			भारत सरकार से 2015-18 की अवधि में की गई माँग (₹ करोड़ में)
		कुल	80 वर्ष और अधिक	60 से 79 वर्ष	
1	2	3	4	5	6 (स्तम्भ 4 x ₹ 6,000 + स्तम्भ 5 x ₹ 2400) x 3 वर्ष
अल्मोड़ा	600	319	318	01	0.57
देहरादून	1,150	735	553	182	1.13
पिथौरागढ़	540	248	248	00	0.45
ऊ सि नगर	5,844	4,882	1,472	3,410	5.10
योग	8,134	6,184	2,591	3,593	7.25

स्रोत : जि स क का द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि एन एस ए पी के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को भुगतान बंद कर दिया जाएगा और इन लाभार्थियों को राज्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शासन ने अवगत कराया (मई 2019) कि जनपदों को एन एस ए पी के लाभार्थियों की बी पी एल पहचान संख्या पेंशन डेटाबेस में अंकित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

सरकार भारत सरकार से अनियमित दावे से बचने के लिए एन एस ए पी योजना के अंतर्गत गलत तरीके से शामिल किए गए गैर-बी पी एल लाभार्थियों को बाहर करने के लिए सुधारात्मक उपाय शुरू कर सकती है।

चूँकि ये अनियमितताएँ कुछ मामलों की नमूना जाँच के आधार पर उजागर की गई हैं, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग यह सत्यापित करने के लिए कि शेष सभी मामलों में एन एस ए पी के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है या नहीं, की जाँच कर सकता है।

1.12.4 पेंशन सॉफ्टवेयर में अपर्याप्तता के कारण अनियमित भुगतान

1.12.4.1 पेंशन सॉफ्टवेयर में वैलिडेशन व इनपुट कंट्रोल में कमी

समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से वृद्धावस्था पेंशन के वितरण हेतु एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ई-एस पी ए एन प्रारम्भ किया (नवम्बर 2011)।

इनपुट एवं वैलिडेशन कंट्रोल के साथ साथ निर्धारित नियमों के साथ हुई विसंगतियों की जाँच हेतु विभाग द्वारा रखरखाव किए गए वृद्धावस्था पेंशन से संबन्धित डेटाबेस की जाँच (4,33,095 पेंशनरों के अभिलेख) की गई। कमियाँ नीचे विस्तृत हैं:

1. आयु कॉलम जन्म तिथि कॉलम से असंगत है। डेटाबेस में जन्म तिथि कॉलम अनिवार्य फील्ड नहीं था जबकि आयु अनिवार्य थी। डेटाबेस के आयु कॉलम में 901 वर्ष तक की आयु को देखा जा सकता है।
2. राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत ₹ 4,000 से अधिक की राशि के इनपुट को रोकने के लिए मासिक आय कॉलम में 'इनपुट कंट्रोल' की कमी थी।
3. यू आई डी/ आधार संख्या में रिक्त और डुप्लीकेट वैल्यू थे, जो वैलिडेशन कंट्रोल की कमी को दर्शाता हैं।
4. डेटाबेस में आवेदन प्राप्त दिनांक, आवेदन निराकरण दिनांक और स्वीकृति दिनांक रखने का प्रावधान नहीं था, जिसके कारण प्रकरणों के निपटारे में हुई देरी से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं थी।
5. विभाग द्वारा कॉलम जैसे 'कोई भूमि है', 'भूमि का विवरण' का उपयोग/प्रविष्टि नहीं की जा रही थी। यद्यपि यह मुद्दा पात्रता मानदण्ड के अनुसार आवेदक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण था।
6. विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मोबाइल नंबर अनिवार्य है किन्तु डेटाबेस में यह एक अनिवार्य फील्ड नहीं थी।
7. पुत्र की मासिक आय और पुत्र का व्यवसाय कॉलम में शून्य अथवा रिक्त प्रविष्टि थी। राज्य सरकार के आदेशानुसार पात्रता निर्धारित करने के लिए पुत्र की मासिक आय एवं व्यवसाय महत्वपूर्ण मानदंड थे।
8. पेंशनर डेटाबेस राज्य के बी पी एल डेटाबेस से लिंक नहीं था।
9. डेटाबेस में जीवन प्रमाणपत्र की प्रविष्टि करने का कॉलम नहीं था और विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों से संबन्धित जीवन प्रमाणपत्र भी प्राप्त नहीं किए जा रहे थे।
10. प्रणाली में ₹ 1,000 तक प्रति व्यक्ति पेंशन सीमित करने का कोई प्रावधान नहीं था।
11. केंद्र और राज्य के मध्य शेयरिंग पैटर्न लाभार्थियों की आयु सीमा के आधार पर भिन्न होता है। अतः प्रणाली में लाभार्थी की आयु और पेंशन के केंद्रांश एवं राज्यांश हेतु वन टु वन मैपिंग होनी चाहिए। यद्यपि प्रणाली में यह सुविधा नहीं थी।

तालिका-1.12.5: महत्वपूर्ण इनपुट में रिक्त और शून्य/डुप्लिकेट वैल्यू व वाले प्रकरणों की संख्या

क्र स	कॉलम का नाम	प्रकरणों की संख्या
1.	जन्म तिथि	49,521 प्रकरणों में रिक्त /शून्य मान के
		4,989 प्रकरणों में आयु 100 से 125 वर्ष
		9 प्रकरणों में आयु >125 वर्ष
2.	यू आई डी (आधार संख्या)	26,957 प्रकरणों रिक्त / शून्य मान के
		64 प्रकरणों डुप्लिकेट मान के
3.	बी पी एल परिवार आई डी	1,13,795 प्रकरणों रिक्त / शून्य मान के
4.	मोबाइल नंबर	3,12,004 प्रकरणों रिक्त / शून्य मान के

सरकार उपरोक्त कमियों को दूर करके पेंशन डेटाबेस को सुदृढ़ करना सुनिश्चित कर सकती है और तदनुसार पेंशन सॉफ्टवेयर को संशोधित कर सकती है।

अपर्याप्त नियंत्रण तंत्र से कई अनियमितताएँ हुईं जैसा कि आगामी प्रस्तारों में वर्णन किया गया है।

1.12.4.2 मृत व्यक्तियों को पेंशन

एन एस ए पी के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 3.6.3 (vii) के अनुसार ग्राम पंचायत/नगर पालिका लाभार्थी की मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण को निर्दिष्ट स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के आदेश (26 मई 2016) में विहित है कि लाभार्थी का जीवन प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए।

चयनित 24 गा पं के 480 लाभार्थियों के संयुक्त लाभार्थी सर्वेक्षण में यह पाया गया कि संबन्धित गा पं द्वारा पेंशनर की मृत्यु की सूचना नहीं दी गई थी तथा लाभार्थियों के संबन्ध में जीवन प्रमाण पत्र भी प्रत्येक वर्ष प्राप्त नहीं किए गए थे। पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंह नगर के जि स क का द्वारा करवाए गए भौतिक सत्यापन के अभिलेखों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। परिणामस्वरूप, मृत लाभार्थियों के नाम नियमित और तुरंत नहीं हटाये जा रहे थे जिससे न केवल लाभार्थी सूची अपूर्ण रही, बल्कि लाभार्थियों के खाते में उनकी मृत्यु के पश्चात भी पेंशन राशि का हस्तांतरण हुआ। जनपद पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर एवं चंपावत के चयनित ग्राम पंचायतों में भौतिक सर्वेक्षण के दौरान संबन्धित गा पं की लाभार्थी सूची ग्राम प्रधान और ग्रामीणों को दिखाई गई, जिन्होंने सूची में दर्शाये गए कुछ लाभार्थियों की मृत्यु के संबन्ध में लेखापरीक्षा को सूचित किया। पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर और चंपावत के जि स क का 74 लाभार्थियों¹³⁶ की मृत्यु के बारे में अनभिज्ञ थे चूँकि विभाग योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार जीवन प्रमाणपत्र की वार्षिक रूप से पुष्टि नहीं कर रहा था। उनकी पेंशन राशि बैंक खातों में उनकी मृत्यु के बाद एक से लेकर 78 माह की अवधि के लिए जमा की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹10.35 लाख¹³⁷ का अनियमित भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा

¹³⁶ ऊधमसिंह नगर: 49, पिथौरागढ़:15, चंपावत:10।

¹³⁷ ऊधमसिंह नगर: ₹ 7.18 लाख, पिथौरागढ़: ₹ 2.49 लाख, चंपावत: ₹ 0.68 लाख।

को उपलब्ध करवाए गए पाँच मृत लाभार्थियों के बैंक विवरणियों की जाँच में पाया गया कि चार बैंक खातों से लाभार्थियों की मृत्यु के बाद भी आहरण किए गए थे।

इसे इंगित किए जाने पर संबन्धित जि स क अ ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया कि मृत व्यक्तियों की पेंशन रोक दी जाएगी तथा भुगतान की गई धनराशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। शासन ने आगे अवगत (मई 2019) कराया कि संबन्धित जि स क अ से अनुपालन प्राप्त करने के बाद अंतिम उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

सरकार प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों के जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक तंत्र विकसित करना सुनिश्चित कर सकती है और साथ ही साथ मृत व्यक्तियों को पेंशन के संवितरण से बचने के लिए नियमित रूप से भौतिक सत्यापन भी करा सकती है।

1.12.4.3 लाभार्थियों को अधिक भुगतान

प्रत्येक लाभार्थी को 2015-16 से 2017-18 की अवधि में देय पेंशन राशि ₹ 800 प्रति माह मई 2016 तक और तत्पश्चात ₹ 1,000 प्रति माह थी।

पेंशन डेटाबेस के विश्लेषण में पाया गया कि 2015-18 के दौरान राज्य के 11,511 लाभार्थियों को अधिक भुगतान किया गया था। चूँकि विसंगतियों और अपर्याप्त इनपुट कंट्रोल के कारण डेटाबेस विश्वसनीय नहीं पाया गया था इसलिए वर्ष 2015-18 के दौरान जि स क का देहरादून और चंपावत में स्वीकृत 4,067 प्रकरणों¹³⁸ का स्वतः सत्यापन किया गया। 614 प्रकरणों¹³⁹ (15 प्रतिशत) में यह पाया गया कि ₹ 1,000 प्रति व्यक्ति पेंशन सीमित करने के अंतर्निहित वैलिडेशन चेक के अभाव में लाभार्थियों को ₹ 17.08 लाख¹⁴⁰ का अधिक भुगतान किया गया, जैसा कि प्रस्तर 1.12.4.1 में ऊपर उल्लिखित है।

इसे इंगित किए जाने पर, जि स क का ने उत्तर दिया कि इन लाभार्थियों को त्रुटिवश अधिक भुगतान किया गया था और शीघ्र ही वसूली किए जाने का आश्वासन दिया गया।

चूँकि ये अनियमितताएँ कुछ मामलों की नमूना जाँच के आधार पर उजागर की गई हैं, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग लाभार्थियों को अधिक भुगतान सत्यापित करने के लिए शेष सभी मामलों की जाँच कर सकता है।

1.12.4.4 मासिक आय ₹4,000 से अधिक वाले व्यक्तियों को पेंशन का वितरण

उत्तराखण्ड सरकार ने निर्णय लिया (मार्च 2014) कि ₹ 4,000 तक की मासिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति भी वृ पें यो के लिए पात्र होंगे।

¹³⁸ देहरादून- 3,924 प्रकरण और चंपावत- 143 प्रकरण।

¹³⁹ देहरादून 496 प्रकरण और चंपावत 118 प्रकरण।

¹⁴⁰ देहरादून- 11.23 लाख और चंपावत- 5.85 लाख।

2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के पेंशन डेटाबेस के विश्लेषण में पाया गया कि राज्य में गैर बी पी एल प्रकरणों में ₹ 4,000 से अधिक की मासिक आय वाले 295 लाभार्थियों को ₹ 0.83 करोड़ स्वीकृत किए गए थे, जो कि वर्तमान नियमों का उल्लंघन था। लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान भी ₹ 4,000 से अधिक मासिक आय वाले व्यक्तियों को पेंशन वितरण के प्रकरण पाये गये, जैसा कि प्रस्तर 1.12.8 में उल्लिखित है।

1.12.4.5 पेंशन के दोहरे भुगतान का पता न लगाना

चयनित जि स क का द्वारा उपलब्ध करवाए गए डेटा की जाँच में पाया गया कि 85 लाभार्थियों¹⁴¹ को समान आधार संख्या/बी पी एल आईडी /बैंक खाता संख्या के सापेक्ष दोहरी पेंशन आईडी आवंटित की गई थी। चूँकि डेटाबेस डुप्लीकेट आधार संख्या/ बी पी एल आईडी/ बैंक खाता संख्या का पता नहीं लगा सकता था इसलिए 85 लाभार्थियों को अप्रैल 2011 से जनवरी 2018 के मध्य विभिन्न अवधियों के दौरान दो बार पेंशन स्वीकृत की गई थी तथा मार्च 2018 तक निरंतर भुगतान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.87 लाख¹⁴² का दोहरा भुगतान किया गया।

इसे इंगित किए जाने पर शासन ने अवगत कराया (मई 2019) कि दोहरे भुगतान की वसूली के लिए निर्देश जारी कर दिये गए हैं।

चूँकि ये अनियमितताएँ कुछ मामलों की नमूना जाँच के आधार पर उजागर की गई हैं, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग शेष सभी मामलों की जाँच कर सकता है कि क्या अन्य लाभार्थियों को दोहरी पेंशन स्वीकृत की गई है।

1.12.4.6 अपात्र व्यक्तियों को पेंशन का वितरण

राज्य सरकार ने निर्देश जारी किये (मार्च 1990) कि ऐसे मामले जहाँ पति एवं पत्नी दोनों वृ पें के लिए पात्र होंगे, वहाँ पेंशन केवल पति अथवा पत्नी को स्वीकृत की जाएगी और ऐसे प्रकरणों में महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखण्ड सरकार ने जून 2016 में जारी अपने आदेश के द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पुनः पुष्टि की।

चूँकि आवश्यक वैलिडेशन कंट्रोल का अभाव था इसलिए 2007-08 से 2017-18 के दौरान 1,147 मामलों में समान बी पी एल आईडी नंबर वाले पति एवं पत्नी दोनों को पेंशन स्वीकृत की गयी और मार्च 2018 तक लगातार भुगतान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2008 एवं जनवरी 2018 के बीच विभिन्न अवधि के दौरान ₹ 4.18 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ जैसा कि नीचे तालिका-1.12.6 में विस्तृत है। इसके अलावा, 24 चयनित ग्रा पं के 480 लाभार्थियों के

¹⁴¹ देहरादून 17, हरिद्वार-31, पिथौरागढ़-21 और ऊधमसिंह नगर-16 लाभार्थी।

¹⁴² देहरादून: ₹ 4.87 लाख, हरिद्वार: ₹ 8.37 लाख, पिथौरागढ़: ₹ 5.58 लाख और ऊधमसिंह नगर: ₹ 2.05 लाख।

संयुक्त लाभार्थी सर्वेक्षण में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई। यह पाया गया कि 41 मामलों (नौ प्रतिशत) में, पति एवं पत्नी दोनों पेंशन प्राप्त कर रहे थे।

तालिका-1.12.6: चयनित जनपदों में पति एवं पत्नी दोनों को स्वीकृत पेंशन का विवरण

जनपद का नाम	पति एवं पत्नी दोनों को स्वीकृत पेंशन	स्वीकृति की अवधि	अनियमित भुगतान (₹ करोड़ में)
अल्मोड़ा	586	2010-11 से 2017-18	2.20
देहरादून	115	2011-12 से 2017-18	0.33
हरिद्वार	91	2013-14 से 2017-18	0.30
पिथौरागढ़	25	2007-08 से 2016-17	0.15
उसिं नगर	330	2011-12 से 2017-18	1.20
योग	1,147		4.18

स्रोत: सम्बन्धित जि स क अ द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े।

इसे इंगित किए जाने पर शासन ने अवगत कराया (मई 2019) कि अपात्र लाभार्थियों की पेंशन रोकने एवं उनको भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गए हैं।

चूँकि ये अनियमितताएँ कुछ मामलों की नमूना जाँच के आधार पर उजागर की गई हैं, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग सभी बचे हुए मामलों की जाँच यह सत्यापित करने के लिए कर सकता है कि क्या लाभार्थियों के पति को भी पेंशन स्वीकृत हो गई है। सरकार भी पति एवं पत्नी दोनों को पेंशन की मंजूरी की जाँच करने के लिए एक तंत्र विकसित करना सुनिश्चित कर सकती है।

1.12.5 अन्य निष्कर्ष

1.12.5.1 पेंशन का विलम्ब से वितरण

राज्य सरकार ने त्रैमासिक आधार पर लाभार्थियों को पेंशन वितरण हेतु आदेश जारी किये (मार्च 2011)। पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान क्रमशः जून, सितम्बर और दिसम्बर माह में किया जाना था और अन्तिम किस्त का भुगतान उस वर्ष के फरवरी माह के अन्त तक किया जाना था।

चयनित जि स क अ के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वर्ष 2015-18 के दौरान भुगतान में 366 दिनों तक का विलम्ब हुआ जैसा कि नीचे तालिका-1.12.7 में वर्णित है:

तालिका-1.12.7: नमूना जांचित जनपदों में लाभार्थियों को पेंशन भुगतान में विलम्ब का विवरण

जनपद का नाम	पेंशन भुगतान में विलम्ब दिनों में		
	2015-16	2016-17	2017-18
अल्मोड़ा	21 - 75	22 - 84	12 - 51
देहरादून	05 - 112	13 - 51	04 - 23
हरिद्वार	04 - 112	13 - 45	05 - 54
पिथौरागढ़	01 - 366	25 - 217	07 - 119
उधम सिंह नगर	24 - 60	26 - 75	18 - 28
चम्पावत	14 - 26	00 - 23	07 - 38

स्रोत: सम्बन्धित जि स क अ द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े।

इसे इंगित किए जाने पर शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (मई 2019) कि संबन्धित जनपदों को पेंशन वितरण समय से करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गए हैं।

1.12.5.2 बकाया का भुगतान न किया जाना

राज्य सरकार ने आदेश जारी किया (जून 2016) कि जिन लाभार्थियों ने अपना आधार कार्ड जमा नहीं किया है उन्हें वृद्धावस्था पेंशन वितरित नहीं की जाएगी। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा आधार कार्ड जमा करने की अवधि मार्च 2018 तक बढ़ायी गयी (दिसम्बर 2017)।

अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2018) में पाया गया कि जि स क का हरिद्वार और पिथौरागढ़ में आधार कार्ड जमा न करने के कारण 6,703 लाभार्थियों¹⁴³ को पेंशन का वितरण अक्टूबर 2016 से रोक दिया गया था। सरकार द्वारा आधार कार्ड जमा करने की तिथि मार्च 2018 तक बढ़ाए जाने के बावजूद इन पेंशनरों को लेखापरीक्षा तिथि तक विभिन्न अवधि (अक्टूबर 2016 और सितम्बर 2017 के मध्य की) से सम्बन्धित ₹ 7.79 करोड़ करोड़ के बकाया का भुगतान नहीं किया गया था।

इसके अलावा, स क वि द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (मई 2018) की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 की अवधि में राज्य में नौ जनपदों¹⁴⁴ के 34,551 लाभार्थी धनराशि की अनुपलब्धता के कारण ₹ 15.25 करोड़¹⁴⁵ की पेंशन/बकाया पेंशन के भुगतान से वंचित थे।

इसे इंगित किये जाने पर, सम्बन्धित जि स क अ ने अवगत कराया कि मानव संसाधन की कमी के कारण बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका और आश्वासन दिया गया कि इन लाभार्थियों को यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। लाभार्थियों को पेंशन/बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में स क वि ने अवगत कराया कि बजट शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किया गया है (मई 2018) तथा धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त इसे वितरित कर दिया जाएगा। शासन ने आगे अवगत कराया (मई 2019) कि नौ जनपदों में से दो जनपदों (अल्मोड़ा और देहरादून) ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया है।

1.12.6 मानव संसाधन की कमी

राज्य सरकार ने निर्देश जारी किये (जून 1981) कि जिला कार्यालयों में वृ पें कार्य के लिए 1,500 से अधिक जीवित पेंशनरों के लिए तीन लिपिक पदस्थापित होंगे। जि स क अ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्रत्येक चयनित जनपद में लिपिक के तीन स्वीकृत पदों के सापेक्ष, केवल आठ लिपिक¹⁴⁶ ही पदस्थापित थे। अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में 67 प्रतिशत और देहरादून एवं उधमसिंह नगर में 34 प्रतिशत की कमी थी।

¹⁴³ हरिद्वार: 5,656 और पिथौरागढ़ में: 1,047।

¹⁴⁴ चमोली: 549, रुद्रप्रयाग: 1,849, देहरादून: 9,620, हरिद्वार: 5,307, नैनीताल: 6,787, अल्मोड़ा: 1,929, बागेश्वर: 4,320, चम्पावत: 435 और उधमसिंह नगर: 3,755।

¹⁴⁵ वर्ष 2017-18 के चतुर्थ त्रैमास की पेंशन और अक्टूबर 2016 एवं सितम्बर 2017 के मध्य की अवधि का बकाया।

¹⁴⁶ अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में एक एक और देहरादून एवं उधमसिंह नगर में दो दो।

इसे इंगित किए जाने पर शासन ने अवगत कराया (मई 2019) कि जनपद/विकास खण्ड स्तर पर कंप्यूटर संचालक एवं कनिष्ठ सहायक के पदों के सृजन हेतु प्रशासनिक विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

1.12.7 सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ

एन एस ए पी के दिशानिर्देश यह प्रावधानित करता है कि राज्य को पोस्टर, ब्राउजर, मीडिया एवं अन्य माध्यमों से इस योजना के अंतर्गत पात्रता तथा इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत एवं निरंतर प्रचार सुनिश्चित करना चाहिए। सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियों पर व्यय प्रशासनिक मद से किया जाना था। स क वि एवं छः चयनित जि स क अ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-18 के दौरान जनपद देहरादून एवं चम्पावत को छोड़ कर राज्य में अखबार/अन्य मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा पाँच ग्राम पंचायतों¹⁴⁷ में किये गये सर्वेक्षण में पाया गया कि वृ पें के लिए पात्र 25 व्यक्तियों¹⁴⁸ द्वारा न ही पेंशन के लिए आवेदन किया गया था और न ही क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं/कार्मिकों द्वारा इनकी पहचान की गयी थी।

इसे इंगित किये जाने पर, स क वि ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया कि भविष्य में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। पात्र व्यक्तियों की पहचान न होने के सम्बन्ध में, सम्बन्धित जि स क अ ने अवगत कराया कि वृ पें के लिए पात्र व्यक्तियों को शामिल करने के लिए सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। विभाग, पात्र लाभार्थियों जिनको अब तक योजना में किसी कारण से शामिल नहीं किया गया है, की पहचान के लिए सभी जनपदों में इस प्रकार के अभ्यास कर सकती है।

विभाग पात्र लाभार्थियों, जिन्हें अभी तक इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, के चिन्हीकरण करने के लिए सभी जनपदों में यह कवायद कर सकता है।

1.12.8 लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणाम

लेखापरीक्षा द्वारा समाज कल्याण विभाग के कार्मिकों के साथ 24 चयनित ग्रा पं के 480 लाभार्थियों का संयुक्त लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया था। लाभार्थी सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार थे:

- 41 लाभार्थियों (नौ प्रतिशत) के पति भी वृ पें प्राप्त कर रहे थे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य वित्त पोषित पेंशन योजना के नौ लाभार्थियों (दो प्रतिशत) के पास 2.5 एकड़ की अनुमन्य सीमा से अधिक भूमि थी।

¹⁴⁷ जनपद उधमसिंह नगर में कुरैया ग्रा पं, जनपद हरिद्वार में डेलना और बहादुरपुर सैनी, जनपद चम्पावत में कमलेख और गरसारी।

¹⁴⁸ कुरैया-05, डेलना-06, बहादुरपुर सैनी-11, कमलेख-02 और गरसारी-01 व्यक्ति।

- राज्य वित्त पोषित पेंशन योजना के 11 लाभार्थियों (दो प्रतिशत) के परिवार के सदस्य शासकीय कर्मचारी थे।
- राज्य वित्त पोषित पेंशन योजना के 53 लाभार्थियों (11 प्रतिशत) की पारिवारिक आय ₹ 4,000 प्रतिमाह से अधिक थी।

1.12.9 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

1.12.9.1 राज्य / जिला स्तरीय समिति का गठन न किया जाना

एन एस ए पी के दिशानिर्देश प्रावधानित करते हैं कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति (रा स्त स) और मुख्य अधिशासी अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति (जि स्त स) का गठन किया जाएगा। यह समितियाँ कार्यक्रम के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी। रा स्त स/जि स्त स द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमशः भारत सरकार एवं राज्य नोडल विभाग को प्रस्तुत की जानी थी। इसके अलावा, कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सतर्कता और निगरानी समिति (स नि स) का भी गठन किया जाना था। स नि स की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी थी।

यह पाया गया कि दिशानिर्देशों के विपरीत, न तो राज्य स्तर पर रा स्त स और न ही चयनित जनपदों में जि स्त स का गठन किया गया था। तथापि, राज्य स्तर पर स नि स का गठन किया गया था परन्तु वर्ष 2015-18 की अवधि में आवश्यक 12 बैठकों के सापेक्ष केवल चार बैठकें ही आयोजित की गयीं।

1.12.9.2 शिकायत निवारण तंत्र

एन एस ए पी के दिशानिर्देश प्रावधानित करते हैं कि विकास खण्ड, जनपद, नगर पालिका स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली का गठन किया जाना चाहिए और शिकायतों को संबोधित किये जाने हेतु एक अधिकारी नामित किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता को शिकायत निवारण के लिए समय सीमा इंगित करते हुए प्राप्ति रसीद दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिकायत निवारण के लिए उत्तराखण्ड सरकार के समाधान पोर्टल (आनलाईन पोर्टल) और जिलाधिकारी द्वारा आयोजित जनसुनवाई के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

चयनित जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि किसी भी जनपद में शिकायत निवारण के लिए कोई भी नामित अधिकारी नहीं था। सम्बन्धित जि स क अ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-18 के दौरान जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में क्रमशः केवल पाँच एवं चार शिकायत दर्ज की गयीं और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत जनपद में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गयी थी। उधमसिंह नगर में वर्ष 2015-18 के दौरान समाधान पोर्टल और जन सुनवाई के माध्यम से 373 शिकायत प्राप्त हुईं और सभी का निस्तारण कर दिया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर सम्बन्धित जि स क अ ने अवगत कराया कि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। शासन ने आगे बताया कि संबन्धित जनपदों में जनपद/विकास खण्ड/नगर पालिका स्तर पर शिकायत निवारण हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति के लिए निर्देश जारी कर दिये हैं।

1.12.9.3 सामाजिक लेखापरीक्षा का अभाव

एन एस ए पी के दिशानिर्देश यह प्रावधानित करते हैं कि निर्णय लेने और नीति निष्पादन में सार्वजनिक भागीदारी, सुशासन के सिद्धांतों में से एक है। इस प्रयोजन हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा योजना के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए आवश्यक था। ग्राम सभा/वाई समिति द्वारा प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित किया जाना था।

चयनित जि स क अ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चयनित ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था तथा वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान चयनित जनपदों की किसी भी ग्राम पंचायत में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया कि सामाजिक लेखापरीक्षा समिति के गठन और सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये जाएंगे। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा एक आवश्यक घटक था।

1.12.9.4 भौतिक सत्यापन में कमी

राज्य सरकार के दिशानिर्देश (नवम्बर 1981) यह प्रावधानित करते हैं कि लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन छमाही आधार पर यह जाँच करने के लिए किया जाना चाहिए कि पेंशनर जीवित है और वर्तमान में भी पेंशन के लिए पात्र है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नवम्बर 2009 में जारी किये गये अपने आदेश में उपरोक्त निर्देशों की पुनः पुष्टि की गयी।

छः चयनित जि स क अ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-18 के दौरान पेंशनरों का भौतिक सत्यापन अपेक्षित छः बार के सापेक्ष जनपद हरिद्वार में दो बार और जनपद उधमसिंह नगर एवं चंपावत में तीन बार किया गया जबकि जनपद देहरादून, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में केवल एक बार ही किया गया। पेंशनरों के अपर्याप्त भौतिक सत्यापन के परिणामस्वरूप पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात भी भुगतान हुआ जैसा कि ऊपर प्रस्तर 1.12.4.2 में चर्चा की गयी है।

इस संबन्ध में इंगित किए जाने पर शासन ने अवगत कराया (मई 2019) कि सभी जि स क अ को वर्ष में दो बार समस्त लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किए जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

1.12.10 निष्कर्ष

राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना का कार्यान्वयन कई कमियों से ग्रस्त था। एन एस ए पी के अन्तर्गत लाभार्थियों का त्रुटिपूर्ण आंकलन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार से कम

धनराशि की माँग की गई। गैर बी पी एल श्रेणी के लाभार्थियों को एन एस ए पी के अन्तर्गत गलत तरीके से आच्छादित किया गया था। पेंशन साफ्टवेयर में वैलिडेशन एवं इनपुट कंट्रोल का अभाव था। मृत व्यक्तियों को पेंशन का वितरण, पति-पत्नी दोनों को पेंशन की स्वीकृति और लाभार्थियों को विलम्ब से पेंशन का भुगतान भी पाया गया। विभाग के पास पर्याप्त मानव शक्ति का अभाव था। विभाग द्वारा योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए पर्याप्त प्रचार अभियान नहीं चलाया गया।

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तराखण्ड राज्य परिवहन विभाग

1.13 देहरादून में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तराखण्ड राज्य परिवहन विभाग की भूमिका

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू ई पी पी सी बी) ने वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं बनाया। इसने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित सभी 12 वायु प्रदूषकों की निगरानी नहीं की। यू ई पी पी सी बी द्वारा अपनी 'सहमति व्यवस्था' के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को लाने के लिए उद्योग विभाग के साथ पंजीकृत उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए समन्वय नहीं किया गया। प्रदत्त सहमति की अवधि समाप्त होने के पश्चात इसके नवीनीकरण की निगरानी हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था। परिवहन विभाग द्वारा 15 साल पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किए गये थे। इसके पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था कि सभी वाहन 'प्रदूषण नियंत्रण' प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद उत्सर्जन परीक्षण के लिए पुनः आएंगे। यह ईट भट्टों और खनन इकाइयों द्वारा वायुमंडल में फैलने वाले प्रदूषकों के उत्सर्जन को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए अपने विनियामक कार्य का निर्वहन करने में भी विफल रहा। यू ई पी पी सी बी द्वारा की जाने वाली निगरानी में कमी पाई गई। यह अपनी कार्य पद्धति से संबन्धित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और उसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने में विफल रहा।

1.13.1 प्रस्तावना

वायु प्रदूषण को स्वास्थ्य जोखिम पैदा करने वाले स्तरों पर हवा में जहरीले रसायनों या यौगिकों की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वायु प्रदूषण मानव और पदार्थ, वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह सांस लेने में तकलीफ, रक्त सम्बन्धी रोग, आंखों की समस्या और त्वचा एवं फेफड़ों के विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण बनता है। सामान्य तौर पर वायु प्रदूषकों के रूप में पहचाने जाने वाले पदार्थों में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस पी एम), रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (आर एस पी एम), सल्फर डाइऑक्साइड (एस ओ₂), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड

(एन ओ₂), कार्बन मोनोऑक्साइड (सी ओ), कार्बन डाइऑक्साइड (सी ओ₂), मीथेन और ओजोन घटाने वाले पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सी एफ सी) शामिल हैं। वायु प्रदूषण के सबसे सामान्य रूप से पहचाने जाने वाले स्रोत वाहन; उद्योग; निर्माण गतिविधियां; कचरा जलाना, आदि हैं।

पिछले कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय बन गया है, और देहरादून कोई अपवाद नहीं है। भारत सरकार ने लोकसभा को सूचित (15 दिसम्बर 2017) किया कि तीन में से दो मानकों यथा एसओ₂ और पार्टिकुलेट मैटर 10 (पीएम₁₀) के आधार पर देहरादून भारत में पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील घोषित शहरों में, सर्वाधिक प्रदूषित शहर था। ग्रीनपीस रिपोर्ट (2016) के अनुसार, देहरादून पीएम₁₀ के सापेक्ष, देश में 5वां सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा था।

देहरादून में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तराखण्ड राज्य परिवहन विभाग की भूमिका पर एक विषयक अनुपालन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गयी कि क्या वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन हेतु वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (वायु अधिनियम) के प्रावधानों का अनुपालन किया गया। उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू ई पी पी सी बी) के कार्यालय के साथ देहरादून में इसके क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) के 2015-18 की अवधि से संबन्धित अभिलेखों की मार्च 2018 से जून 2018 के दौरान, लेखापरीक्षा की गयी। परिवहन विभाग के प्रासंगिक रिकॉर्ड की भी जाँच की गई।

आर ओ देहरादून के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा दल ने देहरादून में स्थित तीनों निगरानी स्टेशन¹⁴⁹ तथा 793 औद्योगिक इकाइयों¹⁵⁰ में से 32 का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी यह जानने के लिए किया गया कि क्या वह यू ई पी पी सी बी द्वारा निर्गत संचालन की सहमति (सी टी ओ) में उल्लिखित पर्यावरण सुरक्षा उपायों का अनुपालन कर रहे थे। साथ ही 19 'प्रदूषण नियंत्रण' केन्द्रों (पी यू सी) में से छः का भौतिक सत्यापन यह देखने के लिए किया गया कि क्या वे लागू प्रावधानों का अनुपालन कर रहे थे।

1.13.2 योजना

1.13.2.1 वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु 'व्यापक कार्यक्रम' का अभाव

अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, यू ई पी पी सी बी द्वारा वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन हेतु एक व्यापक कार्यक्रम को तैयार किया जाना था। इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने 20 जनवरी 2015 के अपने पत्र द्वारा यू ई पी पी सी बी को स्रोत संविभाजन

¹⁴⁹ बी एस एन एल ऑफिस, घंटाघर; अंचल डेयरी, रायपुर रोड और हिमालयन ड्रग, आई एस बी टी।

¹⁵⁰ जिसमें पाँच खनन इकाइयाँ और सात ईट भट्टा इकाइयाँ शामिल हैं।

अध्ययन¹⁵¹ करने का निर्देश दिया। तथापि, यह देखा गया कि बोर्ड ने कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार नहीं किया। देहरादून में चल रहे उद्योगों की संख्या के बारे में अपेक्षित जानकारी के अभाव (जैसा कि प्रस्तर 1.13.5.1 में चर्चा की गई है) एवं स्रोत संविभाजन अध्ययन नहीं किए जाने के कारण वायु प्रदूषण के स्रोतों के चिन्हीकरण एवं उनका परिमाणीकरण न होने के अभाव में बोर्ड वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी योजना बनाने की स्थिति में नहीं था।

इसे इंगित किए जाने पर, यू ई पी पी सी बी ने कहा कि वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन हेतु एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापक कार्यक्रम के अभाव में, यू ई पी पी सी बी प्रभावी रूप से अपने अधिदेश को पूरा करने की स्थिति में नहीं था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट (2016) के मद्देनजर व्यापक कार्यक्रम का अभाव गंभीरता को दर्शाता है जो इंगित करता है कि उत्तराखण्ड में वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा मौत एवं विकलांगता का दूसरा सबसे बड़ा जोखिम कारक है।

यू ई पी पी सी बी को वायु अधिनियम की धारा 17 के अनुसार एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास करना चाहिए।

1.13.3 वित्तीय व्यवस्था

यू ई पी पी सी बी के वित्तीय संसाधनों में जल उपकर, सहमति शुल्क और अन्य प्राप्तियाँ शामिल थीं। यू ई पी पी सी बी की 2015-16 से 2017-18 के दौरान आय और व्यय तालिका-1.13.1 में नीचे दी गई है:

तालिका-1.13.1: आय और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आय					व्यय			शुद्ध अधिशेष (प्रतिशत)
	सहमति शुल्क	जल उपकर	ब्याज आय	अन्य आय*	कुल आय	स्थापना और अन्य व्यय**	आयकर	कुल खर्च	
2015-16	18.76	1.83	12.14	2.90	35.63	10.21	2.08	12.29 (34.49)	65.51
2016-17	16.68	2.02	10.55	2.11	31.36	11.34	2.45	13.79 (43.97)	56.03
2017-18	20.40	0.56	9.75	1.74	32.45	11.32	0.06	11.38 (35.07)	64.93
योग	55.84	4.41	32.44	6.75	99.44	32.87	4.59	37.46 (37.67)	

स्रोत: यू ई पी पी सी बी द्वारा प्रदत्त आँकड़े।

* बायो मेडिकल शुल्क, स्टैक मॉनिटरिंग और विश्लेषण शुल्क, एन ओ सी शुल्क, ज़ब्त बैंक गारंटी, जोखिम शुल्क, आदि।

** पूँजीगत व्यय (भवन निर्माण, भूमि की खरीद, वाहन, कंप्यूटर, फर्नीचर, आदि की खरीद)।

नोट: कोष्ठक में आँकड़े कुल आय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि:

- 2015-18 के दौरान उपलब्ध कुल निधि में अधिशेष निधियों का प्रतिशत 56.03 प्रतिशत और 65.51 प्रतिशत के बीच था।

¹⁵¹ स्रोत संविभाजन अध्ययन मुख्य रूप से मापक पर आधारित है जो रिसेप्टर मॉडलिंग के माध्यम से स्रोतों को ट्रैक करता है और प्रदूषण में उनके स्रोतों की पहचान और योगदान की सीमा की पहचान करने में मदद करता है।

- सम्पूर्ण धनराशि 'स्थापना और अन्य खर्चों' पर व्यय की गई थी।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एन ए एम पी) निधि से संबन्धित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण नीचे तालिका-1.13.2 में दिखाया गया है:

तालिका-1.13.2: एन ए एम पी निधि से संबन्धित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण

(₹ करोड़ में)

एन ए एम पी निधियों की प्राप्तियाँ और व्यय			
क्र सं	वर्ष	प्राप्त राशि	कुल व्यय ¹⁵²
1	2015-16	0.41	0.51
2	2016-17	-	0.52
3	2017-18	-	0.41

स्रोत: यू ई पी पी सी बी द्वारा प्रदत्त आँकड़े।

1.13.4 वायु गुणवत्ता की निगरानी

1.13.4.1 समस्त वायु प्रदूषकों की निगरानी न किया जाना

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने 12 चिन्हित प्रदूषकों सहित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एन ए ए क्यू एस) अधिसूचित (नवम्बर 2009) किये थे। इसमें पाँच गैसीय प्रदूषक एस ओ₂, एन ओ₂, ओजोन (ओ₃), सी ओ और अमोनिया (एनएच₃), दो धूल से संबन्धित पैरामीटर (पी एम₁₀ और पी एम_{2.5}), तीन धातु (लेड, निकल और आर्सेनिक) और दो जैविक प्रदूषक {बेंजीन और बेंजो (ए) पाइरीन (बीएपी)-पर्टिकुलेट} शामिल थे। पर्यावरण पर प्रमुख वायु प्रदूषकों का प्रभाव परिशिष्ट-1.13.1 में दर्शाया गया है।

यह देखा गया कि:

- यू ई पी पी सी बी, देहरादून में स्थित सभी तीनों स्टेशन पर नियमित रूप से केवल तीन वायु प्रदूषकों एस ओ₂, एन ओ₂ और पी एम₁₀ की निगरानी कर रहा था।
- पी एम_{2.5} के अतिरिक्त शेष प्रदूषकों जैसे कि अमोनिया, लेड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, बीएपी, आर्सेनिक और निकेल जो कि सूक्ष्म कण हैं एवं दीर्घकालिक रोगों के फैलने एवं उनके दुष्प्रभाव हेतु जाने जाते हैं, की निगरानी नहीं की जा रही थी।

परिणाम स्वरूप यू ई पी पी सी बी प्रदूषण जनित स्वास्थ्य के खतरों का आंकलन करने एवं शमनकारी उपायों द्वारा विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषकों एवं उनके हानिकारक प्रभावों को नियंत्रित एवं विनियमित करने की स्थिति में नहीं था।

यू ई पी पी सी बी ने कहा कि तकनीकी विशेषज्ञता वाले कर्मियों के अभाव, लैबोरेटरी और सैंपलिंग उपकरणों¹⁵³ की कमी और सैम्पलर्स की स्थापना के लिए स्थान का निर्धारण न होने के कारण, सभी प्रदूषकों को मापा नहीं जा सका।

¹⁵² व्यय यू ई पी पी सी बी द्वारा किए जाते हैं और बाद में सी पी सी बी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।

¹⁵³ पी एम_{2.5} को मापने के लिए सैम्पलर जून, 2018 में परीक्षण के आधार पर आपूर्तिकर्ता से व्यवस्थित किया गया था इसे भी स्थापित नहीं किया गया।

यह भी देखा गया कि यू ई पी पी सी बी उपकरण की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान के निर्धारण हेतु कोई भी अध्ययन कराये जाने में नाकाम रहा। इसके अतिरिक्त, इसने सी पी सी बी को संसाधनों की आवश्यकता के बारे में सूचित नहीं किया।

यू ई पी पी सी बी को सी पी सी बी द्वारा अधिसूचित सभी 12 प्रदूषकों के अनुश्रवण का प्रयास करना चाहिए।

1.13.4.2 प्रदूषकों का स्तर

वायु अधिनियम और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिदेश को लागू करने के लिए निरंतर वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण/निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से वर्तमान और प्रत्याशित वायु प्रदूषण का आंकलन करना आवश्यक था। सी पी सी बी द्वारा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी (एनएएक्यूएम) नेटवर्क शुरू किया गया (1984-1985) जिसे बाद में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एन ए एम पी) का नाम दिया गया। एन ए एम पी के अन्तर्गत देहरादून में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी तीन स्टेशनों के माध्यम से मुख्यतः तीन प्रदूषकों एस ओ₂, एन ओ₂ और पी एम₁₀ के मापन के द्वारा किया जा रहा था। तत्संबंधी आँकड़े नीचे दी गई तालिका-1.13.3 में प्रदर्शित हैं

तालिका-1.13.3: 2015-2017 के दौरान प्रदूषकों के स्तर को दर्शाने वाला विवरण

(यूनिट माइक्रोग्राम/मी³)

वर्ष	घंटाघर			रायपुर रोड			हिमालयन ड्रग, आई एस बी टी			
	औसत	पी एम ₁₀	एस ओ ₂	एन ओ ₂	पी एम ₁₀	एस ओ ₂	एन ओ ₂	पी एम ₁₀	एस ओ ₂	एन ओ ₂
2015		159.54	26.48	29.92	155.35	26.33	29.53	237.75	27.45	30.43
2016		180.05	25.07	28.66	245.23	25.92	28.99	288.12	27.10	30.05
2017		190.40	24.97	28.50	220.74	25.84	28.85	302.34	26.66	29.68
मानक		60	20	30	60	20	30	60	20	30

स्रोत: यू ई पी पी सी बी द्वारा प्रदत्त आँकड़े।

वर्ष 2015 से 2017¹⁵⁴ तक इन स्टेशनों के संबन्ध में विश्लेषण रिपोर्ट के उपरोक्त परिणामों की जाँच ने खुलासा किया कि:-

- एस ओ₂ का वार्षिक औसत मान 24.97 माइक्रोग्राम/मी³ और 27.45 माइक्रोग्राम/मी³ के बीच था जो निर्धारित सीमा (20 माइक्रोग्राम/मी³) से अधिक है।
- एन ओ₂ का वार्षिक औसत मान 28.50 माइक्रोग्राम/मी³ और 30.43 माइक्रोग्राम/मी³ के बीच था जो निर्धारित सीमा (30 माइक्रोग्राम/मी³) से थोड़ा अधिक है।

¹⁵⁴ वार्षिक औसत मान की गणना यू ई पी पी सी बी द्वारा कैलेंडर वर्ष हेतु की जाती है।

➤ पी एम₁₀ का वार्षिक औसत मान 155.35 माइक्रोग्राम/मी³ और 302.34 माइक्रोग्राम/मी³ के बीच था जो निर्धारित सीमा (60 माइक्रोग्राम/मी³) से काफी अधिक है।

इसे इंगित किए जाने पर यू ई पी पी सी बी ने तथ्य को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि वायु प्रदूषण के उपशमन और नियंत्रण की कार्य योजना मसौदा चरण में थी।

1.13.4.3 अनियमित निगरानी

एन ए एम पी दिशानिर्देश कहता है कि प्रदूषकों की एक वर्ष में 104 अवलोकनों के लिए, एक सप्ताह में दो बार 24 घंटे हेतु (गैसीय प्रदूषकों के लिए 4-प्रति घंटा नमूना और पार्टिकुलेट कण के लिए 8-प्रति घंटा नमूना का औसत), निगरानी करनी चाहिए। नमूने की अवधि और आवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि आँकड़ों के साथ सांख्यिकीय रूप से विश्वसनीय औसत प्राप्त किया जा सके। एन ए एम पी के अंतर्गत निगरानी के विभिन्न उद्देश्यों में से एक एन ए ए क्यू एस के अनुपालन का निर्धारण करना है।

तीन वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि एस ओ₂, एन ओ₂ और पी एम₁₀ का मापन एक दिन में 16 घंटे के लिए चार घंटे एवं आठ घंटे के अंतराल पर क्रमशः एस ओ₂, एन ओ₂ और पी एम₁₀ के लिए किया जा रहा था, जो निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप नहीं था। इसलिए, वार्षिक औसत, प्रदूषकों के वास्तविक स्तर के गलत निर्धारण और गैर प्रतिनिधिक होने का खतरा हो सकता है।

इंगित किए जाने पर, आर ओ, यू ई पी पी सी बी देहरादून ने कहा कि कर्मचारियों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण, 24 घंटे की निगरानी नहीं की गयी।

यू ई पी पी सी बी को कर्मचारियों एवं बुनियादी सुविधाओं की कमी की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है ताकि गलत और गैर-प्रतिनिधिक डेटा उत्पन्न होने के जोखिम को कम करने के लिए एन ए एम पी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदूषकों की निगरानी की जा सके।

1.13.4.4 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन

1.13.4.4 (अ) गैर-प्रतिनिधिक स्थल

पी पी सी बी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुछ पेड़ पी एम के स्रोत भी हो सकते हैं जैसे कि डिट्रिटस, पराग, या कीट-भागों। इसलिए, सैमप्लर्स को उन स्थानों पर स्थित होना चाहिए जो आस-पास के पेड़ों से 20 मीटर से अधिक दूरी पर हों। इसके अलावा, परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के सभी हिस्से खुले होने चाहिए अर्थात्, अंतर्ग्रहण सीमित स्थान के भीतर नहीं होना चाहिए और प्रवेशिका की ऊंचाई जमीन से 3-10 मीटर ऊपर होनी चाहिए। यदि उपकरण का स्थान ऐसा है कि यह मॉनिटरिंग साइट की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो प्राप्त डेटा प्रदूषकों के स्तर की स्थिति और रुझानों के निर्धारण में अधिक उपयोगी नहीं हो सकता।

तीन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (ए ए क्यू एम एस) के संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि निर्धारित मानदण्डों के विपरीत, तीनों सैम्पलर्स के सभी किनारे खुले हुये नहीं थे तथा उन्होंने हवा के मुक्त प्रवाह को प्रतिबंधित कर दिया था। एक प्रकरण में सैम्पलर्स पास के पेड़ों से 20 मीटर के भीतर स्थित थे। सैम्पलर्स के नमूना चित्रों को निम्नानुसार दर्शाया गया है-



चित्र 1.13.1 हिमालयन ड्रग, आई एस बी टी (5 अप्रैल 2018)
प्रेक्षण-पास के पेड़ से 20 मीटर के भीतर स्थित



चित्र 1.13.2: हिमालयन ड्रग, आई एस बी टी (5 अप्रैल 2018)
प्रेक्षण-पास के पेड़ों से 20 मी के भीतर स्थित



चित्र 1.13.3: आँचल डेयरी, रायपुर (5 अप्रैल 2018)
प्रेक्षण-चारों तरफ से खुला नहीं



चित्र 1.13.4: अंचल डेयरी, रायपुर (5 अप्रैल 2018)
प्रेक्षण-चारों तरफ से खुला नहीं



चित्र 1.13.5: बी एस एन एल कार्यालय, घंटाघर
(5 अप्रैल 2018) प्रेक्षण- चारों तरफ से खुला नहीं



चित्र 1.13.6: बी एस एन एल कार्यालय, घंटाघर
(5 अप्रैल 2018) प्रेक्षण- चारों तरफ से खुला नहीं

निर्धारित मानदण्डों के विपरीत वायु निगरानी उपकरणों की स्थापना से गलत और गैर-प्रतिनिधिक परिणाम उत्पन्न होने का जोखिम होता है।

इसे इंगित किए जाने पर, यू ई पी पी सी बी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं उत्तर दिया कि एन ए एम पी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

1.13.4.4 (ब) संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई अन्य कमियाँ

तीन ए ए क्यू एम एस के संयुक्त भौतिक सत्यापन ने अन्य विभिन्न कमियों का खुलासा किया जैसा कि तालिका-1.13.4 में चर्चा की गई है:

तालिका-1.13.4: ए ए क्यू एम एस के संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम दिखाने वाले विवरण

एन ए एम पी दिशानिर्देशों के प्रावधान	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
<ul style="list-style-type: none"> वाहनों के प्रकार और संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। इस स्रोत से निकलने वाले प्रदूषण भार का अनुमान लगाया जाना चाहिए ताकि उन स्रोतों की पहचान की जा सके जो प्रदूषण की महत्वपूर्ण मात्रा पैदा कर रहे हैं। यह जानकारी प्रदूषकों की पहचान करने में मदद करेगी जो एक क्षेत्र में अपेक्षित हो सकते हैं और इस लिए मापा जाना चाहिए। 	<ul style="list-style-type: none"> वाहनों के प्रकार और संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं रखी गई थी। इन मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना के समय भी इस संबंध में यू ई पी पी सी बी द्वारा कोई आंकलन नहीं किया गया था।
<ul style="list-style-type: none"> तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, हवा की गति और दिशा के संबंध में मौसम संबंधी डेटा एकत्र किया जाना चाहिए। मॉनिटरिंग स्टेशनों के स्थान का निर्धारण करने में सर्वाधिक हवा की दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 	<ul style="list-style-type: none"> तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, हवा की गति और दिशा के संबंध में कोई मौसम संबंधी डेटा एकत्र नहीं किया गया था।
<ul style="list-style-type: none"> साइट आश्रय और तत्संबंधी अन्य सुविधाएं जैसे पर्याप्त रेटिंग की बिजली, आदि उपलब्ध होनी चाहिए। स्टेशनों को प्रतिकूल मौसम की स्थिति से बचाया जाना चाहिए। 	<ul style="list-style-type: none"> साइट आश्रय की सुविधायें जैसे बारिश, धूप, आदि से सुरक्षा के लिए शेड उपलब्ध नहीं थे।
<ul style="list-style-type: none"> प्रयोगशाला उपकरण को नियमित रूप से कैलिब्रेट किया जाना चाहिए ताकि त्रुटियों को कम किया जा सके। 	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2012 के बाद से उपकरणों को कैलिब्रेट नहीं किया गया था।
<ul style="list-style-type: none"> फील्ड सहायकों को पर्यावरण रसायन शास्त्र में एम.एससी. होना चाहिए। 	<ul style="list-style-type: none"> ए ए क्यू एम एस के लिए फील्ड सहायक 12 स्तर की योग्यता रखते थे।
<ul style="list-style-type: none"> निर्बाध बिजली आपूर्ति का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि दिन में 24 घंटे निगरानी की जा सके। 	<ul style="list-style-type: none"> पावर बैंक अप के लिए सुविधा का अभाव था।

यू ई पी पी सी बी को एन ए एम पी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सैम्पलर्स स्थापित करने और रखरखाव के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि गलत एवं गैर-प्रतिनिधिक डेटा उत्पन्न होने के जोखिम से बचा जा सके।

1.13.4.5 पेट्रोल/डीजल खुदरा स्टेशनों के निकट बेंजीन के स्तर की निगरानी का अभाव

बेंजीन, ट्रेस स्तर पर वायुमंडल में मौजूद हाइड्रोकार्बनों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, व्यावसायिक रूप से बेंजीन के अत्यधिक संपर्क में आने से नार्कोसिस, सिरदर्द, चक्कर आना, उर्नीदापन, भ्रम, कंपकंपी और बेहोशी हो सकती है। बेंजीन मुख्य रूप से पेट्रोल स्टेशनों में वाष्पीकरण

से निकलता है। पेट्रोल एक बहुत ही वाष्पशील पदार्थ है। यह लोडिंग और वितरण के दौरान जल्दी से वाष्पित हो जाता है। यह पेट्रोल पंपों में उच्च परिवेशी सांद्रता को बढ़ावा देता है। यह ईंधन भरने वाले स्टेशनों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनाता है।

बेंजीन की निकासी एक उपकरण द्वारा नियंत्रित होती है जिसे वेपर रिकवरी सिस्टम¹⁵⁵ (वी आर एस) कहा जाता है जो ईंधन को एक वाहन या एक आउटलेट में पंप किए जाने पर उत्सर्जित होने वाले धुएँ को एक पाइप के माध्यम से वापस सोख लेता है।

सी पी सी बी ने एन ए ए क्यू एस के साथ 12 चिन्हित प्रदूषकों को अधिसूचित (नवम्बर 2009) किया था। बेंजीन निगरानी किए जाने वाले प्रदूषकों में से एक था। सी पी सी बी द्वारा निर्धारित एन ए ए क्यू एस के अनुसार, बेंजीन का अनुमन्य स्तर 5 माइक्रोग्राम/मी³ है।

यू ई पी पी सी बी के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि:

- बेंजीन के स्तर की निगरानी और नियंत्रण की कोई योजना नहीं बनाई गई थी।
- यू ई पी पी सी बी द्वारा देहरादून में खुदरा पेट्रोल/डीजल स्टेशनों के निकट बेंजीन के स्तर का कभी भी कोई परीक्षण नहीं किया गया था।
- यू ई पी पी सी बी ने खुदरा पेट्रोल/डीजल स्टेशनों पर वी आर एस की स्थापना सुनिश्चित नहीं की।
- यू ई पी पी सी बी ने खुदरा पेट्रोल/डीजल स्टेशनों को सहमति व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।
- इसके अलावा, देहरादून में 97 खुदरा पेट्रोल/डीजल स्टेशनों में से दस के संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि कोई भी स्टेशन वी आर एस से लैस नहीं था।

इसे इंगित किए जाने पर यू ई पी पी सी बी तथ्यों से सहमत था। उसने कहा कि बेंजीन स्तर की निगरानी से संबन्धित कोई कार्ययोजना नहीं थी और सक्षम अधिकारी से निर्देश प्राप्त करने के बाद कदम उठाए जाएंगे।

इस तरह, यू ई पी पी सी बी बेंजीन के स्तर की मात्रा का आंकलन करने और इस प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए कोई भी कदम उठाने में विफल रहा।

मनुष्यों पर बेंजीन के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यू ई पी पी सी बी को बेंजीन के स्तर की मात्रा का आंकलन करने के लिए प्रयास करने चाहिए और इसे अनुमन्य स्तर के अन्तर्गत रखने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए।

¹⁵⁵ सी पी सी बी के दस्तावेज़ के अनुसार।

1.13.5 औद्योगिक प्रदूषण

1.13.5.1 सर्वेक्षण का गैर-संचालन और औद्योगिक इकाइयों की पहचान न किया जाना

वायु अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन नहीं करेगा।

उद्योग के प्रस्तावक को जिला उद्योग केन्द्र (डी आई सी) में 'सिंगल विंडो' के माध्यम से आवेदन करना होता है। इसके बाद, क्षेत्रीय अधिकारी (आर ओ), यू ई पी पी सी बी वायु अधिनियम 1981, और दून घाटी अधिसूचना, 1989 के अन्तर्गत आवेदन की जाँच करता है और उद्योग की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन देता है। इसके बाद, प्रस्तावक अलग से, 'स्थापित करने हेतु सहमति' (सी टी ई) के लिए आवेदन करता है और संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संबन्धित दस्तावेजों की जाँच की जाती है और यदि आवेदन ठीक पाया जाता है तो प्रस्तावक को आवश्यक शुल्क जमा करने के लिए कहा जाता है। इस स्तर पर, आर ओ के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक इकाइयों का साइट निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आर ओ/हेड ऑफिस द्वारा, जैसा भी मामला हो, सी टी ई जारी किया जाता है। सी टी ओ को जारी करते समय भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। निरीक्षण के समय, सी टी ई से जुड़ी शर्तों के अनुपालन को भी सत्यापित किया जाता है।

यू ई पी पी सी बी को देहरादून में चालू कुल औद्योगिक इकाइयों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिला उद्योग केंद्र, देहरादून के अनुसार 2015-18 के दौरान, 1,104 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गईं। तथापि, केवल 107¹⁵⁶ औद्योगिक इकाइयों ने सी टी ई प्राप्त करने के लिए यू ई पी पी सी बी के समक्ष आवेदन किया। यू ई पी पी सी बी ने पंजीकृत उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए न तो कोई सर्वेक्षण किया और न ही उद्योग विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया ताकि इनको अपनी सहमति व्यवस्था के अंतर्गत लाया जा सके। डेटा के अभाव में, यू ई पी पी सी बी, देहरादून में चालू औद्योगिक इकाइयों के संबन्ध में यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि औद्योगिक इकाइयों ने ऐसे उपाय, जो यह सी टी ओ शर्तों¹⁵⁷ के माध्यम से लागू करना चाहता है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए हैं।

इसे इंगित किए जाने पर, यू ई पी पी सी बी ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था और केवल वही उद्योगों, जिन्होंने सी टी ओ के लिए आवेदन किया था, उनकी सहमति के अंतर्गत थे। इसने आगे कहा कि इस मुद्दे को बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जाएगा।

यू ई पी पी सी बी को वैध सी टी ओ के बिना काम करने वाले उद्योगों की पहचान करने और उन्हें अपनी सहमति व्यवस्था के अंतर्गत लाने के प्रयास करने चाहिए।

¹⁵⁶ इन 107 औद्योगिक इकाइयों में से 94 को सी टी ई प्रदान किया गया। आगे 94 इकाइयों में से केवल 52 इकाइयों को ही सी टी ओ प्रदान किया गया। सी टी ओ जारी करने के समय, सी टी ई से जुड़ी शर्तों को भी सत्यापित किया जाता है।

¹⁵⁷ उद्योग विभाग लाइसेंसिंग के समय पर्यावरण मंजूरी से संबन्धित कोई भी शर्त नहीं लगाता है।

1.13.5.2 सहमति का नवीनीकरण

वायु अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत उद्योगों को दी गई सहमति के नवीनीकरण हेतु यू ई पी पी सी बी द्वारा निर्दिष्ट इसकी वैधता की अवधि के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है।

यू ई पी पी सी बी ने पूर्व में जारी की गई सहमति की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद सहमति के नवीनीकरण की निगरानी हेतु कोई भी तंत्र विकसित नहीं किया। यू ई पी पी सी बी द्वारा डेटा के रखरखाव के अभाव में अपने सी टी ओ को नवीनीकृत किए बिना संचालन में रहने वाली औद्योगिक इकाइयों की संख्या का पता नहीं लगाया जा सका। इस तरह अधिनियम के प्रावधानों को उचित प्रकार से लागू करने के लिए यू ई पी पी सी बी के पास आवश्यक जानकारी का अभाव था।

बोर्ड की सहमति व्यवस्था के अन्तर्गत 793 औद्योगिक इकाइयों में से 32 औद्योगिक इकाइयों, जैसे कि **परिशिष्ट-1.13.2 अ** में वर्णित है, के संयुक्त भौतिक सत्यापन में ज्ञात हुआ की कुल 19 इकाइयाँ, जैसे कि **परिशिष्ट-1.13.2 ब** में वर्णित है, बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहमति के आवश्यक नवीनीकरण कराये बिना ही एक माह से तीन माह तक की अवधि में संचालन में रही (लेखापरीक्षा तिथि तक)। इसके अलावा, अन्य चार इकाइयों में से, तीन इकाइयों ने, जैसे कि **परिशिष्ट-1.13.2 स** में वर्णित है, यद्यपि सी टी ई तो ले लिया था, लेकिन सी टी ओ के लिए आवेदन नहीं किया था; एक इकाई ने सी टी ई के लिए आवेदन किया जिसे अस्वीकार कर दिया गया, फिर भी उक्त इकाई कार्य/संचालन कर रही थी।

इसे इंगित किए जाने पर, यू ई पी पी सी बी ने स्वीकार किया कि सी टी ओ की वैधता के अनुश्रवण हेतु कोई निगरानी तंत्र नहीं था।

यू ई पी पी सी बी को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई ने अपने सी टी ओ को निर्धारित समय सीमा के भीतर नवीनीकृत किया है और सी टी ई/सी टी ओ के लिए आवेदन की अस्वीकृति के बाद कोई भी औद्योगिक इकाई संचालित नहीं हो रही है।

चूँकि ये अनियमितताएँ कुछ मामलों की नमूना जाँच के आधार पर उजागर की गई हैं, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि यू ई पी पी सी बी को सभी सहमति की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी औद्योगिक इकाइयों ने अपने सी टी ओ का नवीनीकरण करवा लिया है और कोई भी औद्योगिक इकाई सी टी ई/सी टी ओ के लिए आवेदन की अस्वीकृति के बाद संचालित नहीं है।

1.13.5.3 सी टी ओ की अस्वीकृति के बाद निगरानी की कमी

आर ओ, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों की जाँच से पाया गया कि 2015-18 की अवधि के दौरान 29 मामलों¹⁵⁸ में, सी टी ओ के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था।

¹⁵⁸ ताजा और पुराने मामलों को सम्मिलित कर।

तथापि, बोर्ड, ऐसा कोई भी निगरानी तंत्र यथा निरीक्षण, विकसित नहीं कर सका जो यह सुनिश्चित कर सके कि संबन्धित औद्योगिक इकाइयों के सहमति हेतु प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किए जाने के बाद उक्त इकाइयाँ संचालित नहीं हुई; जैसा कि 32 इकाइयों के भौतिक सत्यापन के दौरान एक इकाई ऐसी पाई गई जिसका सहमति प्रार्थना पत्र अस्वीकृत होने के बावजूद वह संचालन में थी।

1.13.5.4 पूर्वव्यापी प्रभाव से सहमति जारी करना

देहरादून में उद्योगों का वर्गीकरण¹⁵⁹ सी पी सी बी के निर्देशों और दून वैली अधिसूचना, 1989 पर आधारित है। विवरण **परिशिष्ट-1.13.3** में दिया गया है।

वायु अधिनियम की धारा 21 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत, यू ई पी पी सी बी को सी टी ई एवं सी टी ओ जारी करने का अधिकार दिया गया था। प्रारंभ में दी गई सी टी ओ की समाप्ति से पहले, इकाइयों को अपने सी टी ओ को नवीनीकृत करने की आवश्यकता थी। पूर्व में निर्गत सी टी ओ¹⁶⁰ की समाप्ति के 60 दिन पहले सी टी ओ के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना था। उप-धारा (4) के अनुसार, उप खंड (1) में निर्दिष्ट सहमति की प्राप्ति के बाद यू ई पी पी सी बी को चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सहमति जारी करनी थी। आगे, यू ई पी पी सी बी (मार्च 2016) ने सहमति आवेदनों के निस्तारण के लिए अधिकतम समय सीमा, ग्रीन श्रेणी के लिए 30 दिन; ऑरेंज श्रेणी के लिए 60 दिन; और रेड श्रेणी के उद्योगों के लिए 90 दिन निर्धारित की थी।

अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि आर ओ, देहरादून द्वारा 2015-18 के दौरान जारी 760 सी टी ओ में से 503 (66 प्रतिशत) निर्धारित समय के भीतर जारी नहीं किए गए थे और विलंब 580 दिनों तक का था। उल्लेखनीय है कि उक्त उद्योग विलंब की अवधि के दौरान चालू थे। आगे यह भी देखा गया कि 2015-18 के दौरान निर्गत कुल 760 सी टी ओ में से 757 (99.61 प्रतिशत) मामलों में सी टी ओ पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ प्रदान किये गये थे और 757 मामलों में से 87 में सहमति, आवेदन सहमति की अवधि समाप्त होने के बाद जारी की गई। पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ दी गई सी टी ओ का वर्ष वार ब्यौरा **तालिका-1.13.5** में नीचे दर्शाया गया है:

¹⁵⁹ सभी उद्योग (अ) जो अहितकरक और जोखिम रहित हैं, 100 व्यक्तियों तक को रोजगार देते हैं, औद्योगिक अपशिष्टों का निर्वहन नहीं करते हैं, विनिर्माण प्रक्रिया में ईंधन का उपयोग नहीं करते हैं और विसरित प्रकृति के उत्सर्जन का उत्सर्जन नहीं करते हैं, उन्हें ग्रीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, (ब) 500 कि ली /दिन से नीचे के नियंत्रणीय तरल अपशिष्ट का निर्वहन, 24 मीट्रिक टन /दिन से कम के कोयले/ईंधन का उपभोग करना और 500 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित न करते हों को ऑरेंज के रूप में वर्गीकृत किया गया है (स) प्रदूषण फैलाने वाले प्रकृति के अपशिष्टों का @500 कि ली/दिन निर्वहन करना, 500 से अधिक व्यक्तियों/दिन को नियोजित करना तथा 24 मीट्रिक टन /दिन से अधिक कोयले/ईंधन का उपभोग करने वालों को रेड के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

¹⁶⁰ सी टी ओ की नियम और शर्तों के अनुसार।

तालिका-1.13.5: 2015-18 के दौरान जारी की गई सहमति के विश्लेषण के परिणाम

वर्ष	उद्योग की कुल संख्या जिन्हें सी टी ओ प्रदान किया गया	औद्योगिक इकाइयों की संख्या जिन्हें सहमति अवधि की समाप्ति के बाद सी टी ओ प्रदान किया गया (प्रतिशतता में)	औद्योगिक इकाइयों की संख्या जिन्हें सहमति अवधि के भीतर परन्तु पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ सी टी ओ निर्गत किया गया (प्रतिशतता में)	औद्योगिक इकाइयों की संख्या जिन्हें सहमति अवधि के शुरु होने से पहले सी टी ओ दी गयी (प्रतिशतता में)
2015-16	305	47 (15.41)	256 (83.93)	02 (0.66)
2016-17	213	19 (8.92)	193 (90.61)	01 (0.47)
2017-18	242	21 (8.68)	221 (91.32)	0
योग	760	87 (11.45)	670 (88.16)	03 (0.39)

स्रोत: यू ई पी पी सी बी द्वारा प्रदत्त आँकड़े।

सहमति जारी करने में देरी और इन्हें पूर्व तिथि से प्रभावी बनाने का अर्थ है कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा आवश्यक शर्तों के अनुपालन के तथ्य को दरकिनार कर दिया गया।

यू ई पी पी सी बी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, सी टी ओ निर्धारित समय-सीमा के भीतर जारी किए जाएं ताकि कोई भी औद्योगिक इकाई बिना वैध सहमति के न चल सके।

1.13.5.5 सहमति रजिस्टर

वायु अधिनियम की धारा 51 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य बोर्ड उन व्यक्तियों के विवरणों हेतु एक रजिस्टर का रख रखाव करेगा, जिन्हें वायु अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति प्रदान की गई है एवं ऐसी प्रत्येक सहमति के संबन्ध में इसके द्वारा निर्धारित उत्सर्जन के मानक एवं अन्य विवरण जो निर्धारित किए गए हों, को भी इंद्राज करेगा।

यू ई पी पी सी बी और आर ओ, देहरादून के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि उक्त सहमति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

सहमति रजिस्टर का रखरखाव न होने के कारण यू ई पी पी सी बी के पास उन व्यक्तियों जिन्हें सहमति जारी की गई थी, प्रत्येक मामले के लिए उत्सर्जन मानक एवं सहमति की शर्तों जो कि निगरानी के प्रारंभिक मानदण्ड थे, के बारे में समेकित सूचनाएं नहीं थीं।

1.13.5.6 उद्योगों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

यू ई पी पी सी बी की सहमति व्यवस्था के अन्तर्गत आछादित की गई 793 औद्योगिक इकाइयों में से 32 के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया कि पर्यावरणीय मंजूरी (ई सी)/सी टी ओ में उल्लिखित विभिन्न शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया जैसा कि नीचे तालिका-1.13.6 में वर्णित है:

तालिका-1.13.6: उद्योगों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

क्र सं	पर्यावरणीय स्वीकृति/ संचालित करने हेतु सहमति शर्तें	औद्योगिक इकाइयों की संख्या जिसमें अनुपालन नहीं पाया गया
1.	परियोजना प्राधिकारी प्रत्येक छः महीने के बाद प्राधिकरण को 'पर्यावरण स्वीकृति' की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।	छः इकाइयाँ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रही थीं।
2.	गैसीय उत्सर्जन {एस ओ ₂ , एन ओ ₂ , सी ओ, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वी ओ सी) और हाइड्रोकार्बन (एचसी)} और विभिन्न प्रक्रिया इकाइयों से आर एस पी एम स्तरों के साथ पार्टिकुलेट मैटर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।	नौ इकाइयाँ परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रही थीं। इसके परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि निर्धारित मानदण्डों का पालन किया जा रहा है।
3.	कारखाना स्थल पर उपयोग किए जाने वाले वाहनों को सी पी सी बी के उत्सर्जन मानदण्डों और ध्वनि स्तर के मानकों का पालन करना चाहिए।	ग्यारह इकाइयों में, कारखाना स्थल पर इस्तेमाल किए गए वाहनों के पास पी यू सी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे।
4.	पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी कार्यों को पूरा करने के लिए पूर्ण विकसित प्रयोगशाला सुविधाओं से सुसज्जित एक अलग पर्यावरण प्रबंधन सेल स्थापित किया जाएगा।	बारह इकाइयों में, अलग से पर्यावरण प्रबंधन सेल स्थापित नहीं किया गया था।
5.	कुल परियोजना स्थल क्षेत्र का 33 प्रतिशत ग्रीन बेल्ट में परिवर्तित किया जाएगा।	दस इकाइयों में, ग्रीन बेल्ट में परिवर्तित कुल परियोजना स्थल क्षेत्र मानक मानदण्डों से नीचे था।
6.	आवेदक, सी पी सी बी द्वारा सुझाए गए पौधों की प्रजातियों से परिसर में ग्रीन बेल्ट की तीन पंक्तियों को विकसित करेगा।	इक्कीस इकाइयों में, सी पी सी बी मानदण्डों का पालन नहीं किया जा रहा था।
7.	उद्योग यू ई पी पी सी बी द्वारा निरीक्षण के समय "निरीक्षण पुस्तिका" प्रदान करेगा।	छब्बीस इकाइयों में, निरीक्षण पुस्तिका का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

यू ई पी पी सी बी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी औद्योगिक इकाइयाँ ई सी/सी टी ओ में निर्धारित शर्तों का पालन करें ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सके।

चूँकि ये अनियमितताएँ कुछ मामलों की नमूना -जाँच के आधार पर उजागर की गई हैं, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि यू ई पी पी सी बी सभी सहमति की समीक्षा करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी औद्योगिक इकाइयाँ ईसी/सी टी ओ में निर्धारित शर्तों का पालन करती हैं।

1.13.6 वाहन जनित प्रदूषण

वायु अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत, परिवहन विभाग (टी डी) वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु अधिकृत था। प्रमुख वाहन प्रदूषक सी ओ, एन ओ₂, हवा विषाक्त प्रदार्थ अर्थात् बेंजीन, एल्डीहाइड्स, लेड, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन आदि हैं।

केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988, और केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सी एम वी आर) 1989, देश भर में वाहनों के उत्सर्जन के नियमन के लिए प्रमुख साधन हैं। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों के उपर है।

देहरादून में वाहनों की संख्या 2015-16 में 6.81 लाख से बढ़कर 2017-18 के अंत तक 8.71 लाख हो गई।

1.13.6.1 वाहनों का पुनः पंजीकरण

केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उप-धारा (7), (8) और (10) के अनुसार, परिवहन वाहनों के अलावा अन्य सभी मोटर वाहनों का पंजीकरण 15 वर्षों के लिए वैध है और इसे फिटनेस के अधीन पुनः पाँच साल की अवधि के लिए आगे, मूल पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित करते हुए, नवीनीकृत किया जा सकता है। पुनः पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में 'पी यू सी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति' शामिल हैं।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 1999-2002¹⁶¹ की अवधि के दौरान क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आर टी ओ), देहरादून के पास 48,158 वाहनों के पंजीकरण किए गए थे और 2015-18 की अवधि के दौरान पुनः पंजीकरण के योग्य थे। तथापि, यह देखा गया कि केवल 11,176 वाहनों के पुनः पंजीकरण हुए और 4,748 वाहनों के लिए, अन्य राज्यों में पुनः पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया था। इस तरह परिवहन विभाग ने 15 साल के पुराने वाहनों के संबन्ध में पुनः पंजीकरण या उन्हें सड़क से हटाने के कार्यान्वयन की दिशा में पर्याप्त उपायों का प्रावधान नहीं किया। एक तंत्र, जिससे यह पुराने वाहनों द्वारा उत्सर्जन मानदण्डों के अनुपालन की जाँच कर सकता था, अनुपस्थित था।

परिवहन विभाग को पुराने वाहनों का या तो फिर से पंजीकरण करके या उन्हें सड़क से हटा कर, उत्सर्जन मापदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

1.13.6.2 वाहनजनित प्रदूषण भार

किसी क्षेत्र में, कुल उत्सर्जन भार में विभिन्न स्रोतों की हिस्सेदारी का आंकलन करने के लिए, उत्सर्जन भार का आंकलन एक आवश्यक कदम है। यह एक क्षेत्र में उत्सर्जन भार को कम करने में विभिन्न रणनीतियों की क्षमता को समझने में भी मदद करता है।

परिवहन विभाग के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा देहरादून में भारी यातायात के स्थानों की पहचान करने के लिए न तो कोई सर्वेक्षण किया गया और न ही प्रदूषण भार का आंकलन किया गया।

इसे इंगित किए जाने पर, आर टी ओ देहरादून ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। विश्वसनीय और प्रासंगिक डेटा के अभाव में परिवहन विभाग, देहरादून में प्रदूषण भार को कम करने हेतु एक व्यापक योजना या रणनीति तैयार करने में विफल रहा।

परिवहन विभाग को उत्सर्जन भार का अनुमान लगाने और प्रदूषण भार को कम करने के लिए रणनीति तैयार करने के प्रयास करने चाहिए।

¹⁶¹ 1999 से पहले का डेटा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

1.13.6.3 प्रवर्तन दल के पास उपलब्ध निष्क्रिय उपकरण

परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना की जाँच में पता चला कि दो प्रवर्तन दलों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहन के उत्सर्जन स्तर की जाँच का काम सौंपा गया था। तथापि यह देखा गया कि उत्सर्जन स्तर की जाँच के लिए जो उपकरण दलों के पास उपलब्ध थे वह निष्क्रिय थे इसलिए 2015-18 के दौरान दल द्वारा किसी वाहन¹⁶² की जाँच नहीं की गयी थी। इसलिए, विभाग उन वाहन मालिकों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने में विफल रहा, जो उत्सर्जन मापदण्डों का उल्लंघन कर रहे थे।

1.13.6.4 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र

सी एम वी आर 1989 के उप नियम 115 (7) के अनुसार, प्रत्येक मोटर वाहन पहली बार पंजीकृत होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद वैध पी यू सी प्रमाणपत्र अपने पास रखेगा, जिसे इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत एक एजेंसी द्वारा जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र की वैधता छः महीने के लिए होगी और प्रमाणपत्र हमेशा वाहन में रखा जाएगा और निर्धारित अधिकारियों द्वारा माँग पर प्रस्तुत किया जाएगा।

देहरादून में मार्च 2018 तक विभिन्न श्रेणियों के 8.71 लाख पंजीकृत वाहन थे। परिवहन विभाग द्वारा देहरादून में मार्च 2018 तक 19 पी यू सी केंद्रों को प्राधिकृत किया गया था।

1.13.6.4 (अ) पी यू सी प्रमाणपत्रधारी वाहनों के कवरेज में कमी

एक वाहन के पूरे उपयोगी जीवन काल के दौरान यह महत्वपूर्ण होता है कि उसकी जाँच के माध्यम से उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाए। प्रत्येक मोटर वाहन अपने साथ परिवहन विभाग द्वारा या परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी पी यू सी केंद्र द्वारा जारी एक वैध "पी यू सी प्रमाणपत्र" (छः महीने के लिए वैध) अवश्य रखे। देहरादून में जारी पी यू सी प्रमाणपत्र और 2015-18 के दौरान पंजीकृत वाहनों की संख्या का विवरण तालिका-1.13.7 में नीचे दिया गया है:

तालिका-1.13.7: 2015-18 के दौरान देहरादून में पंजीकृत वाहनों और पी यू सी प्रमाणपत्रों की संख्या का विवरण

वर्ष	पंजीकृत वाहनों की संख्या	उन वाहनों की संख्या जिनके द्वारा पी यू सी प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना था	वर्ष के दौरान जारी किए गए पी यू सी प्रमाणपत्र
31-03-2015 को अंतिम अवशेष	6,81,292	-	-
2015-16	57,688	6,81,292	42,016
2016-17	61,100	7,38,980	41,953
2017-18	70,734	8,00,080	47,131
31-03-2018 को अंतिम अवशेष	8,70,814	-	-

स्रोत: परिवहन विभाग, देहरादून।

यह देखा जा सकता है कि 2015-18 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान जारी कुल पी यू सी प्रमाणपत्र पंजीकृत वाहनों की तुलना में काफी कम थे। इसके अलावा, विभाग के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था कि वाहन अपने पी यू सी प्रमाणपत्रों की समाप्ति के बाद उत्सर्जन परीक्षण के लिए वापस आएँ।

¹⁶² पी यू सी केंद्रों की मदद से 41 वाहनों की जाँच को छोड़कर।

विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करना चाहिए कि सभी वाहन अपने पी यू सी प्रमाणपत्रों की समाप्ति के बाद उत्सर्जन परीक्षण के लिए आएंगे।

1.13.6.4 (ब) पी यू सी केंद्रों का निरीक्षण नियमित रूप से नहीं किया गया

उत्तराखण्ड मोटर वाहन नियम 2011 के अनुसार, प्रत्येक पी यू सी केंद्र का निरीक्षण मोटर वाहन निरीक्षक या उससे उपर के पद के परिवहन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जा सकता है और निरीक्षण रिपोर्ट संबन्धित आर टी ओ को प्रस्तुत की जानी होगी। यह देखा गया है कि 2015-18 के दौरान परिवहन विभाग द्वारा ऐसा कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया कि पी यू सी केन्द्रों के नियमित निरीक्षण के लिए संबन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गये हैं।

1.13.6.4 (स) पी यू सी स्टेशनों के संयुक्त निरीक्षण के परिणाम

एक संयुक्त टीम (परिवहन विभाग और लेखापरीक्षा दल के अधिकारियों को मिलाकर) ने देहरादून के 19 पी यू सी केंद्रों में से छः का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं जैसा कि निम्न तालिका-1.13.8 में दिया गया है:

तालिका-1.13.8: पी यू सी स्टेशनों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के परिणाम

पी यू सी स्टेशनों का संयुक्त निरीक्षण	
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989/ उत्तराखण्ड मोटर वाहन नियम 2011 के प्रावधान	पी यू सी केंद्रों द्वारा गैर-अनुपालन
एक अधिकृत एजेंसी द्वारा अनुमोदित प्रकार के मीटर से प्रावधान (उत्सर्जन मानदण्डों) के अनुपालन के लिए उपाय किया जाएगा।	सभी छः परीक्षण एजेंसियां, अधिकृत एजेंसी द्वारा अनुमोदित मीटर के प्रकार से संबन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहीं।
प्राधिकार पत्र केवल पाँच वर्षों के लिए वैध होगा। इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन इसकी समाप्ति से 60 दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	छः केंद्रों में से एक पी यू सी केंद्र के प्राधिकार पत्र की अवधि समाप्त हो गई थी। एक केंद्र ने प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया। केन्द्रों द्वारा नवीनीकरण हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।
पी यू सी केंद्र वाहन के परीक्षण के लिए केवल उन्हीं ऑपरेटरों को तैनात करेगा जो परीक्षण उपकरण के निर्माता/आपूर्तिकर्ता/डीलर द्वारा प्रशिक्षित हों और परीक्षण केवल उन्हीं कर्मियों द्वारा किया जाएगा।	सभी छः निरीक्षित पी यू सी केंद्र में वाहनों का परीक्षण परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किया जा रहा था।
केंद्र, एक प्रमुख स्थान पर प्राधिकार पत्र एवं ऑपरेटर का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करेगा।	निरीक्षण की गई छः एजेंसियों में से किसी के द्वारा भी प्राधिकार पत्र, ऑपरेटर के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित नहीं किया गया था।
पी यू सी केंद्र द्वारा जारी किए गए पी यू सी प्रमाणपत्रों से संबन्धित सूचना ए आर टी ओ/आर टी ओ/परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।	निरीक्षित छः एजेंसियों में से किसी ने भी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया।
गैसविश्लेषक, धुआं मीटर (प्रिंटर सहित), आदि के वार्षिक रखरखाव के लिए एक समझौता किया जाना था।	छः एजेंसियों में से किसी ने भी गैसविश्लेषक, धुआं मीटर (प्रिंटर सहित), आदि के रखरखाव के लिए ए एम सी नहीं किया था।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने पी यू सी केंद्रों को नोटिस जारी कर उनका स्पष्टीकरण मांगा और साथ ही यह भी अवगत कराया कि परीक्षण केंद्रों के ऑपरेटर को नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने केंद्रों को संचालित करने के निर्देश दिए गये हैं।

चूँकि ये अनियमितताएँ कुछ मामलों की नमूना जाँच के आधार पर उजागर की गई हैं, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग सभी पी यू सी केंद्रों की समीक्षा करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके द्वारा नियमों के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

विभाग को पी यू सी केंद्रों द्वारा नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराना चाहिए।

1.13.7 ईंट भट्टों से प्रदूषण

सभी ईंट भट्टों को दून घाटी अधिसूचना, 1989 द्वारा 'औरेंज' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मिट्टी की ईंटें, छोटे या कुटीर पैमाने के ईंट भट्टों में उत्पादित की जाती हैं। ईंट भट्टों में कच्चे माल में कुछ हद तक टॉपसाइल, कोयला, धान की भूसी, फ्लाई ऐश, लकड़ी और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि अपशिष्ट शामिल हैं। ईंट निर्माण की प्रक्रिया में मुख्यतः कोयले का चूरा और धूल कणों का उत्सर्जन होता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना जी एस आर 543 (ई) दिनांक 22 जुलाई, 2009 द्वारा 'ईंट भट्टों के लिए उत्सर्जन मानकों' और उनसे संबन्धित प्रविष्टियों का निर्धारण किया गया है।

आर ओ देहरादून द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देहरादून में सात ईंट भट्टे थे। लेखापरीक्षा दल और आर ओ देहरादून के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से सात ईंट भट्टों में से छः का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया और निष्कर्ष तालिका-1.13.9 में नीचे दर्शाए गए हैं:

तालिका-1.13.9: ईंट भट्टों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

वायु अधिनियम, 1981 का प्रावधान	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
<ul style="list-style-type: none"> धारा 21 (1) के अनुसार, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना, किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन नहीं करेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> सी टी ओ प्राप्त किए बिना ही सभी छः इकाइयाँ संचालित हो रही थीं क्योंकि जारी किया गया सी टी ओ मार्च 2012 (दो इकाइयों का), मार्च 2016 (एक इकाई का) और मार्च 2018 (तीन इकाइयों का) में समाप्त हो गया था।
पर्यावरणीय मंजूरी (ई सी)/सी टी ओ का प्रावधान	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
<ul style="list-style-type: none"> इकाई एक बार बैकफिल्ड होने के बाद पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में खेती/वृक्षारोपण गतिविधि करेगी। इकाइयों द्वारा आर ओ यू ई पी पी सी बी, देहरादून को हर छः महीने में स्टैक एमिशन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। निरीक्षण पुस्तिका का रखरखाव ईंट भट्टा इकाइयों द्वारा किया जाना है तथा इसे बोर्ड अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना है। परिवहन के दौरान कार्य स्थल से धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए पानी का छिड़काव एवं खुदाई की गई मिट्टी को ढक कर रखना था। 	<ul style="list-style-type: none"> सभी छः इकाइयों में अपर्याप्त रोपण था। स्टैक निगरानी रिपोर्ट किसी भी इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा रही थी। किसी भी इकाई में निरीक्षण पुस्तिका का रखरखाव नहीं किया गया था। निरीक्षण की गई छः इकाइयों में से किसी ने भी ऐसा कोई उपाय नहीं अपनाया था।

<p>➤ परियोजना प्रस्तावक श्रमिकों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण प्रदान करेगा और उन्हें सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण एवं जानकारी भी प्रदान की जाएगी।</p>	<p>➤ कार्य स्थल पर श्रमिकों को ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हुए नहीं देखा गया।</p>
<p>➤ औरेंज श्रेणी की इकाइयों के लिए वर्ष में कम से कम दो बार छमाही रूप से निरीक्षण/नमूना जाँच/निगरानी की जानी थी।</p>	<p>➤ सभी छः ईट भट्टों के मामले में निरीक्षण नहीं किए गए थे और स्टैक नमूने नहीं लिए गए थे तथा उनका विश्लेषण नहीं किया गया था।</p>

इसे इंगित किए जाने पर, आर ओ देहरादून ने अवगत कराया कि सी टी ओ के नवीनीकरण के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं और साथ ही सभी छः इकाइयों को सी टी ओ शर्तों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। इसके अलावा, आर ओ देहरादून ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण आवश्यक निरीक्षण नहीं किया गया।

इस प्रकार यू ई पी पी सी बी, ईट भट्टों द्वारा वायुमंडल में फैलने वाले प्रदूषकों के उत्सर्जन को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए अपने नियामक दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहा।

यू ई पी पी सी बी द्वारा ईट भट्टों को जारी की गयी ई सी/सी टी ओ के साथ जुड़ी शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना चाहिए।

चूँकि इन अनियमितताओं को कुछ मामलों की नमूना-जाँच के आधार पर उजागर किया गया है, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि यू ई पी पी सी बी सभी सहमति की समीक्षा करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी ईट भट्टों को जारी की गयी ई सी/ सी टी ओ के साथ जुड़ी शर्तों का पालन किया गया।

1.13.8 खनन

सभी खनन इकाइयों को दून घाटी अधिसूचना, 1989 द्वारा 'औरेंज' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खनन कार्यों से प्रदूषण उन्मूलन के लिए, खनन इकाइयों को ई सी और सी टी ओ के साथ संलग्न शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक हैं। यू ई पी पी सी बी ने औरेंज के रूप में वर्गीकृत इकाइयों के लिए अर्धवार्षिक निरीक्षण मानदण्ड तय किए थे। खनन इकाइयों के औरेंज श्रेणी में आने से छमाही आधार पर निरीक्षण किया जाना है।

देहरादून में संचालित पाँच में से तीन इकाइयों के संगत अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि आर ओ देहरादून द्वारा 2015-18 के दौरान कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

यह खनन इकाइयों के निरीक्षण करने में आर ओ द्वारा कमजोर निगरानी को दर्शाता है।

1.13.8.1 खनन इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण

देहरादून में कार्यरत पाँच में से तीन खनन इकाइयों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि खनन इकाइयाँ निर्धारित शर्तों का उल्लंघन कर रही थीं जैसा कि नीचे तालिका-1.13.10 में चर्चा की गयी हैं:

तालिका-1.13.10: खनन इकाइयों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

वायु अधिनियम, 1981 का प्रावधान	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
<ul style="list-style-type: none"> धारा 21 (1) के प्रावधानों के अधीन, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना, किसी भी औद्योगिक संयंत्र¹⁶³ की स्थापना या संचालन नहीं करेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> तीनों खनन इकाइयाँ संचालित हो रही थीं, यद्यपि उनके सी टी ओ की वैधता समाप्त हो गई थी। इकाइयों ने सी टी ओ के नवीनीकरण के लिए आवेदन भी नहीं किया था।
ई सी/सी टी ओ का प्रावधान	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
<ul style="list-style-type: none"> खनन सामग्री ढोने वाले ट्रक को ढकना। 	<ul style="list-style-type: none"> निरीक्षण की सभी इकाइयों में खनन सामग्री ढोने के लिए उपयोग किए गए वाहनों को ढका नहीं गया था।
<ul style="list-style-type: none"> खनन इकाइयाँ एस पी एम के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी का भी संचालन करेंगी। 	<ul style="list-style-type: none"> एस पी एम के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता की आवधिक निगरानी किसी भी इकाई द्वारा नहीं की गई थी।
<ul style="list-style-type: none"> पानी स्प्रे एवं छिड़काव प्रणाली स्थापित होनी चाहिए और उसका रख रखाव किया जाना चाहिए ताकि इसको धूल दमन में प्रयुक्त किया जा सके। 	<ul style="list-style-type: none"> सभी इकाइयों में पानी स्प्रे एवं छिड़काव प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी, इसलिए धूल का दमन नहीं किया जा सका।
<ul style="list-style-type: none"> उच्च दक्षता वाली धूल निकासी प्रणाली स्थापित की जाएगी। 	<ul style="list-style-type: none"> निरीक्षण की गई किसी भी इकाई ने उच्च दक्षता वाली धूल निकासी प्रणाली स्थापित नहीं की थी।

इसे इंगित किए जाने पर, आर ओ देहरादून ने अवगत कराया कि इकाइयों को 60 दिनों के भीतर सी टी ओ को नवीनीकृत करने और सी टी ओ में उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

यू ई पी पी सी बी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खनन इकाइयाँ अपने सी टी ओ का नवीनीकरण करें और ई सी/सी टी ओ से जुड़ी शर्तों का पालन करें।

चूँकि ये अनियमितताएँ कुछ मामलों की नमूना -जाँच के आधार पर उजागर की गई हैं, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि यू ई पी पी सी बी को सभी सहमति की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी खनन इकाइयों ने अपने सी टी ओ का नवीनीकरण कराया है और ई सी/सी टी ओ से जुड़ी शर्तों का पालन किया है।

1.13.9 निगरानी

पूर्ववर्ती प्रस्तारों में निगरानी में उल्लिखित कमियों के अलावा, निम्नलिखित कमियाँ भी पाई गई थीं।

1.13.9.1 पर्यावरण संबंधी कथन

प्रत्येक व्यक्ति जिसे उद्योग, संचालन या प्रक्रिया के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति की आवश्यकता होती है, को एक वार्षिक 'पर्यावरण विवरण' प्रस्तुत करना आवश्यक होता है जिसमें प्रदूषक और उनके उत्सर्जन की मात्रा एवं तत्संबंधी मानकों से प्रतिशत भिन्नता के संबन्ध में कारणों का उल्लेख होता है।

¹⁶³ एक खदान को वायु अधिनियम, 1981 के संबन्ध में एक औद्योगिक संयंत्र माना जाता है।

यह देखा गया कि उद्योग यू ई पी पी सी बी को पर्यावरण विवरण प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। इसलिए, प्रदूषणकारी इकाइयों की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू अनुपस्थित था।

1.13.9.2 वार्षिक रिपोर्ट

वायु अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) निर्धारित करती है कि प्रत्येक राज्य बोर्ड हर वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष की अन्तिम तारीख से चार माह के भीतर राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि तैयार कर अग्रेषित करेगा जिसमें उसकी पूर्ववर्ती क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा जोखा यथा तत्कालीन पर्यावरण समस्याओं और उसके निवारण हेतु उपाय: पर्यावरणीय अनुसंधान; पर्यावरणीय प्रशिक्षण; पर्यावरणीय जागरूकता और उसमें जन भागीदारी, पर्यावरणीय मानकों (उनके प्रभावी होने की समय-सारणी सहित); पर्यावरणीय प्रदूषण के संबन्ध में शुरू की गई दण्डात्मक कार्यवाही और सिद्ध आक्षेप एवं अगले वर्ष से संबन्धित वार्षिक योजना का पूर्ण विवरण आदि शामिल होगा। रिपोर्ट को, पिछले वित्तीय वर्ष की अन्तिम तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जानी चाहिए।

यह देखा गया कि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी और वर्ष 2017-18 के लिए जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वह राज्य सरकार को अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई।

यू ई पी पी सी बी ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि वर्ष 2017-18 की रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। राज्य विधानमंडल को रिपोर्ट पर चर्चा करने और प्रदूषण के नियंत्रण या उन्मूलन के उपाय करने के विशेषाधिकार से वंचित किया गया था।

यू ई पी पी सी बी यह सुनिश्चित कर सकता है कि वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाए और राज्य सरकार को इसे राज्य विधानमंडल में रखने हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

1.13.9.3 श्रमशक्ति

यू ई पी पी सी बी में वैज्ञानिक और तकनीकी समूह के संबन्ध में स्वीकृत कार्मिक संख्या, तैनाती और रिक्त पद नीचे तालिका-1.13.11 में दिये गए हैं:

तालिका-1.13.11: : वैज्ञानिक और तकनीकी समूह से संबन्धित जनशक्ति का विवरण

समूह	स्वीकृत कार्मिक संख्या	तैनात कार्मिकों की स्थिति (31-03-2018 तक)	रिक्ति (प्रतिशत)
वैज्ञानिक	41	11	30 (73)
तकनीकी	26	10	16 (62)

स्रोत: यू ई पी पी सी बी द्वारा प्रदत्त आँकड़े।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वैज्ञानिक और तकनीकी समूहों में क्रमशः 73 प्रतिशत और 62 प्रतिशत रिक्तियां थीं। इन महत्वपूर्ण पदों की कमी ने वायु प्रदूषण गतिविधियों

की दिन-प्रतिदिन की निगरानी में बाधा डाली, जिसे निष्पादित करने के लिए यू ई पी पी सी बी को अधिदेशित किया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर, यू ई पी पी सी बी ने तथ्य को स्वीकार किया तथा अवगत कराया कि 19वीं बोर्ड बैठक (27 फरवरी 2018) में लिए गए निर्णयानुसार, वर्ग-III के रिक्त पद (कनिष्ठ अभियंता, व्यक्तिगत सहायक, प्रयोगशाला सहायक और निगरानी सहायक) राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे और सहायक पर्यावरण अभियंता और सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के रिक्त पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे।

1.13.10 निष्कर्ष

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू ई पी पी सी बी) वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम बनाने में विफल रहा। 2015-18 के दौरान अधिशेष निधियों का प्रतिशत कुल उपलब्ध धन का 56.03 प्रतिशत से 65.51 प्रतिशत के बीच था। यू ई पी पी सी बी द्वारा की जाने वाली निगरानी में कमी पाई गई क्योंकि यह 12 चिन्हित प्रदूषकों के सापेक्ष केवल तीन वायु प्रदूषकों की निगरानी कर रहा था, और वह भी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं किया जा रहा था। देहरादून में संचालित औद्योगिक इकाइयों से संबन्धित आँकड़ों के अभाव में यू ई पी पी सी बी यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि सभी संचालित इकाइयाँ प्रदूषण नियंत्रण से संबन्धित उपायों को प्रयोग में ला रही थीं। इसके द्वारा, सहमति के समाप्ति के बाद इसके नवीनीकरण पर नज़र रखने हेतु, किसी भी तंत्र विकसित नहीं किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा 2015-18 के दौरान 66 प्रतिशत संचालन के लिए सहमति निर्धारित समय के भीतर जारी नहीं किए गए थे। परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण के बारे में प्रावधान को लागू करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए। यह सुनिश्चित करने के लिए भी कोई प्रभावी तंत्र नहीं था कि वाहन अपने पी यू सी प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद उत्सर्जन परीक्षण के लिए वापस आते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पी यू सी प्रमाणपत्र प्राप्त वाहनों की संख्या में कमी हुई। यू ई पी पी सी बी ईट भट्टों और खनन इकाइयों द्वारा वायुमंडल में फैलने वाले प्रदूषकों के उत्सर्जन को रोकने और नियंत्रित करने के लिए अपने नियामक दायित्वों का निर्वहन करने में भी विफल रहा। महत्वपूर्ण पदों की कमी ने यू ई पी पी सी बी को अपने अधिदेश का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में बाधा डाली। यह अपनी कार्य पद्धति से संबन्धित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और उसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने में विफल रहा।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (जुलाई 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

